



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2018/फाल्गुन 25, 1939

No. 102]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2018/PHALGUNA 25, 1939

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 14 मार्च, 2018

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतः राज्य पारेषण और वितरण के लिए कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) विनियम, 2017

सं. जेईआरसी-21/2017.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2003 का 36) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसकी तरफ से समर्थकारी सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, पूर्ववर्ती प्रकाशन के उपरांत, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

प्रारंभिक

1) लघु शीर्ष, प्रारंभ और क्षेत्र

- इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतः राज्य पारेषण और वितरण के लिए कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) विनियम, 2017 कहा जाएगा।
- ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- ये विनियम सम्पूर्ण गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव, पुदुच्चेरी और चंडीगढ़ के लिए लागू होंगे।

2) परिभाषाएं

- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो :
 - “**अधिनियम**” का अर्थ है, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);
 - “**आवंटित क्षमता**” का अर्थ है, दीर्घकालिक अथवा मध्य कालिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता अथवा अंतः राज्य पारेषण प्रणाली के लिए उत्पादन केन्द्र या वितरण प्रणाली के लिए अनुमत्य विनिर्दिष्ट अंतःक्षेपण बिन्दु और आहरण बिन्दु के बीच मेगावाट में विद्युत अंतरण और “क्षमता आवंटन” का अर्थ तदनुसार होगा;

- ग) **“आवेदक”** का अर्थ है, कैपटिव विद्युत संयंत्र, जिसने कनेक्टिविटी या निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन किया है, सहित उपभोक्ता, ट्रेडिंग अनुज्ञाधारी, वितरण अनुज्ञाधारी या उत्पादन कंपनी, जैसा भी मामला हो;
- घ) **“बैंक दर”** का अर्थ है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट आधारभूत ब्याज दर अथवा उस समय लागू तत्संबंधी कोई अन्य प्रतिस्थापन सहित **350** बेसिक प्वाइंट्स;
- ङ) **“द्विपक्षीय समझौता”** का अर्थ है, विशिष्ट क्रेता और विशिष्ट विक्रेता के बीच सीधे तौर पर या ट्रेडिंग अनुज्ञाधारी के माध्यम से ऊर्जा (मेगावाट) के आदान-प्रदान का सौदा अथवा किसी माह के दौरान किसी समय निर्धारित या विविध विद्युत मात्रा (मेगावाट) के लिए अन्तःक्षेपण के किसी विशिष्ट बिन्दु से आहरण के किसी विशिष्ट बिन्दु तक बेनाम बोली के माध्यम से विद्युत का आदान-प्रदान;
- च) **“केन्द्रीय आयोग”** का अर्थ है, अधिनियम की धारा 76 में उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग;
- छ) **“सामूहिक समझौता”** का अर्थ है, क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा बिना किसी नाम साथ-साथ की गई प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विद्युत आदान-प्रदान के लिए किए गए समझौतों का समूह;
- ज) **“आयोग”** अर्थ है, अधिनियम की धारा 83 में उल्लिखित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग;
- झ) **“संकुलन”** का अर्थ है, एक ऐसी स्थिति जहां पारेषण की मांग अथवा वितरण क्षमता का उपलब्ध अंतरण क्षमता से अधिक होना;
- ञ) कैपटिव विद्युत संयंत्र सहित उत्पादन केन्द्र के लिए **“कनेक्टिविटी”** अथवा अनुज्ञाधारी का अर्थ है, अंतः राज्य पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के साथ ‘कनेक्टिड’ होने की स्थिति;
- ट) **“उपभोक्ता”** का वही अर्थ है, जो अधिनियम में दिया गया है परंतु यह राज्य के भीतर ऐसे उपभोक्ताओं तक सीमित होगा;
- ठ) **“अनुबंध मांग”** का अर्थ है, वितरण अनुज्ञाधारी और उपभोक्ता के बीच यथा आपसी सहमति द्वारा किलोवाट एम्पीयर (‘केवीए’) अथवा मेगावोल्ट एम्पीयर (‘एमवीए’) में मांग-
 i. विद्युत आपूर्ति हेतु करार में; अथवा
 ii. अन्य लिखित समझौतों के माध्यम से ;
- बशर्ते कि एमवीए/केवीए से मेगावाट/किलोवाट में यूनिट परिवर्तन के प्रयोजनार्थ ‘यूनिटी पावर फैक्टर’ का ध्यान रखा जाएगा;
- ड) **“समन्वय समिति”** का अर्थ है, इन विनियमों के खंड 3.4 के अधीन गठित समिति;
- ढ) **“दिवस”** का अर्थ है, 00.00 घंटे से प्रारंभ होकर 24.00 घंटे पर समाप्त होने वाला दिन;
- ण) **“विस्तृत प्रक्रिया”** का अर्थ है, इन विनियमों के खंड 3.4 के अनुसार समन्वय समिति द्वारा कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच के लिए जारी की गई प्रक्रिया-विधि;
- त) **“वितरण फ्रेन्चाइजी”** का अर्थ है, वितरण अनुज्ञाधारी द्वारा स्वयं की तरफ से उसके आपूर्ति क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्ति;
- थ) **“वितरण अनुज्ञाधारी”** का अर्थ है, एक ऐसा अनुज्ञाधारी जिसे इसके आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने के लिए वितरण प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण हेतु अधिकृत किया गया है;
- द) **“विद्युत आपूर्ति कोड”** का अर्थ है, अधिनियम की धारा 50 के साथ पठित धारा 181 की उप धारा (2) के खंड(यू), खंड(वी), खंड(डब्ल्यू), खंड(एक्स) और खंड (जेडपी) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियम;
- ध) **“पूर्ण मुक्त सुलभ उपभोक्ता”** का अर्थ है, ऐसा मुक्त सुलभ उपभोक्ता जो अपनी लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने आपूर्ति क्षेत्र में वितरण अनुज्ञाधारी के साथ शून्य मांग बनाए रखता है;

- न) **"उत्पादन केन्द्र"** का अर्थ है, विद्युत उत्पादन के लिए कोई केन्द्र और इसमें नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन संयंत्र भी शामिल होंगे;
- प) **"ग्रिड कोड"** का अर्थ है, अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा(1) के खंड(ज) के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड;
- फ) **"दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच "** **"एमटीओए"** का अर्थ है, 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली के उपयोग का अधिकार;
- ब) **"मध्य कालिक निर्बाध पहुंच "** **या "एमटीओए"** का अर्थ है, तीन माह या इससे अधिक अवधि, परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं, के लिए अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली के उपयोग का अधिकार;
- भ) **"माह"** का अर्थ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर माह;
- म) **"नोडल एजेंसी"** का अर्थ है, इन विनियमों के खंड 3.2 में परिभाषित नोडल एजेंसी;
- य) **"मुक्त सुलभ उपभोक्ता"** का अर्थ है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञाधारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अंतःराज्य पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त है और इस अभिव्यक्ति में विद्युत उत्पादन कंपनी और एक ऐसा अनुज्ञाधारी शामिल है जिसने निर्बाध पहुंच प्राप्त कर ली है अथवा ऐसा करने का आशय रखता है;
- कक) **"आंशिक मुक्त सुलभ उपभोक्ता"** का अर्थ है, एक मुक्त सुलभ उपभोक्ता जो अपनी लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने अवस्थिति आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञाधारी के साथ कुछ मांग बनाए रखता है;
- खख) **"नवीकरणीय ऊर्जा"** का अर्थ है, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति) के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2010, समय-समय पर यथा संशोधित, में यथा परिभाषित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत;
- गग) **"राज्य भार प्रेषण केन्द्र" अथवा "एसएलडीसी"** का अर्थ है, अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य में स्थापित राज्य भार प्रेषण केन्द्र और इसमें राज्य के उप-एसएलडीसी शामिल हैं;
- घघ) **"अल्पावधि निर्बाध पहुंच "** **अथवा "एसटीओए"** का अर्थ है, एक समय में एक माह तक की अवधि के लिए अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली के उपयोग का अधिकार;
- ङङ) **"विशेष ऊर्जा मीटर" अथवा "एसईएम"** का अर्थ है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर्स की संस्थापना और संचालन) विनियम, 2006, समय-समय पर यथा संशोधित; के अनुसार संस्थापित मीटर;
- चच) **"राज्य"** का अर्थ है, गोवा राज्य और दिल्ली के अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्र;
- छछ) **"राज्य ग्रिड कोड"** का अर्थ है, अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड(ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड कोड;
- जज) **"राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू)"** का अर्थ है, सरकार द्वारा अधिनियम की धारा, 39 की उप-धारा(1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनी;
- झझ) **"टाइम ब्लॉक"** का अर्थ है, पन्द्रह मिनट की अवधि जिसके लिए विशेष ऊर्जा मीटर विनिर्दिष्ट पैरामीटर्स और मात्राओं को दर्ज करते हैं, ऐसी प्रथम अवधि 00.00 घंटों पर प्रारंभ होती है;
- ञञ) **"पारेषण अनुज्ञाधारी"** का अर्थ है, पारेषण लाइनों की स्थापना अथवा संचालन के लिए प्राधिकृत अनुज्ञाधारी;
- टट) **"कार्य दिवस"** का अर्थ है, ऐसा दिन जब कार्य के लिए बैंक खुले होते हैं।

2. इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम या ग्रिड कोड अथवा राज्य ग्रिड कोड में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम, या ग्रिड कोड अथवा राज्य ग्रिड कोड में प्रदान किया गया है और ऐसे प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां विशिष्ट तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें सामान्य तौर पर विद्युत उद्योग में प्रदान किया गया है।
3. इन विनियमों की व्याख्या करने में, जब तक कि संदर्भ के लिए अथवा आवश्यक न हो :
 - क) एकवचन अथवा बहुवचन अर्थों, जैसा भी मामला हो, में प्रयोग किए गए शब्दों में क्रमशः बहुवचन अथवा एकवचन भाव भी समाहित माना जाएगा;
 - ख) "समावेश होना" अथवा "सहित" शब्दों के बाद "बिना किसी सीमा के" अथवा "परंतु, तक सीमित नहीं" शब्दों का भाव समाहित माना जाएगा चाहे इन शब्दों के बाद ये वाक्यांश अथवा इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया हो या नहीं;
 - ग) यहां "विनियमों" के संदर्भों का अर्थ इन विनियमों का अथवा आयोग द्वारा लागू विधियों के अनुरूप समय-समय पर यथा संशोधित अथवा आशोधित विनियमों का संदर्भ माना जाएगा;
 - घ) विनियमों के शीर्षकों को सुविधा के लिए अन्तर्वेशित किया गया है तथा इन विनियमों की व्याख्या के प्रयोजनार्थ उन्हें नीचे दिए गए पाठ के साथ पढ़ा जाना चाहिए;
 - ङ) सांविधियों, विनियमों अथवा दिशा-निर्देशों के संदर्भों में संदर्भित समेकित, संशोधित या ऐसी सांविधियों, विनियमों या दिशा-निर्देशों को प्रतिस्थापित करने वाले सभी सांविधिक उपबंधों को शामिल माना जाएगा;
 - च) इन विनियमों के किसी खंड और किसी अन्य विनियम या आयोग द्वारा पारित आदेशों के बीच असंगतता होने की स्थिति में इन विनियमों के उपबंध लागू होंगे।

अध्याय 1 : कनेक्टिविटी

1.1 कनेक्टिविटी

1. 4 मेगावाट और इससे अधिक लोड वाला उपभोक्ता अथवा 4 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता वाला उत्पादन केन्द्र अंतः राज्य पारेषण प्रणाली से कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि पहले ही कनेक्टिड न हो और उसे इस अध्याय के उपबंधों के अनुरूप कनेक्टिविटी हेतु आवेदन करना होगा :
बशर्ते कि 4 मेगावाट से कम संस्थापित क्षमता वाला उत्पादन केन्द्र भी अंतः राज्य पारेषण प्रणाली से कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकता है, यदि राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा तकनीकी तौर पर ऐसा किया जाना संभव पाया जाए।
2. 4 मेगावाट से कम संस्थापित क्षमता वाले 'कैपटिव' विद्युत संयंत्र सहित कोई उत्पादन केन्द्र इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप वितरण प्रणाली से कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि पहले से ही कनेक्टिड न हो :
बशर्ते कि 4 मेगावाट से कम संस्थापित क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र को भी वितरण प्रणाली से कनेक्शन प्रदान किया जा सकता है, यदि वितरण अनुज्ञाधारी द्वारा ऐसी कनेक्टिविटी तकनीकी तौर पर संभव पाई जाए:
इसके अतिरिक्त बशर्ते कि वितरण अनुज्ञाधारी किसी अन्य वितरण अनुज्ञाधारी से अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

1.2 अंतः राज्य पारेषण प्रणाली से कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया

1. आवेदक द्वारा कनेक्टिविटी के लिए विस्तृत प्रक्रिया-विधि में निर्धारित प्रपत्र में एसटीयू के पास आवेदन किया जाएगा :
बशर्ते कि एसटीयू द्वारा आवेदन प्रगति के 2 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को किसी त्रुटि या अधूरी सूचना के बारे में सूचित किया जाएगा।
2. आवेदन के साथ विस्तृत प्रक्रिया में यथा उल्लिखित संस्था के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक भुगतान के किसी अन्य प्रारूप में 'नॉन-रिफंडेबल' शुल्क जमा करवाया जाएगा। शुल्क राशि का उल्लेख निम्न तालिका में किया गया है :

तालिका 1 : अंतः राज्य पारेषण प्रणाली से कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क

क्र.सं.	अन्तःक्षेपित की जाने वाली/ऑफ टेक इनटू/फ्रॉम इंड्रा-स्टेट ट्रांसमिशन' विद्युत की मात्रा	आवेदन शुल्क (रूपए में)
1	10 मेगावाट तक	100,000
2	10 मेगावाट से अधिक और 50 मेगावाट तक	200,000
3	50 मेगावाट से अधिक और 100 मेगावाट तक	300,000
4	100 मेगावाट से अधिक	400,000

बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित जेनरेटर्स के लिए कनेक्टिविटी हेतु आवेदन शुल्क उक्त शुल्क का 50 प्रतिशत होगा।

3. कनेक्टिविटी के लिए आवेदन में आवेदक की प्रस्तावित भौगोलिक अवस्थिति, आदान-प्रदान की जाने वाली विद्युत की मात्रा अर्थात् 'कैपटिव' विद्युत संयंत्र सहित उत्पादन केन्द्र के मामले में अन्तःक्षेपित की जाने वाली विद्युत की मात्रा और उपभोक्ता के मामले अंतः राज्य पारेषण प्रणाली से प्राप्त की जाने वाली विद्युत की मात्रा के ब्यौरे सहित ऐसे अन्य ब्यौरे प्रदान किए जाएंगे जिनका निर्धारण विस्तृत प्रक्रिया-विधि में किया गया है :

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां आवेदन किए जाने के उपरांत आवेदक की अवस्थिति में कोई बदलाव हुआ हो, अंतः राज्य पारेषण प्रणाली से आदान-प्रदान की जाने वाली विद्युत की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक बदलाव हुआ हो, तो आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा जिस पर इन विनियमों के अनुरूप विचार किया जाएगा।

4. आवेदन प्राप्त होने के उपरांत एसटीयू अंतः राज्य पारेषण में शामिल अन्य एजेंसियों के परामर्श और समन्वय से आवेदन पर विचार करेगा और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 और ग्रिड कोड/राज्य ग्रिड कोड में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक 'इंटर-कनेक्शन' अध्ययन करेगा।
5. कनेक्टिविटी प्रदान करते समय एसटीयू द्वारा उस उप-केन्द्र या पूलिंग स्टेशन अथवा स्विचयार्ड के नाम को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जहां कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है। यदि किसी मौजूदा या प्रस्तावित लाइन से 'लूपिंग-इन' और 'लूपिंग-आउट' द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान की जानी हो, तो एसटीयू द्वारा कनेक्शन प्वाइंट तथा उस लाइन के नाम का विशेष उल्लेख किया जाएगा, जहां से कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। एसटीयू द्वारा समर्पित पारेषण लाइन की अभिकल्पन विशेषताओं को दर्शाया जाएगा और समर्पित पारेषण लाइन के पूरा होने की समय-सीमा, यदि लागू हो, का भी उल्लेख किया जाएगा।
6. आवेदक द्वारा राज्य पारेषण यूटिलिटी अथवा अंतः राज्य पारेषण अनुज्ञाधारी जिसके पास उप-केन्द्र या पूलिंग स्टेशन अथवा स्विचयार्ड या पारेषण लाइन हो, एसटीयू द्वारा उस स्थान पर यथा अभिचिन्हित जहां कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है, के साथ "कनेक्शन करार" किया जाएगा :

बशर्ते कि राज्य पारेषण यूटिलिटी के अतिरिक्त अंतः राज्य पारेषण अनुज्ञाधारी की अंतः राज्य पारेषण प्रणाली को कैपटिव विद्युत संयंत्र अथवा उपभोक्ता सहित उत्पादन केन्द्र की कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने की स्थिति में आवेदक, राज्य पारेषण यूटिलिटी और ऐसे अंतः राज्य पारेषण अनुज्ञाधारी के बीच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के लिए कनेक्टिविटी हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 में यथा उल्लिखित तीन पक्षीय करार किया जाएगा।

7. कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने से आवेदक के पास ग्रिड के साथ विद्युत आदान-प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा बशर्ते कि वह इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच , मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच और अल्प कालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त करे :

बशर्ते कि किसी प्रकार की निर्बाध पहुंच के बिना ग्रिड के साथ विद्युत का कोई आदान-प्रदान इन विनियमों का उल्लंघन होगा और इसके लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी:

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि इन विनियमों के उपबंध निम्न खंड 1.2 (8) और 1.2 (9) के अधीन ऊर्जा के आदान-प्रदान के लिए लागू नहीं होंगे।

8. 'कैपटिव' विद्युत संयंत्र सहित ऐसे उत्पादन केन्द्र को, जिसे ग्रिड से कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, किसी भी प्रकार की निर्बाध पहुंच प्रारम्भ करने से पूर्व तथा वाणिज्यिक संचालन से भी पूर्व इसकी अपुष्ट विद्युत को ग्रिड में अंतःक्षेपित करके पूर्ण लोड परीक्षण सहित परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यह सुविधा राज्य लोड प्रेषण केन्द्र से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए होगी, ऐसी अनुमति प्रदान करते समय ग्रिड की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा:
- बशर्ते कि इन विनियमों के प्रयोजनार्थ अपवादस्वरूप स्थिति में एसटीयू, एसएलडीसी के परामर्श से पूर्व लोड परीक्षण सहित परीक्षण की अवधि को बढ़ाने और परिणामतः उत्पादन केन्द्र द्वारा अपुष्ट विद्युत को अंतःक्षेपित करने की अवधि को 6 माह से आगे बढ़ा सकता है, परंतु ऐसा उत्पादक कंपनी द्वारा प्रारंभिक 6 माह की अवधि समाप्त होने से कम से कम एक माह पूर्व आवेदन करने पर ही किया जाएगा।
9. उत्पादन केन्द्र की ऐसी अपुष्ट विद्युत को वाणिज्यिक लेन-देन को आयोग के विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो बहु-वर्षीय प्रशुल्क निर्धारण द्वारा अभिशासित होंगे:
- बशर्ते कि उत्पादन केन्द्र द्वारा ऐसे परीक्षण के कारण ग्रिड में अंतःक्षेपित विद्युत, जिसके लिए आयोग द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण नहीं किया गया हो, आयोग द्वारा उस वितरण अनुज्ञाधारी, जिसे उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत का विक्रय किया जाना आशयित हो, के संबंध में पूर्ववर्ती प्रशुल्क आदेश में यथा अनुमोदित दीर्घ कालिक विद्युत क्रम की औसत परिवर्ती लागत होगी।
10. राज्य पारेषण यूपिलिटी आवेदक को ग्रिड से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कनेक्शन प्वाइंट तक एक समर्पित लाइन का निर्माण करने के लिए कह सकती है, यदि आयोग द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसी छूट प्रदान न की गई हो:
- बशर्ते कि ऐसी समर्पित लाइन का निर्माण एसटीयू अथवा अंतः राज्य पारेषण अनुज्ञाधारी द्वारा आवेदक की तरफ से भुगतान किए जाने पर किया जा सकता है।
11. राज्य पारेषण यूपिलिटी सभी तरह से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर कनेक्टिविटी प्रदान करने अथवा अन्यथा के संबंध में अपने निर्णय की जानकारी प्रदान करेगी:
- बशर्ते कि एसटीयू प्रस्तावित निरस्तीकरण के खिलाफ आवेदक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरांत निरस्तीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन को निरस्त कर सकता है।
12. मौजूदा करार के अधीन कनेक्टिविटी प्रदत्त उपभोक्ता अथवा उत्पादन केन्द्र, जो पहले ही अंतः राज्य पारेषण प्रणाली से जुड़ा हुआ हो, को उसी क्षमता के लिए कनेक्टिविटी हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उत्पादन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने के मामले में कनेक्टिविटी हेतु इन विनियमों के अनुसार नए सिरे से आवेदन करना होगा।

1.3 उत्पादन केन्द्र द्वारा वितरण प्रणाली के लिए कनेक्टिविटी हेतु आवेदन प्रक्रिया

- वितरण प्रणाली के लिए कनेक्टिविटी हेतु 'कैपटिव' विद्युत संयंत्र सहित सभी पात्र उत्पादन केन्द्रों को विस्तृत प्रक्रिया-विधि में निर्धारित प्रपत्र में वितरण अनुज्ञाधारी के पास कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करना होगा :

बशर्ते कि वितरण अनुज्ञाधारी आवेदन प्रगति के दो कार्य-दिवसों के भीतर आवेदक को किसी त्रुटी अथवा अधूरी जानकारी के संबंध में सूचित करेगा।

- आवेदन के साथ विस्तृत प्रक्रिया में यथा उल्लिखित संस्था के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक भुगतान के किसी अन्य प्रारूप में (एक लाख रूपए) 'नॉन-रिफंडेबल' शुल्क जमा करवाया जाएगा।

बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित जेनरेटर्स के लिए कनेक्टिविटी हेतु आवेदन शुल्क उक्त शुल्क का 50 प्रतिशत होगा।

- कनेक्टिविटी के लिए आवेदन में उत्पादन केन्द्र की प्रस्तावित भौगोलिक स्थिति, अन्तःक्षेपित की जाने वाली विद्युत की मात्रा और विस्तृत प्रक्रिया-विधि में निर्धारित ऐसे अन्य व्यौरों सहित ऐसे अन्य व्यौरों प्रदान किए जाएंगे।
- आवेदन प्राप्त होने के उपरांत वितरण अनुज्ञाधारी अंतः राज्य पारेषण में शामिल अन्य एजेंसियों के परामर्श और समन्वय से आवेदन पर विचार करेगा और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 और ग्रिड कोड/राज्य ग्रिड कोड में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक 'इंटर-कनेक्शन' अध्ययन करेगा।

5. कनेक्टिविटी प्रदान करते समय वितरण अनुज्ञाधारी द्वारा उस उप-केन्द्र या पूलिंग स्टेशन अथवा स्विचयार्ड के नाम को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जहां कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है।
6. वितरण अनुज्ञाधारी द्वारा वितरण अनुज्ञाधारी के उपकेन्द्र में अंतःक्षेपण बिन्दु तक इंटरकनेक्शन सुविधा और स्विचयार्ड जैसे व्यापक अभिकल्पन विशेषताओं और इनके पूरा होने की समय-सीमा का उल्लेख किया जाएगा। इन सुविधाओं को तैयार करने की लागत उत्पादन कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। जिन मामलों में वितरण अनुज्ञाधारी के उपकेन्द्र का सुदृढीकरण किया जाना हो, वहां उत्पादन कंपनी द्वारा वे, वितरण अनुज्ञाधारी के उपकेन्द्र में 'ब्रेकर' तथा एसएलडीसी के वास्तविक समय डाटा के इंटर कनेक्शन हेतु उपकरण की लागत भी वहन की जाएगी।
7. आवेदक और वितरण अनुज्ञाधारी द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड कनेक्टिविटी हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 के उपबंधों की अनुपालना की जाएगी।
8. आवेदक द्वारा विस्तृत प्रक्रिया-विधि में प्रदत्त प्रारूप में वितरण अनुज्ञाधारी के साथ 'कनेक्शन करार' पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जहां कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।
9. कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने से आवेदक के पास ग्रिड के साथ विद्युत आदान-प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा बशर्ते कि वह इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच और अल्प कालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त करे :
 बशर्ते कि किसी प्रकार की निर्बाध पहुंच के बिना ग्रिड के साथ विद्युत का कोई आदान-प्रदान इन विनियमों का उल्लंघन होगा और इसके लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
 इसके अतिरिक्त बशर्ते कि इन विनियमों के उपबंध निम्न खंड 1.3 (10) और 1.3 (11) के अधीन ऊर्जा के आदान-प्रदान के लिए लागू नहीं होंगे।
10. 'कैपटिव' विद्युत संयंत्र सहित ऐसे उत्पादन केन्द्र को, जिसे वितरण केन्द्र से कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, किसी भी प्रकार की निर्बाध पहुंच प्रारम्भ करने से पूर्व तथा वाणिज्यिक संचालन से भी पूर्व इसकी अपुष्ट विद्युत को ग्रिड में अंतःक्षेपित करके पूर्ण लोड परीक्षण सहित परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यह सुविधा राज्य लोड प्रेषण केन्द्र से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए होगी, ऐसी अनुमति प्रदान करते समय ग्रिड की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा:
 बशर्ते कि इन विनियमों के प्रयोजनार्थ अपवादस्वरूप स्थिति में वितरण अनुज्ञाधारी एसएलडीसी के परामर्श से पूर्व लोड परीक्षण सहित परीक्षण की अवधि को बढ़ाने और परिणामतः उत्पादन केन्द्र द्वारा अपुष्ट विद्युत को अंतःक्षेपित करने की अवधि को 6 माह से आगे बढ़ा सकता है, परंतु ऐसा उत्पादक कंपनी द्वारा प्रारंभिक 6 माह की अवधि समाप्त होने से कम से कम एक माह पूर्व आवेदन करने पर ही किया जाएगा।
11. उत्पादन केन्द्र की ऐसी अपुष्ट विद्युत को वाणिज्यिक लेन-देन को आयोग के विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो बहु-वर्षीय प्रशुल्क निर्धारण द्वारा अभिशासित होंगे:
 बशर्ते कि उत्पादन केन्द्र द्वारा ऐसे परीक्षण के कारण ग्रिड में अंतःक्षेपित विद्युत, जिसके लिए आयोग द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण नहीं किया गया हो, आयोग द्वारा उस वितरण अनुज्ञाधारी, जिसे उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत का विक्रय किया जाना आशयित हो, के संबंध में पूर्ववर्ती प्रशुल्क आदेश में यथा अनुमोदित दीर्घ कालिक विद्युत क्रम की औसत परिवर्ती लागत होगी।
12. वितरण अनुज्ञाधारी सभी तरह से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कनेक्टिविटी प्रदान करने अथवा अन्यथा के संबंध में अपने निर्णय की जानकारी प्रदान करेगी:
 बशर्ते कि वितरण अनुज्ञाधारी प्रस्तावित निरस्तीकरण के खिलाफ आवेदक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उपरांत निरस्तीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन को निरस्त कर सकता है।
13. मौजूदा करार के अधीन कनेक्टिविटी प्रदत्त उत्पादन केन्द्र, जो पहले ही वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ हो, को उसी क्षमता के लिए कनेक्टिविटी हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उत्पादन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने के मामले में कनेक्टिविटी उपबंधों में संशोधन हेतु इन विनियमों के अनुसार नए सिरे से आवेदन करना होगा।

अध्याय 2 : निर्बाध पहुंच के लिए सामान्य शर्तें

2.1 निर्बाध पहुंच के लिए चरणबद्धता

1. ऐसे सभी स्थानों पर उपभोक्ताओं को निर्बाध पहुंच प्रदान की जाएगी, जहां किसी भी समय उपलब्ध कराई जाने वाली अधिकतम विद्युत की मात्रा 1 एमवीए की सीमा से अधिक हो, परंतु यह इन विनियमों में निहित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन होगा:

बशर्ते कि आयोग प्रचालन बाध्यताओं और अन्य कारकों के संबंध में ऐसा करना संभव होने पर ऐसे समय अलग आदेश द्वारा 1 एमवीए से कम क्षमता के लिए निर्बाध पहुंच की मांग करने वाले उपभोक्ताओं को निर्बाध पहुंच की अनुमति प्रदान कर सकता है।

2.2 निर्बाध पहुंच के लिए पात्रता और पूरी की जाने वाली शर्तें

1. इन विनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन,

क) कोई अनुज्ञाधारी;

ख) कैपटिव विद्युत संयंत्र सहित कोई उत्पादन कंपनी जिसका राज्य में स्वामित्व हो और/अथवा उसका संचालन करती हो या ऐसे स्वामित्व और/अथवा संचालन का आशय रखती हो; और

ग) विनियमों के खंड 2.1 के अनुसार वितरण अनुज्ञाधारी के अतिरिक्त अनुबंध मांग सहित कोई उपभोक्ता।

आयोग द्वारा इन विनियमों के अध्याय 4 के अनुसार यथा निर्धारित किए जाने वाले पारेषण और अन्य प्रभारों के भुगतान के उपरांत राज्य पारेषण यूटिलिटी की अंतः राज्य पारेषण प्रणाली या किसी अन्य अंतः राज्य पारेषण अनुज्ञाधारी की पारेषण प्रणाली की निर्बाध पहुंच का पात्र होगा :

बशर्ते कि अंतः राज्य पारेषण प्रणाली के संबंध में निर्बाध पहुंच प्रदान किया जाना इन विनियमों के अधीन कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन होगी।

2. इन विनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन,

क. एक ट्रेडिंग अनुज्ञाधारी;

ख. कैपटिव विद्युत संयंत्र सहित कोई उत्पादन कंपनी जिसका राज्य में स्वामित्व हो और/अथवा उसका संचालन करती हो या ऐसे स्वामित्व और/अथवा संचालन का आशय रखती हो; और

ग. विनियमों के खंड 2.1 के अनुसार अनुबंध मांग प्राप्त और अनुज्ञाधारी की वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ उपभोक्ता, बशर्ते कि आवेदक के पास ग्रिड उप-केन्द्र से जारी स्वतंत्र फीडर का कनेक्शन हो,

आयोग द्वारा इन विनियमों के अध्याय 4 के अनुसार यथा निर्धारित किए जाने वाले व्हीलिंग और अन्य प्रभारों के भुगतान के उपरांत वितरण अनुज्ञाधारी की वितरण प्रणाली से निर्बाध पहुंच प्राप्त करने का पात्र होगा:

बशर्ते कि जब कोई व्यक्ति, जिसने कैपटिव विद्युत संयंत्र की स्थापना की है, अपने स्वयं के उपयोग हेतु निर्धारित स्थान पर विद्युत ले जाने के लिए निर्बाध पहुंच का विकल्प चुनता है, तो विनियम के खंड 2.1 में विनिर्दिष्ट अनुबंध मांगों की सीमा लागू नहीं होगी:

बशर्ते कि वितरण फ्रैंचाइजी के क्षेत्र में स्थित उपभोक्ता भी निर्बाध पहुंच के लिए पात्र होगा:

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि वितरण प्रणाली फ्रैंचाइजी अपनी उपभोक्ता क्षमता के सिवाय निर्बाध पहुंच के लिए पात्र नहीं होगा:

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि वितरण प्रणाली के संबंध में निर्बाध पहुंच प्रदान किया जाना इन विनियमों के अधीन कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन होगी।

3. इन विनियमों के खंड 2.1 के अनुसार ऐसे अनुबंध मांग वाले उपभोक्ता, जिन्होंने स्वतंत्र फीडर से कनेक्शन प्राप्त नहीं किया है, भी निर्बाध पहुंच के लिए पात्र होंगे परंतु यह इस शर्त के अध्यक्षीन होगा कि वे प्रणाली की सीमाओं तथा उनको सेवा प्रदान करने वाली यूटिलिटी द्वारा फीडर पर लगाई गई पावर कट बाध्यताओं से सहमत हैं। ऐसे मामलों में वितरण

अनुज्ञाधारी का कर्तव्य एक ऐसे सामान्य वाहक का होगा जो अधिनियम की धारा 42(3) के अनुसार बिना भेदभाव के निर्बाध पहुंच प्रदान करे।

4. ऐसे व्यक्ति जिन्हें आवेदन के समय दीवालिया अथवा परिक्षीण घोषित किया गया हो अथवा उसके खिलाफ वितरण/पारेषण अनुज्ञाधारी का 2 माह से अधिक का बिल बकाया हो, वह निर्बाध पहुंच के लिए पात्र नहीं होंगे:

बशर्ते कि यदि बकाया राशि के संबंध में विवाद किसी मंच अथवा न्यायालय में लंबित हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'स्टे' प्रदान किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति निर्बाध पहुंच के लिए पात्र होगा।

2.3 मौजूदा वितरण अनुज्ञाधारियों के लिए प्रावधान

1. इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख को मौजूदा करार के अधीन राज्य में अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाले वितरण अनुज्ञाधारी, आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले पारेषण प्रभारों और/अथवा व्हीलिंग प्रभारों तथा अन्य लागू प्रभारों के भुगतान के उपरांत मौजूदा निबंधन और शर्तों के आधार पर ऐसी पारेषण और/अथवा वितरण प्रणाली से निर्बाध पहुंच जारी रखने के पात्र होंगे।
2. इन विनियमों के प्रभावी होने के 60 दिनों के भीतर मौजूदा वितरण अनुज्ञाधारी/अनुज्ञाधारियों को राज्य पारेषण यूटिलिटी और एमएलडीसी के पास अपने पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली और ऐसे उपयोग हेतु मौजूदा निबंधन और शर्तों का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा।

2.4 निर्बाध पहुंच प्राप्त करने वाले मौजूदा उपभोक्ताओं और उत्पादन कंपनी के लिए प्रावधान

1. इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख को करारों अथवा सरकारी नीतियों के अधीन निर्बाध पहुंच प्राप्त करने वाले 'कैपटिव' विद्युत संयंत्रों सहित मौजूदा उपभोक्ता अथवा उत्पादन कंपनी, तब तक करार अथवा राज्य की नीति के निबंधन और शर्तों के आधार पर निर्बाध पहुंच जारी रख सकेंगे जब तक कि इन विनियमों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले पारेषण प्रभारों और/अथवा व्हीलिंग प्रभारों तथा अन्य लागू प्रभारों के भुगतान के उपरांत करार/नीति की मौजूदा वैधता लागू है।
2. वितरण अनुज्ञाधारी अथवा खंड 2.4(1) के अधीन कैपटिव विद्युत संयंत्रों सहित उत्पादन कंपनी के अतिरिक्त मौजूदा उपभोक्ता द्वारा राज्य पारेषण यूटिलिटी और एसएलडीसी के पास उपयोग की गई क्षमता, अन्तःक्षेपण प्वाइंट, प्रापण प्वाइंट, निर्बाध पहुंच प्राप्त करने की अवधि, अधिकतम लोड, औसत लोड और राज्य पारेषण यूटिलिटी अथवा एसएलडीसी द्वारा अपेक्षित अन्य ऐसे सभी ब्यौरे इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर प्रस्तुत करने होंगे।

2.5 देय राशि का निपटारा

वितरण प्रणाली से निर्बाध पहुंच का आवेदन करने वाले उपभोक्ता को ऐसा आवेदन करने से पूर्व वितरण अनुज्ञाधारी की सभी देय राशि का भुगतान करना होगा:

बशर्ते कि, जिन मामलों में विद्युत के किन्हीं प्रभारों के भुगतान के संबंध में वितरण अनुज्ञाधारी और उपभोक्ता के बीच विवाद हो, ऐसे मामलों में अधिनियम की धारा 56 के अनुसार विवादित राशि वितरण अनुज्ञाधारी के पास जमा करवाए जाने के उपरांत ऐसे विवाद के लंबित होने तक उपभोक्ता को निर्बाध पहुंच प्रदान की जा सकती है:

इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि वितरण अनुज्ञाधारी द्वारा विवादित धनराशि पर बैंक ब्याज दर के समान दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जो विवाद का उपभोक्ता के पक्ष में निपटान होने पर उसे वापस प्रदान कर दी जाएगी।

2.6.1 फाइनल मीटर रीडिंग

वितरण अनुज्ञाधारी द्वारा निर्बाध पहुंच प्रारंभ होने की तारीख को उपभोक्ता की फाइनल मीटर रीडिंग ली जाएगी :

बशर्ते कि फाइनल मीटर रीडिंग उपभोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि, और उत्पादन कंपनी या उस अनुज्ञाधारी की उपस्थिति में, उन्हें लिखित में सूचना देने के उपरांत, ली जाएगी जिससे उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने का इच्छुक है :

इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति/संस्था अनुसूची के अनुसार उपस्थित नहीं है, तो वितरण अनुज्ञाधारी फाइनल रीडिंग लेकर तदनुसार उन्हें सूचित कर सकता है।

2.7 निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए मानदंड

1. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच पारेषण प्रणाली योजना मानदंड और राज्य ग्रिड कोड में किए गए निर्धारित वितरण प्रणाली योजना मानदंड अथवा आयोग द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार प्रदान की जाएगी :

बशर्ते कि आवेदक को पारेषण और/अथवा वितरण प्रणाली के लिए अपेक्षित किसी भी प्रकार के सुदृढीकरण की लागत वहन करनी होगी।

2. मध्य कालिक निर्बाध पहुंच तभी प्रदान की जाएगी, यदि परिणामी विद्युत प्रवाह को मौजूदा पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली में समायोजित किया जा सके :

बशर्ते कि सामान्य तौर पर केवल मध्य कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के प्रयोजन से पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली का कोई सुदृढीकरण नहीं किया जाएगा :

हालांकि, यदि सुदृढीकरण की आवश्यकता हो और यदि आवेदक ऐसे प्रणाली सुदृढीकरण की लागत वहन करने के लिए तैयार हो, तो आवेदक को दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए लागू प्रक्रिया-विधि के अनुसार मध्य कालिक निर्बाध पहुंच, जैसा भी मामला हो, प्रदान की जा सकती है।

3. कोई उपभोक्ता अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि उपभोक्ताओं द्वारा दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच और मध्य कालिक निर्बाध पहुंच का उपयोग किए जाने के उपरांत अंतः राज्य पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली में अतिरिक्त क्षमता मौजूद हो; जो निम्न के कारण हो सकती है :

क) अन्तः निर्मित अभिकल्पना मार्जिन

ख) विद्युत प्रवाह में उतार-चढ़ाव के कारण उपलब्ध मार्जिन

ग) भविष्य की भार वृद्धि को पूरा करने के लिए सृजित अंतः निर्मित अतिरिक्त पारेषण/वितरण क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन :

बशर्ते कि केवल अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के प्रयोजन से पारेषण प्रणाली में कोई सुदृढीकरण नहीं किया जाएगा।

4. इन विनियमों के प्रयोजनार्थ किसी समर्पित पारेषण लाइन/वितरण प्रणाली के निर्माण को पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण नहीं माना जाएगा।

अध्याय 3 : आवेदन प्रक्रिया-विधि और अनुमोदन

3.1 निर्बाध पहुंच वाले उपभोक्ताओं की श्रेणियां

पात्र उपभोक्ताओं द्वारा निर्बाध पहुंच प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया-विधि, आवेदन शुल्क और अनुरोधों को संसाधित करने के लिए समय-सीमा निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगी:-

क) प्रणाली, जिससे कनेक्टिड है :

i. अंतः राज्य पारेषण प्रणाली

ii. वितरण प्रणाली

ख) प्रापण और अंतःक्षेपण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति :

i. वितरण प्रणाली

ii. परस्पर पारेषण प्रणाली

iii. विभिन्न राज्यों में

- ग) निर्बाध पहुंच की अवधि :
- दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच
 - मध्यकालिक निर्बाध पहुंच
 - अल्पकालिक निर्बाध पहुंच
- घ) समझौते का प्रकार :
- विद्युत आदान-प्रदान के माध्यम से सामूहिक समझौता
 - आपसी सहमति के अनुसार द्विपक्षीय समझौते

3.2 निर्बाध पहुंच के लिए नोडल एजेंसी और शुल्क

- निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और यह इन विनियमों के अनुसार नोडल एजेंसी के पास जमा करवाया जाएगा। आवेदन शुल्क में किसी भी भार प्रवाह अथवा नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रणाली अध्ययनों के प्रभार शामिल होंगे।
- नोडल एजेंसी इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने के 180 दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट और/अथवा मोबाइल आधारित आवेदन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निर्बाध पहुंच आवेदन जमा करवाने की सुविधा प्रदान करेगी।
- इन विनियमों के उपबंधों के अध्याधीन नोडल एजेंसी, आवेदन शुल्क, आवेदन का निपटान करने के लिए समय-सीमा और आवेदन पत्र के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज निम्न तालिकाओं के अनुसार होंगे :

बशर्ते कि नवीकरणीय ऊर्जा वाले निर्बाध पहुंच समझौतों के लिए आवेदन शुल्क 50 प्रतिशत होगा :

तालिका 2 : अल्पकालिक निर्बाध पहुंच (नोडल एजेंसी, शुल्क, समयावधि और दस्तावेज)

क्र.सं.	अन्तःक्षेपण और प्रापण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति	नोडल एजेंसी	आवेदन शुल्क (रूपये)	आवेदन का निपटान करने की समयावधि (आवेदन प्राप्ति से दिवस)	आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज
आवेदक को वितरण प्रणाली से कनेक्शन प्रदान किया जाता है					
1	दोनों का एक ही वितरण अनुज्ञाधारी क्षेत्र के भीतर होना	एसएलडी सी	2,000	जैसा कि खंड 3.7 में प्रावधान किया गया है।	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण पीपीए अथवा विद्युत का क्रय-विक्रय करार एसईएम की संस्थापना का प्रमाण
2	दोनों का एक ही राज्य में होना परंतु अलग-अलग वितरण अनुज्ञाधारियों के क्षेत्रों में स्थित होना	एसएलडी सी	5,000	यथोपरोक्त	यथोपरोक्त। इसके अतिरिक्त सभी वितरण अनुज्ञाधारियों से सहमति प्राप्त क जाएगी।
3	राज्य के भीतर अंतः राज्य पारेषण प्रणाली में अन्तःक्षेपण बिन्दु	एसएलडी सी	5,000	यथोपरोक्त	यथोपरोक्त।
4	विद्युत केन्द्र से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने का विकल्प अपनाने वाले उपभोक्ता	एनएलडी सी		केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार	
5	विभिन्न राज्यों में	आरएलडी सी		केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार	

क्र.सं.	अन्तःक्षेपण और प्रापण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति	नोडल एजेंसी	आवेदन शुल्क (रूपये)	आवेदन का निपटान करने की समयावधि (आवेदन प्राप्ति से दिवस)	आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज
आवेदक को अंतः राज्य पारेषण नेटवर्क से कनेक्शन प्रदान किया जाता है					
1	दोनों का एक ही राज्य में होना (अंतः राज्य पारेषण नेटवर्क में)	एसएलडी सी	5,000	जैसाकि खंड 3.7 में प्रावधान किया गया है।	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण पीपीए अथवा विद्युत का क्रय-विक्रय करार एसईएम की संस्थापना का प्रमाण
2	राज्य के भीतर वितरण नेटवर्क में अंतः क्षेपण प्वाइंट	एसएलडी सी	5,000	यथोपरोक्त	यथोपरोक्त
3	विद्युत केन्द्र से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने का विकल्प अपनाने वाले उपभोक्ता	एनएलडी सी	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार		
4	विभिन्न राज्यों में	आरएलडी सी	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार		

तालिका : 3 मध्यकालिक निर्बाध पहुंच (नोडल एजेंसी, शुल्क, समयावधि और दस्तावेज)

क्र.सं.	अन्तःक्षेपण और प्रापण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति	नोडल एजेंसी	आवेदन शुल्क (रूपये)	आवेदन का निपटान करने की समयावधि (आवेदन प्राप्ति से दिवस)	आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज
आवेदक को वितरण प्रणाली से कनेक्शन प्रदान किया जाता है					
1	दोनों का एक ही वितरण अनुज्ञाधारी क्षेत्र के भीतर होना	एसएलडी सी	25,000	20	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण बैंक गारंटी पीपीए अथवा विद्युत क्रय-विक्रय करार यदि उत्पादन केन्द्र या उपभोक्ता ग्रिड से पहले से कनेक्टिड न हो, तो यह दर्शाते हुए कनेक्टिविटी पूरी होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि इसे आशयित निर्बाध पहुंच की तारीख से पहले पूरा कर लिया जाएगा। एसईएम की संस्थापना का प्रमाण।
2	दोनों का एक ही राज्य में होना परंतु अलग-अलग वितरण अनुज्ञाधारियों के क्षेत्रों में स्थित होना	एसएलडी सी	50,000	30	यथोपरोक्त। इसके अतिरिक्त सभी वितरण अनुज्ञाधारियों से सहमति प्राप्त क जाएगी।

क्र.सं.	अन्तःक्षेपण और प्रापण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति	नोडल एजेंसी	आवेदन शुल्क (रूपये)	आवेदन का निपटान करने की समयावधि (आवेदन प्राप्ति से दिवस)	आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज
3	राज्य के भीतर अंतः राज्य पारेषण प्रणाली में अन्तःक्षेपण बिन्दु	एसएलडी सी	50,000	30	यथोपरोक्त।
4	विभिन्न राज्यों में	सीटीयू	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार		
आवेदक को अंतः राज्य पारेषण नेटवर्क से कनेक्शन प्रदान किया जाता है।					
1	दोनों का एक ही राज्य में होना (अंतः राज्य पारेषण नेटवर्क में)	एसएलडी सी	50,000	30	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण बैंक गारंटी पीपीए अथवा विद्युत क्रम-विक्रय करार यदि उत्पादन केन्द्र या उपभोक्ता ग्रिड से पहले से कनेक्टिड न हो, तो यह दर्शाते हुए कनेक्टिविटी पूरी होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि इसे आशयित निर्बाध पहुंच की तारीख से पहले पूरा कर लिया जाएगा। एसईएम की संस्थापना का प्रमाण
2	दोनों का एक ही राज्य परंतु अलग-अलग वितरण अनुज्ञाधारियों के क्षेत्र में होना	एसएलडी सी	50,000	30	यथोपरोक्त।
3	विभिन्न राज्यों में	सीटीयू	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार		

तालिका 4 : दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच (नोडल एजेंसी, शुल्क, समयावधि और दस्तावेज

क्र.सं.	अन्तःक्षेपण और प्रापण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति	नोडल एजेंसी	आवेदन शुल्क (रूपये)	आवेदन का निपटान करने की समयावधि (आवेदन प्राप्ति से दिवस)	आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज
आवेदक को वितरण प्रणाली से कनेक्शन प्रदान किया जाता है।					
1	दोनों का एक ही वितरण अनुज्ञाधारी के क्षेत्र में होना	एसएलडी सी	100,000	30	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण बैंक गारंटी पीपीए अथवा विद्युत क्रम-विक्रय करार यदि उत्पादन केन्द्र या उपभोक्ता ग्रिड से पहले से कनेक्टिड न हो, तो यह दर्शाते हुए कनेक्टिविटी पूरी होने के

क्र.सं.	अन्तःक्षेपण और प्रापण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति	नोडल एजेंसी	आवेदन शुल्क (रूपये)	आवेदन का निपटान करने की समयावधि (आवेदन प्राप्ति से दिवस)	आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज
					दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि इसे आशयित निर्बाध पहुंच की तारीख से पहले पूरा कर लिया जाएगा। • एसईएम की संस्थापना का प्रमाण
2	दोनों का एक ही राज्य परंतु अलग-अलग वितरण अनुज्ञाधारियों के क्षेत्र में होना	एसएलडी सी	200,000	<ul style="list-style-type: none"> जहां पारेषण/वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं हो वहां 120 दिन अन्यथा 150 दिन 	यथोपरोक्त। इसके अतिरिक्त सभी वितरण अनुज्ञाधारियों से सहमति प्राप्त क जाएगी।
3	राज्य के भीतर अंतः राज्य पारेषण प्रणाली में अन्तःक्षेपण बिन्दु	एसटीयू	200,000	यथोपरोक्त।	यथोपरोक्त।
4	विभिन्न राज्यों में	सीटीयू	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार		
आवेदक को अंतः राज्य पारेषण नेटवर्क से कनेक्शन प्रदान किया जाता है।					
1	दोनों का एक ही राज्य में होना (अंतःराज्य पारेषण नेटवर्क में)	एसटीयू	200,000	<ul style="list-style-type: none"> जहां पारेषण/वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं हो वहां 120 दिन अन्यथा 150 दिन 	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण बैंक गारंटी पीपीए अथवा विद्युत क्रम-विक्रय करार यदि उत्पादन केन्द्र या उपभोक्ता ग्रिड से पहले से कनेक्टिड न हो, तो यह दर्शाते हुए कनेक्टिविटी पूरी होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि इसे आशयित निर्बाध पहुंच की तारीख से पहले पूरा कर लिया जाएगा। एसईएम की संस्थापना का प्रमाण
2	राज्य के भीतर वितरण नेटवर्क में अन्तःक्षेपण बिन्दु	एसटीयू	200,000	यथोपरोक्त।	यथोपरोक्त।
3	विभिन्न राज्यों में	सीटीयू	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार		

3.3 अंतः राज्य पारेषण प्रणाली को अंतर्भूत करते हुए निर्बाध पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया-विधि

1. अंतः राज्य पारेषण प्रणाली को अंतर्भूत करते हुए दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच अथवा मध्य कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया-विधि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतः राज्य पारेषण और संबंधित मामलों में कनेक्टिविटी, दीर्घकालिक सुलभता और मध्य कालिक सुलभता प्रदान करना) विनियम, 2009, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार होगी। अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया-विधि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतः राज्य पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार होगी।
2. एसटीयू दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच अथवा मध्य कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने हेतु आवेदन के मामले में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2009, समय-समय पर यथा संशोधित, के उपबंधों के अनुसार अपनी सहमति अथवा असहमति प्रदान करेगा। अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के मामले में, एसटीयू केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2008, समय-समय पर यथा संशोधित, के उपबंधों के अनुसार अपनी सहमति अथवा असहमति प्रदान करेगा।

बशर्ते कि अंतः राज्य दीर्घकालिक या मध्य कालिक अथवा अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने वाले ऐसे उपभोक्ताओं के संबंध में, जो वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं, एसएलडीसी अपनी सहमति प्रदान करने से पूर्व विनियमों के खंड 3.8 के अनुरूप संबंधित वितरण अनुज्ञाधारी की सहमति प्राप्त करेगा।

3.4 निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए समन्वय समिति का गठन और विस्तृत प्रक्रिया-विधि

1. एसटीयू इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख से 10 दिन के भीतर एक समन्वय समिति का गठन करेगा। समन्वय समिति में वितरण अनुज्ञाधारी, पारेषण अनुज्ञाधारी और एसएलडीसी प्रत्येक का एक नामिति होगा। एसटीयू का नामिति समन्वय समिति का अध्यक्ष होगा।
2. इन विनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन, समन्वय समिति इन विनियमों के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर अपेक्षित प्रपत्रों सहित कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच प्रदान करने संबंधी विस्तृत प्रक्रिया-विधि तैयार करते हुए, इन्हें अनुमोदनार्थ आयोग के पास प्रस्तुत करेगी। आयोग के अनुमोदन के उपरांत विस्तृत प्रक्रिया जारी की जाएगी।
3. विस्तृत प्रक्रिया में विशेष तौर पर शामिल किया जाएगा,
 - क) कनेक्टिविटी हेतु आवेदन प्रपत्र
 - ख) दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच आवेदन प्रपत्र
 - ग) मध्यकालिक निर्बाध पहुंच आवेदन प्रपत्र
 - घ) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदन प्रपत्र
 - ङ) वितरण अनुज्ञाधारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रोफार्मा
 - च) कनेक्टिविटी करारों के लिए मानक प्रपत्र
 - छ) निर्बाध पहुंच करारों के लिए मानक प्रपत्र
 - ज) शपथ-पत्र प्रोफार्मा
 - झ) खंड 7.3 (2) के अनुसार वाणिज्यिक शर्तें और निबन्धन
 - ञ) निर्बाध पहुंच को कम करने के लिए दिशा-निर्देश
 - ट) वितरण अनुज्ञाधारी से स्टैंडबाय विद्युत प्रापण के लिए आवेदन फार्मेट
 - ठ) निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के लिए समतुलित प्रभारों सहित प्रभारों की गणना के लिए सदृश्य उदाहरण; और
 - ड) सामान्य अनुदेश

3.5 अंतः राज्य पारेषण और/अथवा वितरण प्रणाली को अंतर्भूत करते हुए दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया-विधि

1. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने का आवेदन-पत्र विनियमों के खंड 3.2 में यथा विनिर्दिष्ट 'नान-रिफंडेबल' आवेदन शुल्क सहित नोडल एजेंसी के पास प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें विद्युत की मात्रा सहित उस संस्था अथवा संस्थाओं के नाम जिससे विद्युत प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, ग्रिड में अन्तःक्षेपण बिन्दु और ग्रिड से प्रापण बिन्दु सहित ऐसे अन्य व्यौरे प्रदान किए जाएंगे, जिनका निर्धारण विनियमों के खंड 3.4 के अधीन विस्तृत प्रक्रिया-विधि में किया गया है:

बशर्ते कि नोडल एजेंसी द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो कार्य-दिवसों के भीतर आवेदक को किसी त्रुटि अथवा अधूरी सूचना की जानकारी प्रदान की जाएगी।

बशर्ते कि जिन मामलों में आवेदक की अवस्थिति में कोई वास्तविक बदलाव होता है अथवा अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग करते हुए आदान-प्रदान की जाने वाली विद्युत की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन होता है, तो नए सिरे से आवेदन किया जाएगा जिस पर इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार विचार किया जाएगा।

2. आवेदन के साथ 10,000 रुपये प्रति मेगावाट की दर अथवा कुल पारेषित की जाने वाली विद्युत के तत्संबंधी भाग के लिए बैंक गारंटी प्रदान की जाएगी। बैंक गारंटी विस्तृत प्रक्रिया-विधि के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में नोडल एजेंसी के पक्ष में देय होगी।
3. बैंक गारंटी दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच करार के कार्यान्वयन तक, जब पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण अपेक्षित हो, और दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच का प्रचालन किए जाने तक, जब पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण अपेक्षित न हो, वैध रखी जाएगी।
4. निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी द्वारा निर्बाध पहुंच समझौते के लिए वितरण अनुज्ञाधारियों, एसएलडीसी, एसटीयू और अन्य एजेंसियों, यथा अपेक्षित से सभी प्रकार की अनुमति और मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
5. आवेदक द्वारा अंतः राज्य पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग करते हुए आदान-प्रदान की जाने वाली विद्युत और विभिन्न संस्थाओं अथवा क्षेत्रों से या उन तक पारेषित की जाने वाली विद्युत के मूल्यांकन आधार सहित नोडल एजेंसी द्वारा मांगी गई अन्य सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान की जाएंगी ताकि नोडल एजेंसी व्यापक तौर पर अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली की योजना बना सके।
6. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच करार पर हस्ताक्षर किए जाने या दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच को प्रचालित किए जाने, यथा लागू अथवा ऐसे आवेदन को निरस्त किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर आवेदक को बैंक गारंटी वापस लौटा दी जाएगी।
7. यदि आवेदक द्वारा आवेदन को वापस ले लिया जाए अथवा दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच अधिकारों को ऐसे अधिकार प्रारंभ होने से पूर्व, जब पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण आवश्यक न हो, परित्याग कर दिया जाए तो नोडल एजेंसी द्वारा बैंक गारंटी को भुनाया जा सकता है।
8. नोडल एजेंसी, उपयोग की जाने वाली अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली में शामिल अन्य एजेंसियों के परामर्श और समन्वय से आवेदन को संसाधित करती है और यथाशीघ्र आवश्यक प्रणाली अध्ययन करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दीर्घकालिक सुलभता प्रदान करने का निर्णय विनियमों के खंड 3.2 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया सके :

बशर्ते कि नोडल एजेंसी द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख किए बिना किसी आवेदन को निरस्त नहीं किया जाएगा :

इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि विनियमों के खंड 3.2 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्बाध पहुंच प्रदान करने अथवा निरस्त करने की कोई जानकारी प्रदान न किए जाने की स्थिति में निर्बाध पहुंच प्रदान की हुई मानी जाएगी, जो प्रणाली की उपलब्धता के अध्यधीन होगी।

9. प्रणाली अध्ययनों के आधार पर नोडल एजेंसी उस अंतः राज्य पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली को विनिर्दिष्ट करेगी जिनसे दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान किया जाना अपेक्षित हो :

बशर्ते कि जहां सुदृढीकरण किए बिना दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच की अनुमति प्रदान की जा सकती है, वहां ऐसी अनुमति वाणिज्यिक करार किए जाने के उपरांत तत्काल प्रदान की जाएगी।

10. जहां मौजूदा अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण करना अपेक्षित है, वहां इसकी जानकारी आवेदक को प्रदान की जाएगी। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर आवेदक नोडल एजेंसी से लागत का अनुमान लगाने और प्रणाली सुदृढीकरण के लिए अपेक्षित समय का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्रणाली को और अध्ययन और प्रारंभिक जांच करने का अनुरोध कर सकता है:
- बशर्ते कि नोडल एजेंसी आवेदक से तत्संबंधी पुष्टि प्राप्त होने पर तीस दिन के भीतर आवेदक को लागत अनुमानों, संभावित पूरा होने की समय-सीमा और प्रणाली सुदृढीकरण के पश्चात् निर्बाध पहुंच प्रदान करने की संभावित तारीख की जानकारी प्रदान करेगी :
- बशर्ते कि यदि आवेदक प्रणाली सुदृढीकरण के साथ निर्बाध पहुंच प्राप्त करने के लिए सहमत नहीं होता है, तो उसका आवेदन निरस्त करते हुए बैंक गारंटी जारी कर दी जाएगी।
11. आवेदक तदनुसार नोडल एजेंसी के पास सुदृढीकरण के लिए अनुमानित धनराशि जमा करवाएगा।
12. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करते समय, नोडल एजेंसी आवेदक को दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने की तारीख तथा मौजूदा लागतों और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पारेषण प्रभारों को साझा किए जाने की पद्धति और मूल्यों के आधार पर भुगतान किए जाने वाले अनुमानित पारेषण प्रभारों की जानकारी प्रदान करेगी।
13. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने के तत्काल बाद, नोडल एजेंसी एसएलडीसी को इसकी सूचना प्रदान करेगी ताकि एलएलडीसी द्वारा इन विनियमों के अधीन प्राप्त मध्यकालिक और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अनुरोधों पर विचार करते समय इसका ध्यान रखा जा सके।
14. आवेदक द्वारा निम्नानुसार विस्तृत प्रक्रिया-विधि में किए गए उपबंधों के अनुरूप संबंधित अनुज्ञाधारी के साथ दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे :
- क) यदि एसटीयू की केवल पारेषण प्रणाली पर दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की गई हो, तो एसटीयू के साथ,
- ख) एसटीयू और उन सभी अनुज्ञाधारियों के साथ जिनकी पारेषण/वितरण प्रणाली पर दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की गई है। ऐसे करार तीन या उससे अधिक पक्षकारों के बीच हो सकते हैं।
15. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच करार विस्तृत प्रक्रिया-विधि में प्रदत्त करार फार्मेट में होगा और इसमें दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रारंभ होने की तारीख, ग्रिड में पावर अन्तःक्षेपित किए जाने का प्वाइंट, ग्रिड से विद्युत प्रापण प्वाइंट और समर्पित पारेषण लाइन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाएगा। यदि पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण अपेक्षित हो, तो दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच करार में इसके निर्माण की समय-सीमा, आवेदक द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंक गारंटी और विस्तृत प्रक्रिया-विधि में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरों का उल्लेख किया जाएगा।
16. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के लिए प्राप्त परवर्ती आवेदन, जहां पूर्व आवेदक द्वारा खर्च से निर्मित समर्पित प्रणाली का उपयोग किया जा सकता हो, के मामले में उक्त पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को प्रणाली का उपयोग किए जाने के समानुपात में प्रभारों का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, यह प्रबंध शामिल पक्षकारों की आपसी सहमति के अधीन होगा।
17. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच की अवधि समाप्त होने पर नोडल एजेंसी द्वारा ऐसे उपभोक्ता से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसका विस्तार किया जा सकता है। ऐसे अनुरोध के साथ इन विनियमों के अनुसार आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा :
- बशर्ते कि ऐसा अनुरोध मौजूदा दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच समाप्त होने की तारीख से 6 माह पूर्व प्रस्तुत किया गया हो। दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता अनुरोध में उस अवधि का स्पष्ट उल्लेख करेगा जिसके लिए विस्तार किया जाना अपेक्षित है :
- इसके अतिरिक्त बशर्ते कि यदि विनिर्दिष्ट समय में उपभोक्ता से लिखित में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच, जिस तारीख तक इसे प्रारंभ में प्रदान की गई थी, के 24.00 बजे, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
18. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच अवधि समाप्त होने के उपरांत दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता अवधि नवीनीकरण के लिए किसी प्रकार की अतिलंघन वरीयता का पात्र नहीं होगा।
19. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता इन विनियमों के खंड 9.1 में यथा प्रदत्त क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के उपरांत दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के अधिकार का पूर्ण तौर पर अथवा, आंशिक तौर पर, इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व, परित्याग कर सकता है।

3.6 अंतः राज्य पारेषण और/अथवा वितरण प्रणाली को अंतर्भूत करते हुए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया-विधि

1. मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने का आवेदन-पत्र विनियमों के खंड 3.2 में यथा विनिर्दिष्ट 'नान-रिफंडेबल' आवेदन शुल्क सहित नोडल एजेंसी के पास प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें विद्युत की मात्रा सहित उस संस्था अथवा संस्थाओं के नाम जिससे विद्युत प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, ग्रिड में अन्तःक्षेपण बिन्दु और ग्रिड से प्रापण बिन्दु सहित ऐसे अन्य व्यौरे प्रदान किए जाएंगे, जिनका निर्धारण विनियमों के खंड 3.4 के अधीन विस्तृत प्रक्रिया-विधि में किया गया है:

बशर्ते कि जिन मामलों में आवेदक की अवस्थिति में कोई वास्तविक बदलाव होता है अथवा अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग करते हुए आदान-प्रदान की जाने वाली विद्युत की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन होता है, तो नए सिरे से आवेदन किया जाएगा जिस पर इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार विचार किया जाएगा।

2. मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने का आवेदन नोडल एजेंसी के पास निर्बाध पहुंच को प्रारंभ किए जाने की आशयित तारीख से 3 माह से 12 माह की अवधि पूर्व किया जाएगा :

उदाहरण के लिए : 1 अगस्त, 2016 को प्रारंभ होने वाली मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन 1 अगस्त, 2015 से अप्रैल, 2016 के अंतिम दिन तक किया जा सकता है :

बशर्ते कि नोडल एजेंसी द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो कार्य-दिवसों के भीतर आवेदक को किसी त्रुटि अथवा अधूरी सूचना की जानकारी प्रदान की जाएगी।

3. आवेदन के साथ 2,000 रुपये प्रति मेगावाट की दर अथवा कुल पारेषित की जाने वाली विद्युत के तत्संबंधी भाग के लिए बैंक गारंटी प्रदान की जाएगी। बैंक गारंटी विस्तृत प्रक्रिया-विधि के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में नोडल एजेंसी के पक्ष में देय होगी।
4. बैंक गारंटी मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को प्रचलित किए जाने तक वैध होगी।
5. यदि आवेदक द्वारा आवेदन को वापस ले लिया जाए अथवा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच अधिकारों का ऐसे अधिकार प्रारंभ होने से पूर्व ही परित्याग कर दिया जाता है, तो नोडल एजेंसी द्वारा बैंक गारंटी को भुनाया जा सकता है।
6. मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी द्वारा निर्बाध पहुंच समझौते के लिए वितरण अनुज्ञाधारियों, एसएलडीसी, एसटीयू और अन्य एजेंसियों, यथा अपेक्षित से सभी प्रकार की अनुमति और मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
7. नोडल एजेंसी, उपयोग की जाने वाली अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली में शामिल अन्य एजेंसियों के परामर्श और समन्वय से आवेदन को संसाधित करती है और यथाशीघ्र आवश्यक प्रणाली अध्ययन करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दीर्घकालिक सुलभता प्रदान करने का निर्णय विनियमों के खंड 3.2 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया सके :

बशर्ते कि नोडल एजेंसी द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख किए बिना किसी आवेदन को निरस्त नहीं किया जाएगा :

इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि विनियमों के खंड 3.2 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्बाध पहुंच प्रदान करने अथवा निरस्त करने की कोई जानकारी प्रदान न किए जाने की स्थिति में निर्बाध पहुंच प्रदान की हुई मानी जाएगी, जो प्रणाली की उपलब्धता के अध्यधीन होगी।

8. इस बात से संतुष्ट होने पर कि विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं, जिनके संबंध में मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के मानदंडों को पूरा किया गया है, पूरी की गई है, नोडल एजेंसी आवेदन में उल्लिखित अवधि के लिए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने संबंधी निर्णय की जानकारी प्रदान करेगी :

बशर्ते कि लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों और आवेदक की सहमति से नोडल एजेंसी आवेदक द्वारा प्रार्थित समय से कम अवधि के लिए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान कर सकती है :

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि यदि निर्बाध पहुंच क्षमता प्रार्थित क्षमता से कम उपलब्ध है और इसी अवधि के लिए 2 या इससे अधिक लोगों ने आवेदन किया है, तो ऐसे आवेदकों के सहमत होने पर उपलब्ध क्षमता को प्रत्येक आवेदक को समानुपात में आवंटित किया जाएगा।

9. आवेदक द्वारा निम्नानुसार विस्तृत प्रक्रिया-विधि में किए गए उपबंधों के अनुरूप संबंधित अनुज्ञाधारी के साथ मध्यकालिक निर्बाध पहुंच करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे :
 - क) यदि एसटीयू की केवल पारेषण प्रणाली पर मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की गई हो, तो एसटीयू के साथ,
 - ख) एसटीयू और उन सभी अनुज्ञाधारियों के साथ जिनकी पारेषण/वितरण प्रणाली पर मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की गई है। ऐसे करार तीन या उससे अधिक पक्षकारों के बीच हो सकते हैं।
10. मध्यकालिक निर्बाध पहुंच करार विस्तृत प्रक्रिया-विधि में प्रदत्त करार फार्मेट में होगा और इसमें मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रारंभ होने की तारीख, ग्रिड में पावर अन्तःक्षेपित किए जाने का प्वाइंट, ग्रिड से विद्युत प्रापण प्वाइंट और समर्पित पारेषण लाइन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाएगा। यदि पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण अपेक्षित हो, तो मध्यकालिक निर्बाध पहुंच करार में इसके निर्माण की समय-सीमा, आवेदक द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंक गारंटी और विस्तृत प्रक्रिया-विधि में विनिर्दिष्ट अन्य व्यौरों का उल्लेख किया जाएगा।
11. दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने के तत्काल बाद, नोडल एजेंसी एसएलडीसी को इसकी सूचना प्रदान करेगी ताकि एसएलडीसी द्वारा इन विनियमों के अधीन प्राप्त अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अनुरोधों पर विचार करते समय इसका ध्यान रखा जा सके।
12. मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की अवधि समाप्त होने पर नोडल एजेंसी द्वारा ऐसे उपभोक्ता से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसका विस्तार किया जा सकता है। ऐसे अनुरोध के साथ इन विनियमों के अनुसार आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा :
बशर्ते कि ऐसा अनुरोध मौजूदा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच समाप्त होने की तारीख से 1 माह पूर्व प्रस्तुत किया गया हो। मध्यकालिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता अनुरोध में उस अवधि का स्पष्ट उल्लेख करेगा जिसके लिए विस्तार किया जाना अपेक्षित है :
13. मध्यकालिक निर्बाध पहुंच अवधि समाप्त होने के उपरांत मध्यकालिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता अवधि नवीनीकरण के लिए किसी प्रकार की अतिलंघन वरीयता का पात्र नहीं होगा।
14. मध्यकालिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता इन विनियमों के खंड 9.1 में यथा प्रदत्त क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के उपरांत मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अधिकार का पूर्ण तौर पर अथवा, आंशिक तौर पर, इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व, परित्याग कर सकता है।

3.7 अंतः राज्य पारेषण और/अथवा वितरण प्रणाली को अंतर्भूत करते हुए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया-विधि

1. अग्रिम तौर पर निर्बाध पहुंच :

- (i) अंतः राज्य अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने के लिए आवेदन विस्तृत प्रक्रिया-विधि में निर्धारित प्रपत्र में नोडल एजेंसी के पास प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अपेक्षित क्षमता, उत्पादन योजना अथवा विद्युत क्रय अनुबंध, अंतःक्षेपण प्वाइंट, प्रापण प्वाइंट, निर्बाध पहुंच प्राप्त करने की अवधि, अधिकतम भार, औसत भार और नोडल एजेंसी द्वारा अपेक्षित अन्य अतिरिक्त सूचनाओं का व्यौरा प्रदान किया जाएगा। आवेदन के साथ खंड 3.2 में विनिर्दिष्ट 'नान-रिफन्डेबल' आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा :

बशर्ते कि प्रत्येक माह और माह में प्रत्येक लेन-देन के लिए अलग आवेदन किया जाएगा, यदि अन्तःक्षेपण और प्रापण प्वाइंट्स अलग-अलग हों :

बशर्ते कि 'कैपटिव' विद्युत कंपनी एकल अन्तःक्षेपण और विविध प्रापण प्वाइंट्स के साथ एक ही आवेदन कर सकती है।

- (ii) आवेदन इस बात का ध्यान रखते हुए चार माह पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है कि आवेदन किया जाने वाला महीना प्रथम महीना होना चाहिए परंतु यह आगामी माह की 15 तारीख के बाद जमा नहीं किया जा सकेगा :

उदाहरण के लिए : अगस्त माह में अल्प कालिक निर्बाध पहुंच आवेदन 1 अप्रैल और 15 जुलाई के बीच प्रस्तुत किया जा सकेगा :

बशर्ते कि नोडल एजेंसी आवेदन प्राप्ति के एक दिन के भीतर आवेदक को किसी त्रुटि अथवा अधूरी सूचना की जानकारी प्रदान करेगी।

- (iii) माह की 15 तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों को एक ही समय पर प्राप्त समझा जाएगा।

- (iv) निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी द्वारा निर्बाध पहुंच समझौते के लिए वितरण अनुज्ञाधारियों, एसएलडीसी, एसटीयू और अन्य एजेंसियों, यथा अपेक्षित से सभी प्रकार की अनुमति और मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
- (v) करारों के स्वरूप के आधार पर नोडल एजेंसी निम्नलिखित तरीके से अंतः राज्य अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदनों पर निर्णय लेगी :
- क) पूर्ववर्ती माह की 15 तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाएगा और इन्हें इन विनियमों में विनिर्दिष्ट आबंटन वरीयता मानदंडों के अनुसार संसाधित किया जाएगा।
- ख) नोडल एजेंसी अंतः राज्य निर्बाध पहुंच प्रदान करने से पूर्व प्रस्तावित अल्पकालिक करार में शामिल पारेषण और वितरण प्रणाली के किसी तत्व, लाइन अथवा ट्रांसफार्मर के परिणामी 'कंजेशन' का ध्यान रखेगी।
- ग) नोडल एजेंसी इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है और आवेदक ने सभी अन्य तकनीकी/मीटरिंग अपेक्षाओं की अनुपालना की है, आवेदन प्राप्ति माह के पूर्व माह की 19 तारीख तक भुगतान अनुसूची सहित निर्धारित फार्मेट में निर्बाध पहुंच प्रदान करने अथवा अन्यथा की जानकारी प्रदान करेगी।
- घ) यदि नोडल एजेंसी द्वारा किसी पात्र आवेदक को निर्बाध पहुंच प्रदान नहीं की जाती है तो उसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा :
- बशर्ते कि उक्त खंड 3.7 (i) (v) (ख) में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्बाध पहुंच प्रदान करने अथवा मना करने संबंधी कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है, तो निर्बाध पहुंच प्रदान की हुई मानी जाएगी, जो प्रणाली उपलब्धता के अध्यधीन होगी।
- (vi) यदि नोडल एजेंसी को 'कंजेशन' का अंदेशा हो, तो यह आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के पश्चात् अग्रिम अनुसूची तैयार करने के लिए विनियमों के खंड 3.7 (i) (vii) में यथा विनिर्दिष्ट बोली प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बोली आमंत्रित कर सकती है।
- (vii) **बोली प्रक्रिया-विधि**
- क) संभावित 'कंजेशन' के संबंध में नोडल एजेंसी का निर्णय अंतिम और सभी पक्षकारों के लिए मान्य होगा।
- ख) नोडल एजेंसी आवेदकों को 'कंजेशन (संकुलन)' और विस्तृत प्रक्रिया-विधि में निर्धारित प्रपत्र में 'फ्लार प्राइस' दर्शाते हुए बोलियां आमंत्रित करने संबंधी निर्णय की जानकारी प्रदान करेगी।
- ग) नोडल एजेंसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी बोली प्रक्रिया की सूचना को दर्शाया जाएगा।
- घ) आयोग के संगत आदेश के आधार पर पारेषण के 'फ्लार प्राइस' और निर्धारित 'व्हीलिंग' प्रभारों को विस्तृत प्रक्रिया-विधि में निर्धारित प्रपत्र में दर्शाया जाएगा।
- ङ) बोलियों को बोली आमंत्रण नोटिस में दर्शाए गए "बोली बंद किए जाने के समय" तक विस्तृत प्रक्रिया-विधि में निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार किया जाएगा।
- च) एक बार जमा किए जाने के बाद बोली में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- छ) यदि कोई आवेदक बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसके आवेदन को आहरित समझा जाएगा और उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- ज) नोडल एजेंसी बोली जमा करवाने के लिए समय/तारीख के विस्तार संबंधी किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगी।
- झ) बोली प्रदाता 'फ्लार प्राइस' निर्धारण मूल्य-वर्ग में मूल्य, पूर्णांक में राउंड ऑफ; का उद्धरण करेगा।
- ञ) उद्धृत मूल्य को अवरोही क्रम में रखा जाएगा और उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग होने तक ऐसी अवरोही क्रम में ही उपलब्ध क्षमता का आबंटन किया जाएगा।
- ट) दो या इससे अधिक आवेदकों का बोली मूल्य एकसमान होने की स्थिति में उक्त उप-खंड (ज) में उपलब्ध शेष क्षमता से ऐसे आवेदकों द्वारा प्रार्थित क्षमता के समानुपात में आबंटन किया जाएगा।

- ठ) सभी निर्बाध पट्टे उपभोक्ताओं, जिनके पक्ष में पूर्ण क्षमताओं का आबंटन किया गया है, को बोली प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाए गए उच्चतम मूल्य का भुगतान करना होगा।
- ड) ऐसे निर्बाध पट्टे उपभोक्ता, जिनके पक्ष में मांगी गई क्षमता से कम क्षमता का आबंटन किया गया है, उनके द्वारा उद्धृत मूल्य का भुगतान करेंगे, जो किसी भी स्थिति में 'फ्लार प्राइस' से कम नहीं होगा।
- ढ) नोडल एजेंसी अधूरी, किसी भी तरह से अस्पष्ट अथवा बोली प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाली बोलियों को निरस्त करेगी।

2. 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर निर्बाध पट्टे :

- (i) खंड 3.7 (i) (ii) में विनिर्दिष्ट तारीख के उपरांत निर्बाध पट्टे के लिए प्राप्त आवेदनों तथा उस माह के दौरान प्राप्त आवेदनों, जिसके दौरान निर्बाध पट्टे प्रार्थित है, पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर विचार किया जाएगा :

बशर्ते कि ऐसे सभी आवेदन नोडल एजेंसी के पास निर्बाध पट्टे करार की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अवश्य पट्टे जाने चाहिए। ऐसे सभी आवेदनों को प्राप्ति के तीन दिन के भीतर संसाधित करते हुए उन पर निर्णय किया जाएगा।

उदाहरण के लिए : 10 जुलाई को प्रारंभ होने वाली निर्बाध पट्टे के लिए आवेदन 5 जुलाई सांय 5 बजे तक जमा करवाए जाएंगे और निर्बाध पट्टे प्रदान करने संबंधी निर्णय की जानकारी 8 जुलाई सांय 5 बजे तक प्रदान कर दी जाएगी।

3. 'डे-एहेड' निर्बाध पट्टे :

- (i) 'डे-एहेड' निर्बाध पट्टे प्रदान करने के लिए आवेदन नोडल एजेंसी के पास अनुसूची की तारीख से तीन दिन पूर्व तक जमा करवाए जा सकते हैं, परंतु यह 'डे-एहेड' करार के लिए निर्धारित दिवस से तत्काल पूर्व दिवस को 12.00 बजे के बाद स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे।

उदाहरण के लिए : 25 जुलाई के लिए 'डे-एहेड' करार हेतु आवेदन 22 जुलाई से 24 जुलाई 12.00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे :

बशर्ते कि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों को एक ही समय पर प्राप्त माना जाएगा :

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि निर्धारित दिवस के तत्काल पूर्व दिवस को नियत समय के बाद प्राप्त किसी आवेदन पर आवेदक की आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा, और ऐसी आकस्मिकता वाले आवेदनों का आवेदन शुल्क अन्य आवेदनों के लिए लागू शुल्क से पांच गुणा होगा।

- (ii) नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तावित 'डे-एहेड' निर्बाध पट्टे करार के कारण परिणामी कन्जेशन की जांच की जाएगी तथा निर्धारित दिवस से तत्काल पूर्व दिवस को 14.00 बजे तक विस्तृत प्रक्रिया-विधि में निर्धारित फार्मेट में अनुमोदन अथवा अन्यथा की जानकारी प्रदान की जाएगी। अंतः राज्य अल्पकालिक निर्बाध पट्टे के लिए अन्य उपबंध 'डे-एहेड' निर्बाध पट्टे के लिए लागू होंगे।

4. अल्पकालिक निर्बाध पट्टे उपभोक्ता द्वारा आरक्षित क्षमता अन्य को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।
5. एसएलडीसी द्वारा आरक्षित क्षमता रद्द किए जाने अथवा प्रत्यार्पित किए जाने अथवा कटौती के परिणामस्वरूप उपलब्ध क्षमता को इन विनियमों के अनुसार किसी अन्य अल्पकालिक निर्बाध पट्टे उपभोक्ता के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
6. अल्पकालिक निर्बाध पट्टे अवधि समाप्त होने पर उपभोक्ता, उत्पादन केन्द्र अथवा अनुज्ञाधारी, जैसा भी मामला हो, आवधिक नवीनीकरण के लिए किसी वरीयता का पात्र नहीं होगा।

3.8 एसटीयू, एसएलडीसी अथवा वितरण अनुज्ञाधारी द्वारा सहमति

1. अंतर-राज्य निर्बाध पट्टे

दीर्घकाल, मध्यकाल और अल्पकाल की निर्बाध पट्टे के लिए संबंधित नोडल एजेंसी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियम के उपबंधों अथवा लागू आदेशों के अनुसार अपनी सहमति अथवा अन्यथा की जानकारी प्रदान करेगी :

बशर्ते कि यदि आवेदक वितरण अनुज्ञाधारी का उपभोक्ता है, तो वह वितरण अनुज्ञाधारी अल्पकालिक निर्बाध पट्टे के मामले में अनुरोध प्राप्ति के, 2 कार्य दिवसों के भीतर अपनी सहमति अथवा अन्यथा की जानकारी प्रदान करेगा तथा मध्यकालिक और दीर्घकालिक सुलभता के मामले में 10 कार्य दिवसों के भीतरी ऐसी जानकारी प्रदान करेगा।

2. अंतः मुक्त राज्य सुलभता

- (i) अंतः राज्य निर्बाध पहुंच के लिए किए गए आवेदनों का संसाधन करते समय संबंधित अनुज्ञाधारी निम्नलिखित की जांच करेगा, अर्थात्-
 - क) लागू राज्य ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार 'टाइम-ब्लाक-वार' ऊर्जा मीटरिंग और लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना का मौजूदा होना;
 - ख) पारेषण और वितरण नेटवर्क में क्षमता की उपलब्धता; और
 - ग) एसएलडीसी अथवा वितरण नियंत्रण केन्द्र (डीसीसी), यदि लागू हो, को वास्तविक समय के आंकड़े प्रेषित करने के लिए रिमोट टर्मिनल यूनिट (आरटीयू) और संचार सुविधा की उपलब्धता;
- (ii) जहां पारेषण और/अथवा वितरण नेटवर्क में आवश्यक संरचना और क्षमता की उपलब्धता की स्थापना की गई है, वहां पारेषण और/अथवा वितरण अनुज्ञाधारी ई-मेल अथवा फैक्स अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संचार प्रणाली के माध्यम से आवेदन प्राप्ति के 3 कार्य-दिवसों के भीतर अपनी सहमति नोडल एजेंसी को प्रदान करेगा।
- (iii) यदि पारेषण और/अथवा वितरण अनुज्ञाधारी यह पाता है कि निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन अधूरा है अथवा किसी तरह से त्रुटिपूर्ण है, तो यह आवेदन प्राप्ति के दो कार्य-दिवसों के भीतर त्रुटि अथवा कमी की जानकारी नोडल एजेंसी को ई-मेल अथवा फैक्स अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संचार प्रणाली के माध्यम से प्रदान करेगा।
- (iv) यदि आवेदन को सही पाया जाता है परंतु पारेषण और/अथवा वितरण अनुज्ञाधारी आवश्यक संरचना की अनुपलब्धता या पारेषण और/अथवा वितरण नेटवर्क में अतिरिक्त क्षमता की अनुपलब्धता के आधार पर अपनी सहमति प्रदान करने से इंकार कर देता है, तो ऐसी मनाही की जानकारी आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य-दिवसों के भीतर मनाही के कारणों सहित नोडल एजेंसी को ई-मेल अथवा फैक्स अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संचार प्रणाली के माध्यम से प्रदान करेगा।
- (v) जिन मामलों में पारेषण और/अथवा वितरण अनुज्ञाधारी ने आवेदन प्राप्ति के 2 कार्य-दिवसों के भीतर आवेदन में किसी त्रुटि अथवा उसके अधूरा होने की कोई जानकारी प्रदान नहीं की हो अथवा आवेदन प्राप्ति की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर मनाही या सहमति, जैसा भी मामला हो, प्रदान नहीं की हो, तो इसे सहमति प्रदान किया जाना समझा जाएगा।

3.9 आबंटन वरीयता

1. खंड 3.7 (1) के अनुसार अग्रिम तौर पर आवेदित अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के अतिरिक्त, नोडल एजेंसी द्वारा आवेदन पत्रों पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर विचार किया जाएगा।
2. यदि एक ही दिन 2 या इससे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो निम्न सूची के अनुसार उच्चतम से निम्नतम की वरीयता का निर्धारण किया जाएगा :

तालिका 5 : निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए वरीयता क्रम

निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए वरीयता क्रम	आबंटन
वरीयता 1	वितरण अनुज्ञाधारी (इस बात पर ध्यान दिए बिना कि निर्बाध पहुंच दीर्घकाल, मध्यकाल अथवा अल्पकाल के लिए प्रार्थित है)
वरीयता 2	अन्य दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच आबंटन
वरीयता 3	अन्य मध्यकालिक निर्बाध पहुंच आबंटन
वरीयता 4	अन्य अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आबंटन

बशर्ते कि यदि एक ही दिन एक ही अवधि की निर्बाध पहुंच के लिए 2 या इससे अधिक प्राप्त आवेदनों पर आबंटन के लिए साथ-साथ विचार किया जाएगा और यदि उपलब्ध क्षमता सभी आवेदनों को समायोजित करने के लिए अपर्याप्त हो, तो आवेदकों को आवेदित क्षमताओं के समानुपात में उपलब्ध क्षमता में से हिस्सा आबंटित किया जाएगा :

इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि यदि कोई आवेदक उपलब्ध क्षमता के अनुसार अपनी आवश्यकता को सीमित करने में असमर्थ हो, तो अगली निम्न वरीयता वाले आवेदक पर विचार किया जाएगा।

3. मौजूदा निर्बाध पहुंच वाले उपभोक्ता को संबंधित श्रेणी के अन्तर्गत नए निर्बाध पहुंच वाले आवेदक से अधिक वरीयता प्रदान की जाएगी बशर्ते कि मौजूदा निर्बाध पहुंच उपभोक्ता निर्बाध पहुंच की मौजूदा अवधि समाप्त होने से पूर्व संबंधित निर्बाध पहुंच प्रक्रिया-विधि में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर नवीनीकरण हेतु आवेदन करे।

3.10 चूककर्ताओं से प्राप्त आवेदन

इन विनियमों में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद नोडल एजेंसी के पास इन विनियमों के उपबंधों विशेष तौर पर इन विनियमों में वसूले जाने वाले प्रभारों का समय पर भुगतान किए जाने संबंधी उपबंधों की अनुपालना न किए जाने के आधार पर निर्बाध पहुंच प्राप्त करने के लिए किसी भी आवेदन को सीधे तौर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।

अध्याय - 4 निर्बाध पहुंच प्रभार

4.1 संचरण प्रभार

1. इंटरस्टेट संचरण प्रणाली इस्तेमाल करने वाले निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं को अपनी प्रणाली के इस्तेमाल के लिए राज्य संचरण उपयोगिता अथवा राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता के अलावा अन्य इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा शुल्क आदेश में समय-समय पर यथानिर्धारित संचरण प्रभारों का भुगतान करना होगा;

बशर्ते कि संचरण प्रभारों का भुगतान दीर्घावधिक और मध्यावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के मामले में संविदाकृत क्षमता के आधार पर और अल्पावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के मामले में निर्धारित लोड के आधार पर किया जाएगा। किसी दिवस के भाग के लिए निर्बाध पहुंच के लिए संचरण प्रभार निम्नानुसार देय होंगे:

- क. एक ब्लॉक में एक दिन में छह घंटों तक: दीर्घावधिक और मध्यावधिक उपभोक्ताओं के लिए ¼ प्रभार;
- ख. एक ब्लॉक में एक दिन में छह (6) घंटों से ज्यादा और बारह (12) घंटों तक: दीर्घावधिक और मध्यावधिक उपभोक्ताओं के लिए ½ प्रभार; और
- ग. एक ब्लॉक में एक दिन में बारह (12) घंटों से अधिक और चौबीस घंटों तक: दीर्घावधिक और मध्यावधिक उपभोक्ताओं के लिए एक समान।

बशर्ते कि यदि किसी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के विशिष्ट रूप से इस्तेमाल के लिए एक समर्पित संचरण प्रणाली बनाई गई है अथवा इसका विशिष्ट रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसी समर्पित प्रणाली के लिए संचरण प्रभार इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा निकाले जाएंगे और इन्हें आयोग से अनुमोदित करवाया जाएगा। इन प्रभारों का वहन अतिरिक्त क्षमता आबंटित होने और निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं अथवा अन्य प्रयोजनों द्वारा इनका प्रयोग किए जाने तक पूर्णतया ऐसे ओपन ऐक्सस उपभोक्ताओं द्वारा किया जाएगा, उसके उपरांत ऐसी समर्पित प्रणाली के लिए इन संचरण प्रभारों को आबंटित क्षमताओं के अनुपात में बांटा जाएगा।

2. निविदा प्रणाली के परिणाम स्वरूप यदि क्षमता आरक्षित कर दी गई है, तो संचरण प्रभार खंड 3.7 (i)(vii) के अनुसार निविदा प्रणाली के जरिए यथा निर्धारित निकाले जाएंगे।
3. अल्पावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं से लिए गए 75 प्रतिशत प्रभारों को दीर्घावधिक और मध्यावधिक उपभोक्ताओं द्वारा देय प्रभारों में कमी हेतु समायोजित किया जाएगा। अल्पावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं से लिए गए शेष 25 प्रतिशत प्रभारों को सम्बद्ध लाइसेंसधारी द्वारा रखा जाएगा:

बशर्ते कि इस प्रावधान तथा बहु-वर्षीय शुल्क विनियम में ऐसे ही प्रावधानों के बीच कोई भी विवाद होने पर बहु-वर्षीय शुल्क विनियम में प्रावधान अभिभावी होंगे।

4.2 व्हीलिंग प्रभार

1. संवितरण प्रणाली का इस्तेमाल करने वाले निर्बाध पहुंच उपभोक्ता वास्तविक उर्जा आहरण संबंधी खपत के आधार पर आयोग द्वारा समय-समय पर शुल्क आदेश में यथा निर्धारित व्हीलिंग प्रभारों का संवितरण लाइसेंसधारी को भुगतान करेगा:

बशर्ते कि किसी भी दिन किसी भी समय निर्बाध पहुंच के लिए व्हीलिंग प्रभार निम्नानुसार देय होंगे:

- क. एक ब्लॉक में एक दिन में छह (6) घंटों तक: दीर्घावधिक और मध्यावधिक उपभोक्ताओं के लिए ¼ प्रभार;
- ख. एक ब्लॉक में एक दिन में छह (6) घंटों से ज्यादा और बाहर घंटों तक: दीर्घावधिक और मध्यावधिक उपभोक्ताओं के लिए ½ प्रभार; और
- ग. एक ब्लॉक में एक दिन में बारह (12) घंटों से अधिक और चौबीस घंटों तक: दीर्घावधिक और मध्यावधिक उपभोक्ताओं के लिए एक समान।

बशर्ते कि यदि किसी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के विशिष्ट रूप से इस्तेमाल के लिए एक समर्पित संचरण प्रणाली विनिर्मित की गई है अथवा इसका विशिष्ट रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसी समर्पित प्रणाली के लिए व्हीलिंग प्रभार इंस्ट्रास्टेट ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा निकाले जाएंगे और इन्हें आयोग से अनुमोदित करवाया जाएगा। इन प्रभारों का वहन अतिरिक्त क्षमता आवंटित होने और निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं अथवा अन्य प्रयोजनों द्वारा इनका प्रयोग किए जाने तक पूर्णतया ऐसे ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा किया जाएगा, उसके उपरांत ऐसी समर्पित प्रणाली के लिए इन व्हीलिंग प्रभारों को आवंटित क्षमताओं के अनुपात में बांटा जाएगा।

2. व्हीलिंग प्रभार तब लागू नहीं होंगे जब उपभोक्ता अथवा जनरेटिंग स्टेशन अथवा लाइसेंसधारी निर्बाध पहुंच के जरिए उर्जा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संचितरण नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करेंगे
3. निविदा प्रणाली के परिणाम स्वरूप यदि क्षमता आरक्षित कर दी गई है, तो व्हीलिंग प्रभार खंड 3.7 (i)(vii) के अनुसार निविदा प्रणाली के जरिए यथा निर्धारित निकाले जाएंगे।
4. अल्पावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं से लिए गए 75 प्रतिशत प्रभारों को दीर्घावधिक और मध्यावधिक उपभोक्ताओं द्वारा देय प्रभारों में कमी हेतु समायोजित किया जाएगा। अल्पावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं से लिए गए शेष 25 प्रतिशत प्रभारों को सम्बद्ध लाइसेंसधारी द्वारा रखा जाएगा:

बशर्ते कि इस प्रावधान तथा बहु वर्षीय शुल्क विनियम में ऐसे ही प्रावधानों के बीच कोई भी विवाद होने पर बहु वर्षीय शुल्क विनियम में प्रावधान अभिभावी होंगे।

4.3 अनुसूची और प्रणाली प्रचालन प्रभार

निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा निम्नलिखित दरों पर अनुसूची और प्रणाली प्रचालन प्रभारों भुगतान किया जाएगा।

1. अंतर-राज्यीय निर्बाध पहुंच के लिए

क. दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच और मध्यावधिक ओपन एक्सेस

- i. अधिनियम की धारा 28(4) के अंतर्गत केंद्रीय आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट एकीकृत लोड डिस्पेच तथा संप्रेषण योजना संबंधी प्रभारों सहित क्षेत्रीय लोड डिस्पेच केंद्र शुल्क और प्रभार
- ii. अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट एसएलडीसी शुल्क और प्रभार।

ख. अल्पावधिक निर्बाध पहुंच

- i. केंद्रीय आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रीय लोड डिस्पेच केंद्र और एसएलडीसी शुल्क एवं प्रभार।

2. इंस्ट्रास्टेट निर्बाध पहुंच के लिए

- i. दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच और मध्यावधिक निर्बाध पहुंच प्रयोगताओं द्वारा एसएलडीसी को देय अनुसूची और प्रणाली प्रचालन प्रभार इस अधिनियम के धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट एसएलडीसी शुल्क और प्रभार होंगे।
- ii. प्रतिदिन अथवा दिन में किसी भी समय के लिए 2000 रुपए अथवा आयोग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित अनुसूची और प्रणाली प्रचालन प्रभार का भुगतान किसी अल्पावधिक निर्बाध पहुंच प्रयोक्ता द्वारा एसएलडीसी को किया जाएगा।

- iii. उपर्युक्त (ii) के अनुसार एसएलडीसी द्वारा लिया गया अनुसूची और प्रणाली प्रचालन प्रभार इस अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित प्रभारों के अतिरिक्त होगा। तथापि, इन्हें एसएलडीसी के उत्तरवर्ती एआरआर में समायोजित किया जाएगा।
- iv. अनुसूची और प्रणाली प्रचालन प्रभार तब भी देय होगा जब इन विनियमों के अंतर्गत निर्बाध पहुंच का लाभ उठाने वाला निर्बाध पहुंच उपभोक्ता कोई जनरेटिंग कम्पनी अथवा ट्रेडिंग लाइसेंसधारी हो।

4.4 क्रॉस सब्सिडी उप-प्रभार

1. निर्बाध पहुंच दिए गए किसी संवितरक लाइसेंसधारी के उपभोक्ता अथवा किसी संवितरक लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर स्थित कोई उपभोक्ता और/समर्पित संचरण लाइन इस्तेमाल करने वाली जनरेटिंग कम्पनी से आपूर्ति लेने वाला उपभोक्ता किसी माह के दौरान निर्बाध पहुंच के जरिए खपत की गई आहारित वास्तविक उर्जा के लिए प्रति यूनिट आधार पर निर्धारित किए गए क्रॉस सब्सिडी उप-प्रभार का भुगतान करेगा।
2. उप-प्रभार की धनराशि का भुगतान आपूर्ति के उस क्षेत्र के संवितरण लाइसेंसधारी को किया जाएगा जिसमें उपभोक्ता स्थित है। यदि एक ही क्षेत्र में एक से ज्यादा लाइसेंसधारी आपूर्ति कर रहे हैं तो उस लाइसेंसधारी को उप-प्रभार की राशि का भुगतान किया जाएगा जिससे उपभोक्ता आपूर्ति ले रहा था:
बशर्ते कि ऐसे किसी व्यक्ति से उप-प्रभार नहीं लिया जाएगा जिसने कैप्टिव जनरेशन प्लांट लगाया हो और खुद ही गंतव्य स्थल तक विद्युत ले गया हो:
बशर्ते की उस अवधि के दौरान निर्बाध पहुंच विद्युत क्रय के संबंध में कोई उप-प्रभार नहीं लिया जाएगा जब संवितरण लाइसेंसधारी द्वारा पूर्णतय: विद्युत कटौती संबंधी प्रतिबंध लगाया गया हो।
3. किसी संवितरक लाइसेंसधारी क्षेत्र के आपूर्ति क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ता परंतु इंटरस्टेट संचरण प्रणाली से विशिष्ट रूप से निर्बाध पहुंच का लाभ लेने वाले उपभोक्ता का भी इन विनियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित उप-प्रभार का भुगतान करना होगा।
4. अक्षय उर्जा से विद्युत खरीदने के संबंध में करो सब्सिडी उप-प्रभार को आयोग के संबद्ध आदेशों द्वारा शासित किया जाएगा।

4.5 अतिरिक्त उप-प्रभार

1. अपने क्षेत्र के आपूर्ति करने वाले संवितरण लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विद्युत की आपूर्ति लेने वाले निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को व्हीलिंग प्रभार और क्रॉस सब्सिडी उप-प्रभार के अलावा, अतिरिक्त उप-प्रभार का भुगतान संवितरण लाइसेंसधारी को करना होगा ताकि इस अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा 4 के अंतर्गत यथा उपबंधित आपूर्ति संबंधी उसकी देयताओं के कारण ऐसे संवितरक लाइसेंसधारी की निर्धारित लागत की पूर्ति की जा सके।
2. अतिरिक्त उप-प्रभार केवल तभी लागू होगा यदि विद्युत क्रय संबंधी प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में लाइसेंसधारी की देयताएं निरंतर रूक गई हो अथवा ऐसी संविदा के परिणाम स्वरूप लाइसेंसधारी द्वारा नियत लागतों का वहन करने के लिए अपरिहार्य देयता अथवा प्रासंगिक हो। तथापि, नेटवर्क परिसंपत्तियों से संबंधित नियत लागतों की वसूली व्हीलिंग प्रभारों के जरिए की जाएगी।
3. अपनी शुल्क याचिका के साथ संवितरण लाइसेंसधारी आयोग को निर्धारित लागत की विस्तृत गणना प्रस्तुत करेगा जो इसमें आपूर्ति हेतु अपने देयता के लिए खर्च की है और आयोग द्वारा अनुमोदित व्यय की तुलना में किए गए वास्तविक व्यय को भी प्रस्तुत करेगा।
4. आयोग किसी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता से संवितरक लाइसेंसधारी द्वारा वसूले जाने वाले श्रेणीवार अतिरिक्त उप-प्रभार को भी निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित करेगा:
 - i. लागत का व्यय ऐसे उपभोक्ता पर संवितरक लाइसेंसधारी द्वारा तर्कसंगत पूर्ण निश्चितता के साथ किया गया हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो; और
 - ii. लागत की वसूली ऐसे उपभोक्ता अथवा अन्य ऐसे उपभोक्ता से न की गई हो अथवा न की जा सके जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित व्हीलिंग प्रभार, आपाती प्रभार अथवा प्रभारों के जरिए उसी परिसंपत्ति अथवा सुविधा से आपूर्ति की गई है।

5. निम्न को कवर करने हेतु निम्नलिखित दो (2) घटकों को अतिरिक्त उप-प्रभार को शामिल किया जाए:
 - (क) दीर्घावधिक पीपीए के अंतर्गत स्टैंडिड विद्युत; और
 - (ख) स्टैंडिड भौतिकीय परिसंपतियां;
6. निर्बाध पहुंच के जरिए माह के दौरान आहरित वास्तविक विद्युत के आधार के आधार पर विगत में संवितरण लाइसेंसधारी से वहीं मांग बनाए रखने वाले अथवा जारी रखने वाले सभी निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट आधार पर निर्धारित अतिरिक्त उप-प्रभार मासिक-वार देय होगा।
7. जेनेरेटिंग स्टेशन, ट्रेडिंग लाइसेंसधारी अथवा पावर एक्सचेंज द्वारा अतिरिक्त उप-प्रभार देय नहीं होगा।

4.6 संवितरण-लाइसेंसधारी से निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा विद्युत आहरण के लिए स्टैंडबाई विद्युत और स्टैंड बाई प्रभार

1. यदि किसी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को जेनेरेटर अथवा ऐसे निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति करने वाला स्रोत का उपयोग न होने अथवा निर्बाध पहुंच के जरिए विद्युत देने वाली वितरण प्रणाली से जुड़े जेनेरेटर को वितरण लाइसेंसधारी से विद्युत लेकर शुरू करने की आवश्यकता होती है, तत्पश्चात् ऐसे निर्बाध पहुंच उपभोक्ता अथवा जेनेरेटर के लिए वितरण लाइसेंसधारी को एक आवेदन करना होगा जिसमें अधिकतम ब्यालिस (42) दिनों की अधिकतम अवधि के लिए स्टैंड बाई विद्युत की अपेक्षा होगी। यह आवेदन पत्र एक प्रपत्र में तथा विस्तृत प्रक्रिया में यथाविहित पद्धति में किया जाएगा।
2. संवितरण लाइसेंसधारी विद्युत की अपेक्षित मात्रा की उपलब्धता के अध्यधीन तथा आपूर्ति के संबध क्षेत्र में तकनीकी गतिरोधों के अध्यधीन ऐसे ओपन उपभोक्ता को स्टैंड बाई विद्युत प्रदान करेगा।
3. निर्बाध पहुंच उपभोक्ता की स्टैंडबाई विद्युत को प्रदान करने के लिए संवितरण लाइसेंसधारी प्रचलित दर अनुसूची से उपभोक्ता की उस श्रेणी के लिए लागू अस्थाई आपूर्ति शुल्क संबंधी प्रभार हेतु पात्र होगा:

बशर्ते कि यदि उस उपभोक्ता की श्रेणी के लिए अस्थाई प्रभार दर उपलब्ध नहीं है तो 42 दिनों के लिए नियत प्रभारों और प्रचलित दर अनुसूची में उपभोक्ता की उस श्रेणी के लिए विद्युत प्रभारों के 125 प्रतिशत की दर से विद्युत प्रभार के भुगतान के आधार पर संवितरण लाइसेंसधारी द्वारा स्टैंडबाई व्यवस्था की जाएगी
4. निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के पास यह विकल्प होगा कि वे इस शर्त के अध्यधीन किसी अन्य स्रोत से स्टैंडबाई विद्युत की व्यवस्था करें ताकि ऐसी विद्युत का आहरण उसी प्रणाली के जरिए किया जाएगा जिसके लिए निर्बाध पहुंच दिया गया है।

4.7 रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार

निर्बाध पहुंच प्रयोक्ता के लिए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार का परिकलन निम्नलिखित लागू स्कीम के अनुसार किया जाएगा:

1. निर्बाध पहुंच उपभोक्ता संवितरण लाइसेंसधारी को भी वीएआर आहरण के लिए भुगतान करेगा (इंटरफेस मीटर द्वारा मापित), जब बोल्टेज इंटरफेस मीटरिंग बिन्दू पर 97 प्रतिशत से कम है;
2. निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को संवितरण लाइसेंसधारी द्वारा वीएआर आहरण के लिए भुगतान किया जाएगा (इंटरफेस मीटर द्वारा मापित), जब बोल्टेज इंटरफेस मीटरिंग बिन्दू पर 97 प्रतिशत से कम है;
3. निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को संवितरण लाइसेंसधारी द्वारा वीएआर आहरण के लिए भुगतान किया जाएगा (इंटरफेस मीटर द्वारा मापित), जब बोल्टेज इंटरफेस मीटरिंग बिन्दू पर 103 प्रतिशत से ज्यादा है; और
4. निर्बाध पहुंच उपभोक्ता संवितरण लाइसेंसधारी को वीएआर आहरण के लिए भुगतान करेगा (इंटरफेस मीटर द्वारा मापित), जब बोल्टेज इंटरफेस मीटरिंग बिन्दू पर 103 प्रतिशत से ज्यादा है;

4.8 अन्य शुल्क

खंड 4.1 से 4.7 के तहत निर्दिष्ट शुल्कों के अलावा, समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य शुल्क ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा देय होगा।

4.9 ओपन एक्सेस प्रभारों की अनुप्रयोज्यता

तालिका 6 : अल्पावधि ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए शुल्क की उपलब्धता

क्र.सं.	इंजेक्शन और ड्रॉल प्वाइंट का परस्पर स्थान	लागू शुल्क	लागू हानि
आवेदक वितरण नेटवर्क से जुड़ा हुआ है			
1	दोनों एक ही वितरण लाइसेंसधारी के भीतर	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग चार्ज क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन शुल्क असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान
2	दोनों एक ही राज्य के भीतर, लेकिन विभिन्न वितरण लाइसेंसधारियों के क्षेत्रों में	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग चार्ज क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार यदि लागू हो तो अंतर-राज्य संचरण प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> वितरण लाइसेंसधारी दोनों के संबंध में संबंधित वोल्टेज स्तर पर तरह से वितरण नुकसान वस्तुगत अंतर-राज्य - संचरण हानि, यदि लागू हो
3	राज्य में इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजेक्शन बिंदु	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग चार्ज क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित वोल्टेज स्तर पर तरह से वितरण नुकसान वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
4	विद्युत एक्सचेंज से बिजली की आपूर्ति का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग चार्ज क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार (इंटर स्टेट एंड इंटर-स्टेट) इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रभार पावर एक्सचेंज प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान अंतर-राज्य संचरण हानि वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि

क्र.सं.	इंजेक्शन और ड्रॉल प्वाइंट का परस्पर स्थान	लागू शुल्क	लागू हानि
5	विभिन्न राज्यों में	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग चार्ज क्रॉस सन्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार (इंटर स्टेट एंड इंट्रा-स्टेट) इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान अंतर-राज्य संचरण हानि वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
आवेदक इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है			
1	दोनों एक ही राज्य के भीतर (इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क में)	<ul style="list-style-type: none"> इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार क्रॉस सन्सिडी अधिभार रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
2	राज्य के भीतर वितरण नेटवर्क में इंजेक्शन प्वाइंट	<ul style="list-style-type: none"> इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार व्हीलिंग शुल्क क्रॉस सन्सिडी अधिभार रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो समयबद्धन और सिस्टम ऑपरेटिंग प्रभार लागू होते हैं असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
3	विद्युत एक्सचेंज से बिजली की आपूर्ति का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता	<ul style="list-style-type: none"> क्रॉस सन्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार (इंटर स्टेट एंड इंट्रा-स्टेट) इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रभार पावर एक्सचेंज प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
4	विभिन्न राज्यों में	<ul style="list-style-type: none"> इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रभार क्रॉस सन्सिडी अधिभार रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो समयबद्धन और सिस्टम ऑपरेटिंग प्रभार लागू (इंटर स्टेट एंड इंट्रा-स्टेट) असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि

तालिका 7: मध्यम अवधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए शुल्क की उपलब्धता

क्र.सं.	इंजेक्शन और ड्रॉल प्वाइंट का परस्पर स्थान	लागू शुल्क	लागू होने वाला नुकसान
आवेदक वितरण नेटवर्क से जुड़ा हुआ है			
1	दोनों ही वितरण लाइसेंसधारी के भीतर	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग चार्ज क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन शुल्क असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान
2	दोनों एक ही राज्य के भीतर, लेकिन विभिन्न वितरण लाइसेंसधारियों के क्षेत्रों में	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग चार्ज क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार यदि लागू हो तो अंतर-राज्य संचरण प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> वितरण लाइसेंसधारी दोनों के संबंध में संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान तरह-तरह के अंतर-राज्य संचरण हानि, यदि लागू हो
3	राज्य में इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली में इंजेक्शन बिंदु	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग चार्ज क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
4	विभिन्न राज्यों में	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग चार्ज क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार (इंटर स्टेट एंड इंटर-स्टेट) इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
आवेदक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है			
1	दोनों एक ही राज्य के भीतर (इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क में)	<ul style="list-style-type: none"> इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन 	<ul style="list-style-type: none"> वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि

क्र.सं.	इंजेक्शन और ड्रॉल प्वाइंट का परस्पर स्थान	लागू शुल्क	लागू होने वाला नुकसान
		<ul style="list-style-type: none"> प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	
2	राज्य के भीतर वितरण नेटवर्क में इंजेक्शन प्वाइंट	<ul style="list-style-type: none"> इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार व्हीलिंग शुल्क अतिरिक्त अधिभार क्रॉस सब्सिडी अधिभार रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
3	विभिन्न राज्यों में	<ul style="list-style-type: none"> इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रभार क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार (इंटर स्टेट एंड इंट्रा-स्टेट) असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि

तालिका 8 : लंबी अवधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए शुल्कों का लागू होना

क्र.सं.	इंजेक्शन और ड्रॉल प्वाइंट का परस्पर स्थान	लागू शुल्क	लागू होने वाला नुकसान
आवेदक वितरण नेटवर्क से जुड़ा हुआ है			
1	दोनों ही वितरण लाइसेंसधारी के भीतर	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग चार्ज क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार असंतुलन प्रभार, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान
2	दोनों एक ही राज्य के भीतर, लेकिन विभिन्न वितरण लाइसेंसधारियों के क्षेत्रों में	<ul style="list-style-type: none"> व्हीलिंग चार्ज क्रॉस सब्सिडी अधिभार अतिरिक्त अधिभार स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार लागू होते हैं यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> वितरण लाइसेंसधारी दोनों के संबंध में संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान तरह-तरह के अंतर-राज्य संचरण हानि, यदि लागू हो

क्र.सं.	इंजेक्शन और ड्रॉल प्वाइंट का परस्पर स्थान	लागू शुल्क	लागू होने वाला नुकसान
3	राज्य में इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजेक्शन बिंदु	<ul style="list-style-type: none"> • व्हीलिंग चार्ज • क्रॉस सन्डिडी अधिभार • अतिरिक्त अधिभार • स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो • रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो • यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार • इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार • असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> • संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान • वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
4	विभिन्न राज्यों में	<ul style="list-style-type: none"> • व्हीलिंग चार्ज • क्रॉस सन्डिडी अधिभार • अतिरिक्त अधिभार • स्टैंड-बाय शुल्क, यदि कोई हो • रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो • यथा-लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार (इंटर स्टेट एंड इंद्रा-स्टेट) • इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार • अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रभार • असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> • संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान • वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि • वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
आवेदक इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है			
1	दोनों एक ही राज्य के भीतर (इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क में)	<ul style="list-style-type: none"> • इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार • क्रॉस सन्डिडी अधिभार • अतिरिक्त अधिभार • रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो • यथा-लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार • असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> • वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
2	राज्य के भीतर वितरण नेटवर्क में इंजेक्शन प्वाइंट	<ul style="list-style-type: none"> • इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार • व्हीलिंग शुल्क • क्रॉस सन्डिडी अधिभार • अतिरिक्त अधिभार • रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो • यथा-लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार • असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> • संबंधित वोल्टेज स्तर पर वस्तुगत वितरण नुकसान • वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि
3	विभिन्न राज्यों में	<ul style="list-style-type: none"> • इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभार • अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रभार • क्रॉस सन्डिडी अधिभार • अतिरिक्त अधिभार • रिएक्टिव एनर्जी शुल्क, जैसा लागू हो • यथा लागू समयबद्ध और प्रणाली प्रचालन प्रभार लागू (इंटर स्टेट एंड इंद्रा-स्टेट) • असंतुलन शुल्क, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> • वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि • वस्तुगत अंतर राज्य संचरण हानि

अध्याय 5: निर्धारण और असंतुलन प्रभार

5.1 निर्धारण

1. ओपन एक्सेस के अनुदान के अनुसार लेन-देन का निर्धारण अंतरराज्यीय लेनदेन के मामले में ग्रिड कोड के अनुसार आगामी दिवस के आधार पर और अंतरराज्यीय लेनदेन के मामले में राज्य ग्रिड संहिता या आयोग के संबंधित आदेशों के आधार पर किया जाएगा।
2. इन विनियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, इंटर-स्टेट ओपन एक्सेस लेन-देन का निर्धारण केंद्रीय आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट किया जाएगा।
3. क्षमता के बावजूद सभी जेनेरेटिंग स्टेशन और उपभोक्ताओं के इंद्रा राज्य ओपन एक्सेस लेनदेन का निर्धारण राज्य ग्रिड संहिता के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार एसएलडीसी द्वारा किया जाएगा।
4. एक अल्पकालिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता को कम से कम आठ (8) घंटे की अवधि के लिए एकसमान कार्यक्रम बनाए रखना होगा।

5.2 असंतुलन प्रभार

1. **निर्बाध पहुंच उपभोक्ता अथवा निर्बाध पहुंच उपभोक्ता की ओर से ट्रेडिंग लाइसेंसधारी के संबंध में आहरण बिन्दू पर विद्युत का समाधान**

क. निर्बाध पहुंच उपभोक्ता, जो संवितरण लाइसेंसधारी का उपभोक्ता नहीं है

पूर्ण निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के संबंध में निर्धारित और वास्तविक आहरण के बीच अंतर आयोग द्वारा यथा-अधिसूचित इंद्रास्टेट एबीटी के दायरे में आएगा, और इसका निपटारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट परिवर्तन प्रभारों के अनुसार नेट मिटरिंग के आधार पर साप्ताहिक चक्र के अनुसार एसएलडीसी द्वारा जारी असंतुलन लेन-देन संबंधी मिश्रित लेखों के आधार पर किया जाएगा।

उपर्युक्त लेन-देन के अंतर्गत किसी भी धनराशि की बिलिंग, संग्रह और संवितरण समय-समय पर यथा-लागू इंद्रास्टेट एबीटी के संबंध में आयोग के आदेशों के अनुसार होगा।

बशर्ते कि जब तक आयोग द्वारा इंद्रास्टेट एबीटी तंत्र अधिसूचित न किया जाए किसी भी आहरण का निपटारा सीईआरसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अंतर निपटान तंत्र के प्रावधानों के अनुसार होगा।

बशर्ते कि जब तक आयोग द्वारा इंद्रास्टेट एबीटी तंत्र अधिसूचित न किया जाए किसी भी अत्यधिक आहरण का निपटारा लागू परिवर्तन संबंधी उच्चतर दरों अथवा आयोग द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित उपभोक्ता श्रेणी पर लागू अस्थाई शुल्क के अनुसार होगा।

बशर्ते कि यदि आयोग ने किसी श्रेणी के लिए अस्थाई शुल्क विनिर्दिष्ट नहीं किए हैं, तो सामान्य श्रेणी के 125 प्रतिशत के दर के प्रभार लागू होंगे।

(ख) ओपन एक्सिस उपभोक्ता, जो संवितरण लाइसेंसधारी का उपभोक्ता भी है।

संवितरण लाइसेंसधारी के ओपन एक्सेस उपभोक्ता के संबंध में वास्तविक आहरण के बीच अंतर आयोग द्वारा यथा-सूचित इंद्रास्टेट एबीटी के दायरे में आएंगे और इसका निपटारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट परिवर्तन प्रभारों के अनुसार नेट मिटरिंग के आधार पर साप्ताहिक चक्र के अनुसार एसएलडीसी द्वारा जारी असंतुलन लेन-देन संबंधी मिश्रित लेखों के आधार पर किया जाएगा। उपर्युक्त लेन-देन के अंतर्गत किसी भी धनराशि की बिलिंग, संग्रह और संवितरण समय-समय पर यथा-लागू इंद्रास्टेट एबीटी के संबंध में आयोग के आदेशों के अनुसार होगा।

इंद्रास्टेट एबीटी के कार्यान्वयन तक प्रभारों को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:

किसी भी समय के दौरान संवितरण लाइसेंसधारी से आंशिक ओपन एक्सिस उपभोक्ता द्वारा विद्युत आहरण की मात्रा निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा विद्युत के "अनुमत्य आहरण" से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो उस ओपन एक्सिस की अधिकतम मात्रा और वांछित मांग का अंतर है जिसके लिए नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदन दिया गया है।

[उदाहरण: यदि 10 एमडब्ल्यू की मांग वाले निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को तीन माह की अवधि के लिए 6 एमडब्ल्यू की अधिकतम निर्बाध पहुंच मात्रा हेतु अनुमोदन दिया जाता है, तो किसी भी समय के दौरान संवितरण लाइसेंसधारी से विद्युत का अनुमत्य आहरण 3 माह की अवधि के दौरान किसी भी दिन 4 एमडब्ल्यू होगा]

i. अधिक आहरण

संवितरण लाइसेंसधारी के किसी ओपन एक्सिस उपभोक्ता द्वारा अधिक आहरण का निपटारा निम्नानुसार किया जाएगा:

- i. संवितरण लाइसेंसधारी से निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा विद्युत के अनुमत्य आहरण के संबंध में नियत प्रभार, चाहे संवितरण लाइसेंसधारी से आहरण न किया गया हो।
- ii. ओपन एक्सिस उपभोक्ता द्वारा संवितरण लाइसेंसधारी से आहरण के समकक्ष विद्युत प्रभार, जो संवितरण लाइसेंसधारी की लागू विद्युत प्रभार दरों पर ओपन एक्सिस उपभोक्ता द्वारा विद्युत के अनुमत्य आहरण तक सीमित होगा।
- iii. ओपन एक्सिस उपभोक्ता द्वारा विद्युत के अनुमत्य आहरण से अधिक मांग करने पर सामान्य नियत प्रभारों के 125 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त नियत प्रभार।
- iv. उसी श्रेणी के लिए अस्थाई कनेक्शन के लिए दर प्रभारों पर ओपन एक्सिस उपभोक्ता द्वारा विद्युत के अनुमत्य आहरण से अधिक आहरण करने पर विद्युत प्रभार।

ii. कम आहरण करना:

निर्धारित विद्युत के संबंध में कम आहरण करने के मामले में ओपन एक्सिस उपभोक्ता को संवितरण लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी प्रभार का भुगतान नहीं किया जागगा।

2. संचरण / संवितरण लाइसेंसधारी की वजह से ओपन एक्सिस उपभोक्ता द्वारा विद्युत का कम आहरण करना अर्थात् सिस्टम खराब हो जाना:

यदि कोई इंटरस्टेट निर्बाध पहुंच उपभोक्ता गैर-अधिसूचित संचरण और/अथवा संवितरण प्रणाली के कारण किसी उत्पादन कंपनी / ट्रेडर / पावर एक्सचेंज से निर्धारित विद्युत प्राप्त नहीं कर पाता है और यदि उत्पादक कंपनी / ट्रेडर/ पावर एक्सचेंज ने इंटरस्टेट निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा प्रयोग के लिए ग्रिड में निर्धारित विद्युत दी है, तो संचरण / संवितरण लाइसेंसधारी इंटरस्टेट निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को ऐसे प्रभारों का भुगतान करेगा जो उपभोक्ता श्रेणी को लागू न्यूनतम शुल्क अथवा उत्पादन कंपनी / ट्रेडर / पावर एक्सचेंज को देय हो, जिससे ऐसा इंटरस्टेट निर्बाध पहुंच उपभोक्ता संबंधित है, जो भी कम हो।

3. किसी उत्पादन कंपनी अथवा किसी उत्पादन कंपनी की ओर से किसी ट्रेडिंग लाइसेंसधारी के संबंध में इंजेक्शन प्वाइंट पर विद्युत का निपटान:

किसी उत्पादन कंपनी अथवा लाइसेंसधारी द्वारा एसएलडीसी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के संबंध में किसी भी अंडर इंजेक्शन अथवा ओवन इंजेक्शन का निपटारा समय-समय पर संशोधित सीईआरसी अंतर समाधान तंत्र विनियम, 2014 के अनुसार किया जाएगा।

4. असंतुलन प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और संबद्ध क्षेत्र (लाइसेंसधारी अथवा निर्बाध पहुंच उपभोक्ता सहित, जो भी मामला हो) एसएलडीसी द्वारा संचालित राज्य असंतुलन पूल खाते में ब्यौरा जारी होने के 10 दिनों के भीतर दर्शाई गई राशि का भुगतान करेगा। असंतुलन प्रभारों के आधार पर धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को तत्पश्चात् 3 कार्य दिवस के भीतर राज्य असंतुलन पूल खाते में से भुगतान किया जाएगा।

5. यदि असंतुलन प्रभारों के सम्मुख उल्लिखित भुगतान दो दिनों से ज्यादा अर्थात् विवरण जारी होने के दिन से 12 दिन तक निलंबित हो जाता है तो चूककर्ता पार्टी को विलंब के प्रत्येक दिन के लिए बैंक दर की दर के अनुसार साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा (प्रतिदिन)। इस प्रकार से लिए गए ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसे वह धनराशि मिलनी थी। यदि लगातार भुगतान में विलंब किया जाता है तो इसकी सूचना एसएलडीसी द्वारा आयोग को दी जाएगी ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

अध्याय 6: मीटरिंग और हानियां

6.1 मीटरिंग

1. इंजेक्शन और आहरण दोनों बिंदुओं पर लाइसेंसी अथवा निर्बाध पहुंच उपभोक्ता मुख्य मीटर के रूप में एक एबीटी अनुरूप विशेष एनर्जी मीटर (एसईएम) लगवाया गया जो समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार सक्रिय ऊर्जा के समय विभेदित मापन (15 मिनट) और रिए (किटव विद्युत के वोल्टेज विभेदित मापन में समर्थ हों:

बशर्ते की कोई भी मौजूदा और ऐसा भावी उपभोक्ता जिसने निर्बाध पहुंच नहीं लिया है लेकिन भविष्य में लेने का इच्छुक है, कि वह अपने परिसर में ऐसे एसईएम को लगवाएं।
2. ओपन एक्ससे उपभोक्ता की लागत पर संबद्ध लाइसेंसी द्वारा उसी विनिर्देशन का मुख्य मीटर और चेक मीटर प्रदान किया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसा अनुरोध मिलने पर यदि एसईएम उपलब्ध नहीं है तो लाइसेंसी प्रापण का समय बताएगा ताकि उपभोक्ता अथवा उत्पादक स्टेशन को खरीदने के लिए अपने विकल्प को अंतिम रूप देने में मदद मिल सके:

बशर्ते कि यदि उपभोक्ता अथवा उत्पादक स्टेशन इससे एसईएम को खरीदता है तो लाइसेंसी को एडवांस में भुगतान करना होगा।
3. ओपन एक्सिस उपभोक्ता के पास अपना खुदका मीटर खरीदने का विकल्प होगा तथापि, ऐसे मामले में संवितरण लाइसेंसधारी और एसटीयू मीटर का निरीक्षण करेंगे और खंड 6.1 में यथोल्लिखित संबद्ध विनियमों के अनुरूप इसको सत्यापित करेंगे।
4. संचरण प्रणाली से जुड़े सभी पूर्ण ओपन एक्सिस उपभोक्ता और उत्पादन स्टेशन अपनी लागत पर एटीयू द्वारा बताए गए विनिर्देशनों के अनुसार इन विनियमों में अधिसूचना की तारीख से 6 माह के भीतर रिमोट टर्मिनल यूनिट – डीसी लगवाएगा:

बशर्ते कि आरटीयू / डीसी किसी भी समय संवितरण लाइसेंसधारी अथवा एसएलडीसी द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध होगा:

बशर्ते कि पूर्ण निर्बाध पहुंच उपभोक्ता और संचरण प्रणाली से जुड़े उत्पादन स्टेशन संप्रेषण व्यवस्था की लागत की व्यवस्था करेंगे अथवा वहन करेंगे, जिसके तकनीकी विनिर्देशनों का निर्धारण वास्तविक समय संप्रेषण को प्रयोजनार्थ संवितरण लाइसेंसी और / अथवा एसएलडीसी द्वारा किया जाएगा।
5. प्रमुख और चेक मीटर में यह सुविधा होगी कि वे वास्तविक समय आधार अथवा अन्यथा पर एसएलडीसी नियंत्रण कक्ष को उनकी रिडिंग भेजेंगे।
6. प्रमुख और चेक मीटर को ओपन एक्सिस प्रयोक्ता द्वारा हमेशा सही स्थिति में रखा जाएगा और नोडल एजेंसी द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा इनका कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
7. प्रमुख और चेक मीटर को अन्य पक्षकार की उपस्थिति में संबद्ध लाइसेंसी द्वारा समय-समय पर जांचा जाएगा और अंशाकन किया जाएगा। प्रमुख और चेक मीटर को दोनों पार्टियों द्वारा सील किया जाएगा और खराब मीटर को तत्काल बदला जाएगा। जांच, चेकिंग, अंशाकन आदि की वारंवारता को इस संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा।
8. चेक मीटर की रिडिंग पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रमुख मीटर खराब हो अथवा बंद हो। यदि प्रमुख और चेक मीटर की रिडिंग के बीच का अंतर संबद्ध परिशुद्धता श्रेणी के लिए अनुमत्य प्रतिशतता त्रुटि के दुगने से ज्यादा है तो प्रमुख मीटर और चेक मीटर दोनों की परिशुद्धता हेतु जांच की जाएगी। किसी भी खराब पाए गए मीटर को तत्काल बदला जाएगा।
9. यदि प्रमुख मीटर और चेक मीटर में जांच अथवा आंशाकन के दौरान दोनों में अनुमत्य सीमा से ज्यादा खराबी पाई जाती है, तो पूर्ववर्ती 3 माह के लिए अथवा यदि ज्ञात है और दोनों पक्षकों द्वारा सहमत हैं तो वास्तविक अवधि के लिए कम त्रुटि वाले मीटर द्वारा पंजीकृत खपत के अनुसार संबद्ध लाइसेंसी द्वारा यथानिर्धारित शुद्धि को अपनाकर बिल को संशोधित कर दिया जाएगा।
10. सभी ओपन एक्ससे उपभोक्ता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17 मार्च 2006 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित मीटरिंग संबंधी मानकों का पालन करेंगे।

6.2 हानियां

1. इंटर स्टेट निर्बाध पहुंच

- क. दीर्घावधिक एक्ससेस और मध्यावधिक एक्ससेस: विद्युत के क्रेता केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार संचरण प्रणाली में विनियोजित विद्युत हानियों को वहन करेंगे।
- ख. अल्पावधिक ओपन एक्ससेस: विद्युत के क्रेता और विक्रेता केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार संचरण प्रणाली में विनियोजित विद्युत हानियों को वहन करेंगे।

2. इंटरा-स्टेट निर्बाध पहुंच

- क. संचरण संबंधी हानियां:
- एसएलडीसी द्वारा यथानिर्धारित संचरण लाइसेंसी के संचरण प्रणाली में विद्युत संबंधी हानि को इंटरास्टेट संचरण प्रणाली के उनके निर्धारित उपयोग के अनुपात में संचरण प्रणाली के प्रयोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा। पूर्ववर्ती बावन (52) सप्ताहों के लिए औसत विद्युत हानि के संबंध में सूचना एसएलडीसी की वेबसाइट पर डाली जाएगी। प्रणाली में 15 दिन की औसत संचरण हानि की मानिट्रिंग एसएलडीसी द्वारा की जाएगी और यह ओपन एक्ससेस उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा।
 - विद्युत हानियों की प्रतिपूर्ति इंजेक्शन स्थलों पर अतिरिक्त इंजेक्शनों द्वारा की जाएगी।
 - इंटरास्टेट संचरण प्रणाली से जुड़े हुए ओपन एक्ससेस उपभोक्ता केवल संचरण हानि का ही वहन करेंगे।
- ख. वितरण हानि
- विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा वहन किए जाने वाली संवितरण प्रणाली हानियों की प्रतिशतता लागू वर्ष के संबंध में शुल्क आदेश में आयोग द्वारा यथानिर्धारित होगी।
 - विद्युत का क्रेता केवल संवितरण प्रणाली की अनुमोदित व्हीलिंग हानियों का ही वहन करेगा न कि किसी भी वाणिज्यिक हानि का।
 - संवितरण हानियों के संबंध में भुगतान सभी निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं तथा राज्य में अपने खुद के इस्तेमाल के लिए विद्युत ले जाने वाले केप्टिव पावर प्लांटों द्वारा किया जाएगा।
 - ऊर्जा संबंधी हानियों की प्रतिपूर्ति इंजेक्शन स्थलों पर अतिरिक्त इंजेक्शनों द्वारा की जाएगी।

अध्याय 7: वाणिज्यिक मामले

7.1 बिलिंग, संग्रह और संवितरण

1. इंटरस्टेट लेनदेन

- क. अल्पावधिक निर्बाध पहुंच
- अल्पावधिक निर्बाध पहुंच के लिए आरएलडीसी और एसएलडीसी को देय प्रचालन प्रभारों और सीटीयू और एसटीयू के उपयोग के लिए संचरण प्रभारों का संग्रह एवं संवितरण केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नोडल आरएलडीसी द्वारा किया जाएगा।
 - किसी संवितरण लाइसेंसधारी की संवितरण प्रणाली से जुड़े हुए अल्पावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा नोडल एजेंसी द्वारा अल्पावधिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के 3 दिन के भीतर संवितरण लाइसेंसधारी को देय प्रभार संवितरण लाइसेंसधारी को भुगतान किया जाएगा।
 - संग्रह लेन-देन के लिए राज्य के नेटवर्क हेतु संचरण और बिलिंग प्रभार और एसएलडीसी के लिए प्रचालन प्रभारों का निपटारा संबद्ध एसएलडीसी के साथ सीधे विद्युत विनियम द्वारा किया जाएगा।
- ख. दीर्घावधिक और मध्यावधिक निर्बाध पहुंच
- एकीकृत लोड डिसपेच और संप्रेषण स्कीम सहित आरएलडीसी को देय प्रभारों की बिलिंग, संग्रह और संवितरण केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

- ii. एसएलडीसी, एसटीयू और संवितरण लाइसेंसधारी को देय प्रभारों हेतु बिल उत्तरवर्ती माह के तीसरे कार्य दिवस से पहले निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को संवितरण लाइसेंसधारी द्वारा दिया जाएगा। संवितरण लाइसेंसधारी बिल में सभी निर्बाध पहुंच प्रभारों को अलग से दर्शाएगा।
- iii. निर्बाध पहुंच उपभोक्ता बिल प्राप्त होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के अंदर संवितरण लाइसेंसधारी को प्रभारों का भुगतान करेगा।
- iv. संवितरण लाइसेंसधारी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता से भुगतान राशि मिलने के 7 दिनों के भीतर एसएलडीसी और / अथवा संचरण लाइसेंसधारी को प्रभारों का भुगतान करेगा।

2. इंटरा-स्टेट लेन-देन

क. अल्पावधिक निर्बाध पहुंच

- i. अल्पावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता नोडल एजेंसी द्वारा अल्पावधिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने परंतु निर्बाध पहुंच शुरू होने से पहले 3 कार्य दिवसों के भीतर सभी देय प्रभारों को संवितरण लाइसेंसधारी के पास जमा करवाएगा।
- ii. संवितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रभारों को साप्ताहिक आधार पर एसएलडीसी और एसटीयू और/अथवा अन्य संचरण लाइसेंसधारी को वितरित किया जाएगा।

ख. दीर्घावधिक और मध्यावधिक निर्बाध पहुंच

- i. संवितरण लाइसेंसधारी एसएलडीसी और एसटीयू, जैसा भी मामला हो से परामर्श करके उत्तरवर्ती माह के तीसरे कार्य दिवस तक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को बिल देगा। संवितरण लाइसेंसधारी बिल में सभी निर्बाध पहुंच प्रभारों को अलग से दर्शाएगा।
- ii. निर्बाध पहुंच उपभोक्ता बिल प्राप्त होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के अंदर संवितरण लाइसेंसधारी को प्रभारों का भुगतान करेगा।
- iii. संवितरण लाइसेंसधारी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता से भुगतान राशि मिलने के 7 दिनों के भीतर एसएलडीसी और / अथवा संचरण लाइसेंसधारी को प्रभारों का भुगतान करेगा।

3. यदि निर्बाध पहुंच प्रभारों का भुगतान ओपन एक्सिस उपभोक्ता को जारी किए गए बिल में यथोलिखित तारीख के भीतर नहीं किया जाता है तो चूक करने वाले निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को विलंब के प्रत्येक दिन के लिए बैंक की दर के समकक्ष दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा (प्रतिदिन)।

4. यदि संवितरण लाइसेंसधारी निर्बाध पहुंच उपभोक्ता से प्राप्त भुगतान राशि का भुगतान देय तारीख के अंदर एसटीयू / एसएलडीसी को नहीं करता है तो संवितरण लाइसेंसधारी को विलंब के प्रत्येक दिन के लिए बैंक की दर के समकक्ष दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा (प्रतिदिन)।

7.2 भुगतान में चूक होना

1. इन विनियमों के अंतर्गत निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा देय किसी भी प्रभार अथवा धनराशि का भुगतान न करने को इन विनियमों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। यदि चूक इंटरा-स्टेट संवितरण लाइसेंसधारी और /अथवा संवितरण लाइसेंसधारी के प्रभारों के भुगतान में है, तो वे लागू प्रभारों को वसूल करने के अपने अधिकार के प्रति भेद-भाव किए बगैर चूक करने वाले निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को 15 दिन का अग्रिम नोटिस देकर निर्बाध पहुंच खत्म कर सकते हैं।
2. एसएलडीसी को देय प्रभारों के भुगतान में हुई चूक के मामले में एसएलडीसी चूककर्ता और निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को निर्धारित विद्युत देने से मना कर सकता है और इंटरा-स्टेट संचरण लाइसेंसधारी अथवा संवितरण लाइसेंसधारी को निर्देश दे सकता है कि वे ग्रिड से ऐसे ओपन एक्सिस उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति काट दे।

7.3 भुगतान प्रतिभूति मैकेनिज्म

1. दीर्घावधिक एक्सेस और मध्यावधिक निर्बाध पहुंच के संबंध में आवेदक निर्बाध पहुंच के लिए दो माह की अवधि हेतु विभिन्न प्रभारों की अनुमानित धनराशि के लिए संवितरण लाइसेंसधारी के पक्ष में अप्रतिसंहरणीय क्रेडिट पत्र खोलेगा: बशर्ते कि एक वर्ष से ज्यादा वित्तीय वर्ष तक निर्बाध पहुंच का लाभ उठाने वाले मौजूदा निर्बाध पहुंच उपभोक्ता के मामले में क्रेडिट पत्र की धनराशि पूर्ववर्तीय वित्तीय वर्ष के औसत मासिक निर्बाध पहुंच प्रभारों के आधार पर संशोधित की जाएगी।
2. संचरण प्रभारों, व्हीलिंग प्रभारों और निर्धारण एवं सिस्टम प्रचालन प्रभारों जैसे भुगतान संबंधी शर्तों, देयताओं, क्षतिपूर्ति और अप्रत्याशित घटना संबंधी शर्तों के लिए अन्य वाणिज्यिक शर्तों का प्रावधान विस्तृत प्रक्रिया में किया जाएगा।

अध्याय 8: सूचना प्रणाली

1. एसएलडीसी, राज्य संचरण यूटीलिटी और संवितरण लाइसेंसी इन विनियमों की अधिसूचना के 3 माह के भीतर एक डाउनलोड किए जा सकने वाले प्रपत्र में "निर्बाध पहुंच संबंधी सूचना" नामक शीर्षक वाले अपने एक अलग वेब पेज में अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचना प्रदान करेंगे। इस सूचना को स्थिति में किसी भी परिवर्तन अथवा नीचे दी गई बांरबारता के अनुसार अद्यतन बनाया जाएगा:
 - क. इन विनियमों के खंड 3.4 के अनुसार निर्बाध पहुंच की विस्तृत प्रक्रिया।
 - ख. निर्बाध पहुंच करार का प्रपत्र और ऐसे करार के निष्पादन की प्रक्रिया और पद्धति।
 - ग. कनेक्शन करार का प्रपत्र।
 - घ. अल्पावधि, मध्यावधिक और दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में महा-वार और वर्ष-वार स्थिति रिपोर्ट, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया हो:
 - i. उपभोक्ताओं के नाम;
 - ii. दी गई निर्बाध पहुंच की अवधि (शुरू होने की तारीख और समाप्त होने की तारीख);
 - iii. इंजेक्शन के बिंदु;
 - iv. आहरण के बिंदु;
 - v. इंजेक्शन और आहरण बिंदुओं पर आपूर्ति वोल्टेज;
 - vi. प्रयुक्त संचरण प्रणाली/संवितरण प्रणाली; और
 - vii. प्रयुक्त निर्बाध पहुंच क्षमता।
 - ड. विभिन्न राज्य लाइसेंसी के बीच लिंक के उपयोग के संबंध में सूचना, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया हो:
 - i. अद्यतन का समय;
 - ii. लिंक का नाम;
 - iii. लिंक की कुल क्षमता;
 - iv. निर्धारित क्षमता उपयोग (प्रयोक्तावार ब्यौरा देकर ओपन एक्सेस प्रदान करना); और
 - v. प्रयोगाधीन लिंक की मौजूदा क्षमता।

यह सूचना कम से कम हर एक घंटे और जहां भी व्यवहारिक हो 15 मिनट के आधार पर अद्यतित की जानी चाहिए।

 - च. विगत 52 (वाबन) सप्ताहों के संबंध में संचरण और संवितरण प्रणाली में औसत हानि के संबंध में सूचना।
 - छ. प्राप्त निर्बाध पहुंच आवेदन पत्रों और आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख, आवेदन पत्र स्वीकार होने की तारीख, की गई कार्रवाही और स्थिति के संबंध में मासिक सूची।
 - ज. निर्बाध पहुंच हेतु निरस्त किए आवेदन पत्रों और तत्संबंधी कारणों के ब्यौरे के संबंध में मासिक रिपोर्ट।
 - झ. आयोग द्वारा जारी "निर्बाध पहुंच प्रभार" के संबंध में आदेश जिसमें निर्बाध पहुंच के लिए सभी शुल्क और निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा प्रदेय सभी प्रभार शामिल हों।
 - ञ. ईएचवी लाइनों और ईएचवी उप-स्टेशनों से निकलने वाली सभी उच्च वोल्टेज वाली लाइनों के संबंध में आरक्षित क्षमता सहित पीक लोड प्रवाह तथा उपलब्ध क्षमता।
 - ट. वेब आरकाइव में पूर्ववर्ती सभी रिपोर्टें उपलब्ध होनी चाहिए:

बशर्ते कि प्रत्येक संचरण/संवितरण लाइसेंसी एसएलडीसी को उपर्युक्त सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा।

अध्याय 9: विविध

9.1 अंतर्राज्य संचरण प्रणाली में निर्बाध पहुंच क्षमता का कम उपयोग करना अथवा उपयोग नहीं करना।

1. दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच

दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता निम्नानुसार स्ट्रेंडिड क्षमता के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करके दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच का पूरा समय समाप्त होने से पहले पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से अपने दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच अधिकारों को छोड़ सकता है:-

- क. 12 साल अथवा इससे ज्यादा की अवधि के लिए एक्सेस अधिकार लेने वाले दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता
- 1 वर्ष का नोटिस- यदि ऐसा उपभोक्ता उस तारीख से कम से कम 1 वर्ष पहले नोडल एजेंसी को आवेदन पत्र देता है जिससे ऐसा उपभोक्ता एक्सेस अधिकार को त्यागने का इच्छुक है, तो कोई प्रभार देय नहीं होंगे;
 - एक वर्ष से कम का नोटिस यदि ऐसा उपभोक्ता उस तारीख से पहले एक वर्ष से कम की अवधि में नोडल एजेंसी को आवेदन पत्र देता है, जिससे ऐसा उपभोक्ता एक्सेस अधिकार को त्यागने का इच्छुक है, तो ऐसा उपभोक्ता एक वर्ष के नोटिस अवधि से कम पड़ने वाली अवधि के लिए स्ट्रेंडिड संचरण और संवितरक क्षमता के लिए संचरण और व्हीलिंग प्रभारों के 66 प्रतिशत (छियासठ%) के समान धनराशि का भुगतान करेगा।
- ख. 12 साल अथवा इससे कम की अवधि के लिए एक्सेस अधिकार लेने वाले दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता –
ऐसा उपभोक्ता एक्सेस अधिकारियों की 12 वर्षों की अवधि से कम पड़ने वाली अवधि के लिए स्ट्रेंडिड संचरण और संवितरक क्षमता के लिए संचरण और व्हीलिंग प्रभारों के 66 प्रतिशत (छियासठ%) के समान धनराशि का भुगतान करेगा:
बशर्ते कि ऐसा उपभोक्ता उस तारीख से कम से कम 1 वर्ष पहले नोडल एजेंसी को आवेदन पत्र देता है जिससे ऐसा उपभोक्ता एक्सेस अधिकार को त्यागने का इच्छुक है:
बशर्ते कि यदि ऐसा उपभोक्ता उस तारीख से पहले एक वर्ष से कम की अवधि में नोडल एजेंसी को दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच अधिकार त्यागने के लिए आवेदन पत्र देता है, तो ऐसा उपभोक्ता एक्सेस अधिकारियों की 12 वर्षों की अवधि के लिए स्ट्रेंडिड संचरण क्षमता हेतु अनुमानित संचरण और व्हीलिंग प्रभारों के 66 प्रतिशत (छियासठ%) के साथ-साथ एक वर्ष की अवधि से कम पड़ने वाली अवधि के अनुमानित संचरण और व्हीलिंग प्रभार (निवल मौजूदा मूल्य) के 66 प्रतिशत (छियासठ%) के समान धनराशि का भुगतान करेगा।
- ग. उपर्युक्त खंड 9.1 (1) के उपखंड (ख) में यथा उल्लिखित निवल मौजूदा मूल्य की गणना करने हेतु लागू डिस्काउंट दर विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी संवितरण लाइसेंसों के द्वारा विद्युत के प्रापण हेतु निविदा प्रक्रिया के जरिए शुल्क के निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर केंद्र आयोग की अधिसूचना में जारी निविदा मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त डिस्काउंट दरें होंगी।
- घ. स्ट्रेंडिड संचरण और व्हीलिंग क्षमता के लिए दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाने वाले मुआवजे का प्रयोग ऐसे दीर्घावधिक और मध्यावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा उस वर्ष के लिए देय संचरण और व्हीलिंग प्रभारों के अनुपात में उस वर्ष में दीर्घावधिक और मध्यावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा संदेय संचरण और व्हीलिंग प्रभारों को कम करने हेतु किया जाएगा जिसमें ऐसा मुआवजा भुगतान देय है।
- ड. उपर्युक्त के अलावा समर्पित संचरण और/अथवा संवितरण प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने वाले उपभोक्ताओं के लिए ऐसी निर्धारित क्षमता हेतु देय जुर्माना आबंटन की शेष अवधि के लिए ऐसे उपभोक्ता द्वारा संदेय प्रभारों का तब तक 100% होगा जब तक कि ऐसे निर्धारित क्षमता के उपयोग के लिए वैकल्पिक प्रयोक्ता न हो।

2. मध्यावधिक निर्बाध पहुंच

मध्यावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से अपने निर्बाध पहुंच अधिकारों को छोड़ सकता है:-
बशर्ते कि अपने अधिकार छोड़ने वाला मध्यावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता 30 दिनों के लिए अथवा अधिकार छोड़ने की अवधि, जो भी कम हो, के लिए लागू संचरण और व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करेगा।

3. निर्बाध पहुंच का लाभ उठाने के लिए अपनी खुद की लागत पर प्रणाली गठित करने वाले निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को संचरण/संवितरण लाइसेंसों द्वारा कोई रिफंड नहीं किया जाएगा चाहे निर्बाध पहुंच उपभोक्ता ने पूरे समय इसका उपयोग किया हो या नहीं।

4. अल्पावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता

- क. यदि अल्पावधिक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता चार घंटों से ज्यादा तक अपनी आबंटित क्षमता का पूरा अथवा आंशिक हिस्सा इस्तेमाल करने के असमर्थ हो तो यह नोडल एजेंसी को इसकी सूचना देगा और ऐसी क्षमता के प्रयोग को वापस सुपुर्द करेगा लेकिन मूल आरक्षित क्षमता और अवधि पर लागू संचरण और व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करेगा। यदि नोडल एजेंसी यह क्षमता पुनर्आबंटित कर पाती है तो जिस ने इस क्षमता को वापस किया था उसे नोडल एजेंसी द्वारा पुनर्आबंटित क्षमता की अवधि और धनराशि के आधार पर संचरण और व्हीलिंग प्रभारों का रिफंड किया जाएगा।
- ख. नोडल एजेंसी प्रभावित पक्षकारों को नोटिस देकर अल्पप्रयुक्त सीमा तक आबंटित क्षमता को कम कर सकता है अथवा इसे रद्द कर सकता है:
- यदि ऐसी क्षमता का तीन दिन से ज्यादा तक अल्प प्रयोग हुआ है; अथवा
 - यदि उपभोक्ता, उत्पादक कंपनी अथवा लाइसेंसी, जैसा भी मामला हो, आबंटित क्षमता का इस्तेमाल करने के प्रति अपनी असमर्थता की सूचना संवितरण लाइसेंसी को देने में असफल रहता है।
- ग. क्षमता को वापस करने अथवा कम करने अथवा निरस्त करने के परिणामस्वरूप उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त क्षमता को लंबित आवेदन पत्रों के क्रमानुसार अन्य किसी भी अल्पावधिक निर्बाध पहुंच आवेदक को आबंटित किया जा सकता है।

9.2 संप्रेषण सुविधा

निर्बाध पहुंच प्रयोक्ता नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर यथानिर्देशित संप्रेषण आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।

9.3 नवीकरणीय क्रय देयता (आरपीओ) की मात्रा

प्रत्येक निर्बाध पहुंच उपभोक्ता समय-समय पर यथा-संशोधित गोवा राज्य तथा संघ राज्य (अक्षय ऊर्जा का प्रापण) विनियम, 2010 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार अपनी नवीकरणीय क्रय देयताओं को पूरी करेगा। आरपीओ की पूर्ति अक्षय ऊर्जा से विद्युत को खरीदकर (किलोवाट ऑवर में) अथवा विद्युत विनियम से अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र खरीदकर निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा की जाएगी। निर्बाध पहुंच उपभोक्ता विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र और पद्धति के अनुसार नोडल एजेंसी को आरपीओ अनुपालन रिपोर्ट देगा।

9.4 कटौती संबंधी प्राथमिकता

- यदि ग्रिड कोड की अपेक्षाओं के अध्यधीन उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली निर्बाध पहुंच में प्रचालन गतिरोधों अथवा अन्यता की वजह से कटौती करना अत्यावश्यक हो तो अल्पावधिक निर्बाध पहुंच लेन-देन में सर्वप्रथम कटौती की जाएगी और तदुपरांत मध्यावधिक निर्बाध पहुंच लेन-देन और इसके उपरांत दीर्घावधिक निर्बाध पहुंच लेन-देन में कटौती की जाएगी:

बशर्ते कि अल्पावधिक निर्बाध पहुंच लेन-देन में सर्वप्रथम द्विपक्षीय लेन-देन में और इसके उपरांत सामूहिक लेन-देन में कटौती अथवा निरस्तीकरण किया जाएगा:

बशर्ते कि किसी संवितरण लाइसेंस संबंधी निर्बाध पहुंच कटौती किए जाने वाला अंतिम होगा:

बशर्ते कि किसी श्रेणी में आने वाले सभी प्रयोक्ताओं की वही कटौती संबंधी प्राथमिकता होगी और दीर्घावधिक तथा मध्यावधिक निर्बाध पहुंच प्रयोक्ता के मामले में आबंटित क्षमता एवं अल्पावधिक निर्बाध पहुंच प्रयोक्ता के मामले में आरक्षित क्षमता के यथा अनुपात में कटौती की जाएगी।

- एसएलडीसी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम में कटौती के मामले में कटौती संबंधी कार्यक्रम के अनुसार संचरण और व्हीलिंग प्रभार यथा अनुपात में संदेय होंगे।
- विस्तृत प्रक्रिया के भाग के रूप में निर्बाध पहुंच की कटौती के लिए समन्वय समिति दिशा-निर्देश तैयार करेगी जो राज्य ग्रिड कोड के प्रावधानों तथा अन्य संबद्ध विनियमनों के अनुरूप होंगे।

9.5 निवाद का निपटारा

इन विनियमों के अंतर्गत होने वाले सभी निवादों और शिकायतों के संबंध में निर्णय संबंध पक्षकार से आवेदन मिलने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। नोडल एजेंसी के निर्णय के खिलाफ अपील आयोग के समक्ष की जाएगी। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9.6 कठिनाइयां दूर करने हेतु शक्तियां

यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधानों के प्रभावस्वरूप कोई भी कठिनाई होती है तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा एसटीयू, एसएलडीसी, संवितरण लाइसेंसिंग, अंतर्राज्य लाइसेंसि एवं निर्बाध पहुंच उपभोक्ता को आयोग द्वारा कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अनिवार्य अथवा अत्यावश्यक लगने वाली कोई भी कार्रवाई करने हेतु दिशा-निर्देश दे सकता है।

9.7 संशोधन करने की शक्ति

आयोग विशेष आदेश द्वारा इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन, संशोधन अथवा आशोधन कर सकता है और इसके कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे।

9.8 शिथिलता संबंधी शक्ति

आयोग इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में जनहित में शिथिलता दे सकता है और इसके कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे।

9.9 व्याख्या

यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान के निवर्चन के संबंध में कोई प्रश्न खड़ा होता है तो आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

9.10 अप्रत्याशित घटना

1. अप्रत्याशित घटनाओं में ऐसी घटनाएं शामिल होंगी जो निर्बाध पहुंच करार के पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर है और जिनकी प्रत्याशा तर्क संगत विवेकानुसार नहीं की जा सकती है अथवा जिन्हें रोका नहीं किया जा सकता है तथा जो किसी भी पक्षकार के निष्पादन पर अत्यंत प्रभाव डालती है। निम्नलिखित घटनाओं को इन विनियमों के प्रयोजनार्थ अप्रत्याशित घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, परंतु ये केवल नीचे लिखी घटनाओं तक ही सीमित नहीं होंगी:-

क. प्राकृतिक आपदा (भूकंप, चक्रवात, बाढ़);

ख. युद्ध, दंगे, गृह युद्ध और अन्य उतार-चढ़ाव; और

ग. ग्रिड / संवितरण प्रणाली में खराबी आना, जो पक्षकारों की वजह से न हो।

2. निर्बाध पहुंच करार के दोनों पक्षकार करार की शर्तों और निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथापि कोई भी पक्षकार अप्रत्याशित घटना की वजह से निर्बाध पहुंच करार की शर्तों के निष्पादन में विफल रहने पर किसी भी प्रकार की हानि अथवा क्षति के लिए कोई भी दावा करने हेतु पात्र नहीं होंगे। परंतु अप्रत्याशित घटनाओं के लाभ का दावा करने वाले किसी भी पक्षकार को ऐसी घटनाओं के अस्तित्व के बारे में अन्य पक्षकार को संतुष्ट करना पड़ेगा।

9.11 आयोग की अंतर्निहित शक्तियों का बचाव

यदि जनहित अथवा मामलों की श्रेणी में अथवा मामलों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आयोग को यह अनिवार्य अथवा अत्यावश्यक लगता है कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं हो पाएगा तो इन विनियमों में किसी भी प्रावधान से आयोग की ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने की अंतर्निहित शक्तियां सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित नहीं होंगी जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान के विपरीत है, और तत्संबंधी कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा।

9.12 निरसन

1. गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (संचरण और संवितरण में ओपन एक्सेस) विनियम 2009 के संबंध में संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग इन विनियमों के लागू होने की तारीख से निरस्त हो जाएगा तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की संहिताओं अथवा प्रक्रियाओं, विनियमों, किन्हीं भी मानकों में इन विनियमों के संदर्भ को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (कनेक्टिविटी और अंतर्राज्य संचरण और संवितरण में ओपन एक्सेस) विनियम 2017 संबंधी संयुक्त विद्युत विनियामक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया माना जाएगा:

बशर्ते कि इन विनियमों के अंतर्गत निर्बाध पहुंच देने हेतु आवेदन पत्र इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत जारी की गई नई प्रक्रिया होने तक पुराने विनियमों के अंतर्गत जारी प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए हों।

2. ऐसे निरसन के बावजूद इन निरस्त किए गए विनियमों के अंतर्गत किए गए अथवा किए जाने वाले कार्यों, जब तक ये इन विनियमों के प्रतिकूल नहीं होते हैं, को विनियमों के अंतर्गत किए गए अथवा किए जाने वाले कार्यों के रूप में माना जाएगा।

3. ये विनियम आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों / संहिताओं के अतिरिक्त हैं न कि प्रतिकूल।

कीर्ति तिवारी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./475/17]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For State of Goa and UTs)

NOTIFICATION

Gurugram, the 14th March, 2018

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017

No. JERC-21/2017.—In exercise of the powers conferred on it by Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all the powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories, after previous publication, hereby makes the following Regulations, namely:-

Preliminary**1) Short Title, Commencement and Extent**

- a) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017.
- b) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- c) These Regulations extend to the whole of the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Puducherry and Chandigarh.

2) Definitions

1. In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- a) **“Act”** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- b) **“Allotted Capacity”** means the power transfer in MW between the specified point of injection and point of drawal allowed to a Long-term or a Medium-term Open Access Consumer or a Generating Station on the Intra-State Transmission System or the Distribution System and the expression "Allotment of Capacity" shall be construed accordingly;
- c) **“Applicant”** means a Consumer, Trading Licensee, Distribution Licensee or a generating company, including captive power plant, who has applied for seeking Connectivity or Open Access, as the case may be;
- d) **“Bank Rate”** means the base rate of interest as specified by the State Bank of India from time to time or any replacement thereof for the time being in effect plus 350 basis points;
- e) **“Bilateral Transaction”** means a transaction for exchange of energy (MWh) between a specified buyer and a specified seller, directly or through Trading Licensee or discovered at Power Exchange through anonymous bidding, from a specified point of injection to a specified point of drawal for a fixed or varying quantum of power (MW) for any time period during a Month;
- f) **“Central Commission”** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in of Section 76 of the Act;
- g) **“Collective Transaction”** means a set of transactions discovered in Power Exchange through anonymous, simultaneous competitive bidding by buyers and sellers;
- h) **“Commission”** means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories referred to in Section 83 of the Act;
- i) **“Congestion”** means a situation where the demand for transmission or distribution capacity exceeds the available transfer capacity;
- j) **“Connectivity”** for a Generating Station, including a captive power plant, or a Licensee means the state of getting connected to the Intra-State Transmission System or Distribution System;
- k) **“Consumer”** shall carry the same meaning as in the Act, but shall be restricted to such Consumers within the State;
- l) **“Contract Demand”** means the demand in Kilovolt Ampere (‘KVA’) or Megavolt Ampere (‘MVA’), as mutually agreed between the Distribution Licensee and the Consumer -
 - (i) in the agreement for supply of electricity; or
 - (ii) through other written communication:

Provided that unity power factor shall be considered for the purpose of unit conversion from MVA/kVA to MW/kW;

- m) **“Coordination Committee”** means the committee constituted under the Clause 3.4 of these Regulations;
- n) **“Day”** means a day starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours;
- o) **“Detailed Procedure”** means the procedure for Connectivity and Open Access to be issued by the Coordination Committee as per the Clause 3.4 of these Regulations;
- p) **“Distribution Franchisee”** means a person authorized by a Distribution Licensee to distribute electricity on its behalf in a particular area within his area of supply;
- q) **“Distribution Licensee”** means a Licensee authorized to operate and maintain a Distribution System for supplying electricity to the Consumers in its area of supply;
- r) **“Electricity Supply Code”** means the Regulations specified by the Commission under Clause (u), Clause (v), Clause (w), Clause (x) and Clause (zp) of sub-section (2) of Section 181 read with Section 50 of the Act;
- s) **“Full Open Access Consumer”** means an Open Access Consumer who maintains zero demand with the Distribution Licensee in whose area of supply it is located in order to cater to his load requirement;
- t) **“Generating Station”** means any station for generating electricity, and shall also include power plants generating from renewable sources;
- u) **“Grid Code”** means Grid Code specified by Central Electricity Regulatory Commission under Clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act;
- v) **“Long-term Open Access”** or **“LTOA”** means the right to use the Intra-State Transmission System and /or Distribution System for a period exceeding seven (7) years;
- w) **“Medium-term Open Access”** or **“MTOA”** means the right to use the Intra -State Transmission System and /or Distribution System for a period equal to or exceeding three (3) Months but not exceeding five (5) years;
- x) **“Month”** means a calendar month as per the Gregorian calendar;
- y) **“Nodal Agency”** means the Nodal Agency defined in Clause 3.2 of these Regulations;
- z) **“Open Access Consumer”** means a person permitted to use Intra-State Transmission System and/or Distribution System to receive supply of electricity from a person other than the Distribution Licensee of his area of supply, and the expression includes a generating company and a Licensee, who has availed of or intends to avail of Open Access;
- aa) **“Partial Open Access Consumer”** means an Open Access Consumer who maintains some demand with the Distribution Licensee in whose area of supply it is located in order to cater to his load requirement;
- bb) **“Renewable Energy”** means electricity generated from Renewable Energy Sources as defined in the Joint Electricity Regulatory Commission for state of Goa & Union Territories (Procurement of Renewable energy) Regulations, 2010, as amended from time to time;
- cc) **“State Load Despatch Centre”** or **“SLDC”** means the State Load Despatch Centre established in the State under sub-section (1) of Section 31 of the Act and includes the sub-SLDC in the State;
- dd) **“Short-term Open Access”** or **“STOA”** means the right to use the Intra-State Transmission System and/or Distribution System for a period not exceeding one (1) Month at a time;
- ee) **“Special Energy Meter”** or **“SEM”** means meters installed in accordance with the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time;
- ff) **“State”** means the State of Goa, and includes the Union Territories, except Delhi;
- gg) **“State Grid Code”** means the State Grid Code specified by the Commission under Clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;
- hh) **“State Transmission Utility (STU)”** means a Government company specified as such by the Government under sub-section (1) of Section 39 of the Act;
- ii) **“Time Block”** means a period of fifteen minutes for which Special Energy Meters record specified electrical parameters and quantities, with the first such period starting at 00:00 hours;
- jj) **“Transmission Licensee”** means a Licensee authorized to establish or operate transmission lines;
- kk) **“Working Day”** means a Day on which banks are open for business.

2. Words and expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or Grid Code or State Grid Code shall bear the same meanings as respectively assigned to them in the Act or Grid Code or State Grid Code and the words and expressions used herein but not specifically defined herein or in the Act or Grid Code or State Grid Code shall have the meanings generally assigned to them in the electricity industry.
3. In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:
 - a) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;
 - b) The terms “include” or “including” shall be deemed to be followed by “without limitation” or “but not limited to” regardless of whether such terms are followed by such phrases or words of like import;
 - c) References herein to the “Regulations” shall be construed as a reference to these Regulations or as may be amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force;
 - d) The headings within the Regulations are inserted for convenience and be read together with the text below for the purpose of interpretation of these Regulations;
 - e) References to the Statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such Statutes, Regulations or guidelines, as the case may be, referred to;
 - f) In case of inconsistency between any Clauses of these Regulations and any other Regulations or Orders passed by the Commission, the provisions of these Regulations shall prevail.

Chapter 1: Connectivity

1.1 Connectivity

1. A Consumer having a load of 4 MW and above or a Generating Station having a capacity of 4 MW and above shall be eligible to obtain Connectivity to the Intra-State Transmission System, unless already connected, and shall apply for Connectivity, in accordance with the provisions in this Chapter:

Provided that a Generating Station with an installed capacity below 4 MW may also obtain Connectivity to the Intra-State Transmission System, if it is found to be technically feasible by the State Transmission Utility.

2. A Generating Station, including a captive power plant having installed capacity less than 4 MW shall be eligible to obtain Connectivity to the Distribution system, unless already connected, in accordance with the provisions of these Regulations:

Provided that a Generating Station having installed capacity of more than 4 MW may be provided Connectivity to the Distribution System if such Connectivity is found to be technically feasible by the Distribution Licensee:

Provided further that a Distribution Licensee shall be eligible to seek Connectivity to the Intra-State Transmission System and/or the Distribution System of any other Distribution Licensee.

1.2 Application Process for Connectivity to Intra-State Transmission System

1. An Applicant shall apply to the STU for Connectivity in the form prescribed in the Detailed Procedure:

Provided that the STU shall inform the Applicant of any errors or missing information within two (2) Working Days of the receipt of the application.

2. The application shall be accompanied by a non-refundable fee in the shape of demand draft or any form of electronic payment in favour of the entity as mentioned in the Detailed Procedure. The amount of fee is stated in the table below:

Table 1: Application Fee for Connectivity to Intra-State Transmission System

S.No.	Quantum of power to be injected/off take into/from Intra-State Transmission	Application Fee (Rupees (₹))
1	Upto 10 MW	100,000
2	More than 10 MW and upto to 50 MW	200,000
3	More than 50 MW and up to 100 MW	300,000
4	More than 100 MW	400,000

Provided that the application fee for Connectivity for Renewable Energy based generators shall be 50% of the above fee.

3. The application for Connectivity shall contain details such as proposed geographical location of the Applicant, quantum of power to be interchanged that is the quantum of power to be injected in the case of a Generating Station including a captive powerplant and quantum of power to be drawn in the case of Consumer, with the Intra-State Transmission System and such other details as may be laid down in the Detailed Procedure:

Provided that in cases where after the application has been filed, there has been any change in the location of the Applicant, or change in the quantum of power to be interchanged with the Intra-State Transmission System by more than 10 percent, the Applicant shall make a fresh application, which shall be considered in accordance with these Regulations.

4. On receipt of the application, the STU shall, in consultation and through coordination with other agencies involved in the Intra-State Transmission, process the application and carry out the necessary inter-connection study as specified in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007 and Grid Code/State Grid Code.
5. While granting Connectivity, the STU shall specify the name of the sub-station or pooling station or switchyard where Connectivity is to be granted. In case Connectivity is to be granted by looping-in and looping-out of an existing or proposed line, the STU shall specify the point of connection and name of the line at which Connectivity is to be granted. The STU shall indicate the broad design features of the dedicated transmission line and the timeframe for completion of the dedicated transmission line, if applicable.
6. The Applicant shall sign a “Connection Agreement” with the State Transmission Utility or Intra-State Transmission Licensee owning the sub-station or pooling station or switchyard or the transmission line as identified by the STU where Connectivity is being granted:

Provided that in case Connectivity of a Generating Station, including captive power plant or Consumer is granted to the Intra-State Transmission System of an Intra-State Transmission Licensee other than the State Transmission Utility, a tripartite agreement as provided in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007 shall be signed between the Applicant, the State Transmission Utility and such Intra-State Transmission Licensee.

7. The grant of Connectivity shall not entitle an Applicant to interchange any power with the grid unless it obtains Long-term Open Access, Medium-term Open Access or Short-term Open Access in accordance with the provisions of these Regulations:

Provided that any interchange of power with the grid without any type of Open Access shall be violation of these Regulations and shall be dealt with in accordance with Section 142 of the Electricity Act, 2003:

Provided further that provisions of these Regulations shall not be applicable to exchange of energy taking place under Clauses 1.2(8) and 1.2(9) below.

8. A Generating Station, including captive powerplant which has been granted Connectivity to the grid shall be allowed to undertake testing including full load testing by injecting its infirm power into the grid before being put into commercial operation, even before availing any type of Open Access. This shall be for a maximum period of six (6) Months, after obtaining permission of the State Load Despatch Centre, which shall keep grid security in view while granting such permission:

Provided that, for the purpose of these Regulations, in exceptional circumstances the STU in consultation with the SLDC may allow extension of the period for testing, including full load test, and consequent injection of infirm power by the Generating Station, beyond six (6) Months on an application made by the generating company at least one (1) Month before the initial period of six (6) Months gets over.

9. The commercial treatment of such infirm power from a Generating Station, shall be as specified in the Regulations of the Commission governing multi-year tariff determination:

Provided that the power injected into the grid on account of such testing from a Generating Station for which the tariff has not been determined by the Commission, shall be the average variable cost of long-term power purchase as approved by the Commission in the prevailing Tariff Order in respect of the Distribution Licensee to whom the Generating Station intends to sell the power.

10. An Applicant may be required by the State Transmission Utility to construct a dedicated line to the point of connection to enable Connectivity to the grid unless exempted by the Commission for reasons to be recorded in writing:

Provided that the construction of such dedicated line may be taken up by the STU or the Intra-State Transmission Licensee upon payment by the Applicant.

11. The State Transmission Utility shall convey its decision on grant of Connectivity or otherwise within a period of sixty (60)Days from the date of receipt of application complete in all aspects:
Provided that the STU may reject an application, stating the reasons for such rejection, aftergiving the Applicant an opportunity to represent against the proposed rejection.
12. A Consumer or Generating Station already connected to the Intra-State Transmission System for which Connectivity has been granted under an existing arrangement shall not be required to apply for Connectivity for the same capacity. However, in case of enhancement of capacity of the Generating Station, a fresh application shall be made for the grant of Connectivity in accordance with these Regulations.

1.3 Application Process for Connectivity to Distribution System by a Generating Station

1. All eligible Generating Stations including a captive powerplant, seeking Connectivity to a Distribution System, shall apply to the Distribution Licensee for Connectivity in the form prescribed in the Detailed Procedure:
Provided that the Distribution Licensee shall inform the Applicant of any errors or missing information within two (2) Working Days of the receipt of the application.
2. The application shall be accompanied by a non-refundable fee of Rupees one lakh (• 100,000) in the shape of demand draft or any form of electronic payment in favour of the entity as specified in the Detailed Procedure:
Provided that the application fee for Connectivity for Renewable Energy based generators shall be 50% of the above fee.
3. The application for Connectivity shall contain details such as, proposed geographical location of the Generating Station, quantum of power to be injected and such other details as may be laid down in the Detailed Procedure.
4. On receipt of the application, the Distribution Licensee shall, in consultation and through coordination with State Transmission Utility, process the application and carry out the necessary inter-connection study as specified in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007 and Grid Code/State Grid Code.
5. While granting Connectivity, the Distribution Licensee shall specify the name of the sub-station or pooling station or switchyard where Connectivity is to be granted.
6. The Distribution Licensee shall indicate the broad design features such as switchyard and interconnection facility upto the point of injection into the substation of the Distribution Licensee and the timeframe for completion of the same. The cost of creation of these facilities shall be borne by the generating company. In cases where augmentation of the Distribution Licensee's substation is involved, the generating company shall also bear the cost of the bay, the breaker in the Distribution Licensee's substation and the equipment for inter-connection of real time data to SLDC.
7. The Applicant and the Distribution Licensee shall comply with the provisions of the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007.
8. The Applicant shall sign a"Connection Agreement" with the Distribution Licensee where Connectivity is being granted in the format provided in the Detailed Procedure.
9. The grant of Connectivity shall not by itself entitle an Applicant to interchange any power with the grid unless it obtains Long-term Open Access, Medium-term Open Access or Short-term Open Access in accordance with the provisions of these Regulations:
Provided that any inter-change of power with the grid without any type of Open Access shall be violation of these Regulations and shall be dealt with in accordance with Section 142 of the Electricity Act, 2003:
Provided further that provisions of theseRegulations shall not be applicable to exchange of energy taking place under Clauses 1.3(10) and 1.3(11) below.
10. A Generating Station, including captive powerplant which has been granted Connectivity to the Distribution System shall be allowed to undertake testing including full-load testing by injecting its infirm power into the grid before being put into commercial operation, even before availing any type of Open Access. This shall be for a maximum period of six (6) Months, after obtaining permission of the State Load Despatch Centre and the Distribution Licensee, who shall keep grid security in view while granting such permission:
Provided that, for the purpose of these Regulations, in exceptional circumstances, the Distribution Licensee in consultation with the SLDC may allow extension of the period for testing, including full load test, and consequent injection of infirm power by the Generating Station, beyond six (6)Months on an application made by the generating company at least one (1) Month before the initial period of six (6)Months gets over.

11. The commercial treatment of such infirm power from a Generating Station, shall be as specified in the Regulations of the Commission governing multi-year tariff determination:
Provided that the power injected into the grid on account of such testing from a Generating Station for which the tariff has not been determined by the Commission, shall be the average variable cost of long-term power purchase as approved by the Commission in the prevailing Tariff Order in respect of the Distribution Licensee to whom the Generating Station intends to sell the power.
12. The Distribution Licensee shall convey its decision on grant of Connectivity within thirty (30) Days from the receipt of an application complete in all respects:
Provided that the Distribution Licensee may reject an application, stating the reasons for such rejection, after giving the Applicant an opportunity to represent against the proposed rejection.
13. A Generating Station already connected to the Distribution System or to whom Connectivity is already granted under an existing arrangement shall not be required to apply for Connectivity for the same capacity. However, in case of augmentation of capacity of the Generating Station, a fresh application for modification to the Connectivity provisions shall be required in accordance with the provisions of these Regulations.

Chapter 2: General Conditions for Open Access

2.1 Phasing of Open Access

1. Open Access shall be allowed to all Consumers where the maximum power to be made available at any time exceeds the threshold level of 1 MVA subject to the satisfaction of the conditions contained in these Regulations:
Provided that the Commission may allow Open Access to Consumers seeking Open Access for capacity less than 1 MVA through a separate Order at such time as it may consider feasible having regard to operational constraints and other factors.

2.2 Eligibility for Open Access and Conditions to be Satisfied

1. Subject to the provisions of these Regulations,
 - a) any Licensee;
 - b) a generating company which owns and/or operates or intends to own and/or operate a Generating Station in the State, including a captive power plant; and
 - c) a Consumer other than the Distribution Licensee with a Contract Demand in accordance with Clause 2.1 of the Regulations

shall be eligible for Open Access to the Intra-State Transmission System of the State Transmission Utility or any other Intra-State Transmission Licensee on payment of the transmission and other charges as may be determined by the Commission in accordance with Chapter 4 of these Regulations:

Provided that grant of Open Access in respect of the Intra-State Transmission System shall be subject to the grant of Connectivity under these Regulations.

2. Subject to the provisions of these Regulations,
 - a) a Trading Licensee;
 - b) a generating company which owns or operates and/or intends to own and/or operate a Generating Station in the State, including a captive powerplant; and
 - c) a Consumer having a Contract Demand in accordance with Clause 2.1 of the Regulations and connected to the Distribution System of the Licensee, provided the Applicant is connected through an independent feeder emanating from a grid sub-station.

shall be eligible for Open Access to the Distribution System of a Distribution Licensee on payment of the wheeling and other charges as may be determined by the Commission in accordance with Chapter 4 of these Regulations:

Provided that when a person, who has established a captive power plant, opts for Open Access for carrying the electricity to the destination of his own use, the limitation of Contract Demand as specified in Clause 2.1 of Regulations shall not be applicable:

Provided that a Consumer located in the area of a Distribution Franchisee shall also be eligible for Open Access:

Provided further that a Distribution Franchisee shall not be eligible for Open Access, except in its capacity as a Consumer:

Provided further that grant of Open Access in respect of the Distribution System shall be subject to the grant of Connectivity under these Regulations.

3. The Consumers with Contract Demand in accordance with Clause 2.1 of the Regulations who are not on independent feeders shall also be allowed Open Access subject to the condition that they agree to the system constraints as well as the power cut restrictions imposed on that feeder by the utility serving them. In such cases, the duty of the Distribution Licensee shall be of a common carrier providing non-discriminatory Open Access as per Section 42 (3) of the Act.
4. A person having been declared insolvent or bankrupt or having outstanding dues against him for more than two (2) Months billing of Distribution/Transmission Licensee at the time of application shall not be eligible for Open Access:

Provided that, if the dispute regarding outstanding dues is pending with any forum or court and a stay is granted by the competent authority, the person shall be eligible for seeking Open Access.

2.3 Provisions for Existing Distribution Licensees

1. The Distribution Licensee/(s) using the Intra-State Transmission System and/or the Distribution System in the State on the date of coming into force of these Regulations under an existing arrangement shall be entitled to continue to avail Open Access on such Transmission and/or Distribution System on the existing terms and conditions on payment of transmission charges and/or wheeling charges and other applicable charges as may be determined by the Commission from time to time in accordance with these Regulations.
2. The existing Distribution Licensee/(s) shall, within sixty (60) Days of coming into force of these Regulations, furnish to the State Transmission Utility and the SLDC, details of their use of Transmission System and/or the Distribution System and the existing terms and conditions for such use.

2.4 Provisions for Existing Consumers and Generating Company Availing Open Access

1. The existing Consumer or a generating company including captive power plants availing Open Access under agreements or Government policies on the date of coming into force of these Regulations may continue to avail Open Access on the terms and conditions of the agreement or policy of the State till the current validity of the agreement/policy on payment of transmission charges and/or wheeling charges and other applicable charges as may be determined by the Commission from time to time in accordance with these Regulations.
2. The existing Consumer other than the Distribution Licensees or a generating company including captive power plants under Clause 2.4 (1), shall submit to the State Transmission Utility and the SLDC details of capacity utilized, point of injection, point of drawal, duration of availing Open Access, peak load, average load and such other information as the State Transmission Utility or the SLDC may require, within sixty (60) Days of coming into force of these Regulations.

2.5 Settlement of Dues

A Consumer applying for Open Access to the Distribution System shall settle all dues of the Distribution Licensee prior to applying for Open Access:

Provided that, where there is a dispute between the Distribution Licensee and the Consumer relating to payment of any charges for electricity, such a Consumer shall be allowed Open Access pending resolution of such dispute upon deposit of the disputed amount with the Distribution Licensee, in accordance with Section 56 of the Act:

Provided further that the Distribution Licensee shall pay interest at a rate equivalent to the Bank Rate for the amount of deposit of the disputed amount that may be returned to the Consumer upon resolution of the dispute in its favour.

2.6 Final Meter Reading

The final meter reading of the Consumer shall be taken by the Distribution Licensee on the date of commencement of Open Access:

Provided that the final meter reading shall be taken in the presence of the Consumer or his representative, and the generating company or Licensee from whom the Consumer intends to obtain supply of electricity, after written intimation to them:

Provided that, if any of these entities are not present as scheduled, the Distribution Licensee may take the final reading and inform them accordingly.

2.7 Criteria for Granting Open Access

1. The Long-term Open Access shall be allowed in accordance with the Transmission System planning criteria and the Distribution System planning criteria stipulated in the State Grid Code, or as specified by the Commission from time to time:

Provided that the Applicant shall bear the cost of any augmentation of the Transmission and/or Distribution System that may be required.

2. Medium-term Open Access shall be granted if the resultant power flow can be accommodated in the existing Transmission System and the Distribution System:

Provided that normally no augmentation shall be carried out to the Transmission System/Distribution System for the sole purpose of granting Medium-term Open Access:

However, if the augmentation is required and if the Applicant is ready to bear the cost of such system augmentation then the Applicant may be granted Medium-term Open Access, as the case may be, in accordance with the procedure as is applicable for grant of Long-term Open Access.

3. A Consumer shall be eligible for Short-term Open Access over the surplus capacity on the Intra-State Transmission System/Distribution System available after use by the Long-term Open Access Consumers and the Medium-term Open Access Consumers, by virtue of

- a) Inherent design margins;
- b) Margins available due to variation in power flows; and
- c) Margins available due to in-built spare transmission / distribution capacity created to cater to future load growth:

Provided that no augmentation shall be carried out to the Transmission System for the sole purpose of granting Short-term Open Access.

4. The construction of a dedicated Transmission Line/Distribution System shall not be construed as augmentation of the Transmission System/Distribution System for the purpose of these Regulations.

Chapter 3: Application Procedure and Approval

3.1 Categories of Open Access Consumers

The application procedure, application fee and the time frame of processing requests by eligible Consumers seeking Open Access shall be based on the following criteria:-

- a. System to which connected:
 - i. Intra-State Transmission System
 - ii. Distribution System
- b. Inter-se location of drawal and injection points:
 - i. Distribution System
 - ii. Intra-State Transmission System
 - iii. In different States
- c. Duration of Open Access:
 - i. Long-term Open Access
 - ii. Medium-term Open Access
 - iii. Short-term Open Access
- d. Type of transaction:
 - i. Collective Transactions through Power Exchange(s)
 - ii. Bilateral Transactions as per mutual negotiation

3.2 Nodal Agency and fee for Open Access

1. An application for Open Access shall be made in the prescribed form and submitted to the Nodal Agency in accordance with these Regulations. The application fee is inclusive of the charges for any load flow or system studies to be conducted by the Nodal Agency.
2. The Nodal Agency shall, within one-eighty (180) Days of notification of these Regulations provide a facility to submit the applications for Open Access through its website and/or other electronic media including mobile based application.
3. Subject to the provisions of these Regulations, the Nodal Agency, application fee, time frame for disposal of application and documents to accompany the application shall be as per the tables below :

Provided that the application fee for Open Access transactions involving Renewable Energy shall be 50% of the applicable fee.

Table 2: Short-term Open Access (Nodal Agency, Fee, Time period and Documents)

S.No.	Inter-se location of injection & drawal point	Nodal Agency	Application Fee (₹)	Time for disposal of the application (Days from the receipt of application)	Documents required with the application
Applicant is connected to the distribution network					
1	Both within the same Distribution Licensee	SLDC	2,000	As provided in Clause 3.7	<ul style="list-style-type: none"> • Proof of payment of Application fee • PPA or Sale-purchase agreement of power • Proof of installation of SEM
2	Both within the same State but in areas of different Distribution Licensees	SLDC	5,000	Same as above	Same as above. Additionally consent from all Distribution Licensees
3	Injection point in the Intra-State Transmission System within the State	SLDC	5,000	Same as above	Same as above
4	Consumer opting to avail power supply from Power Exchange	NLDC	As per Central Commission's Regulations		
5	In different States	RLDC	As per Central Commission's Regulations		
Applicant is connected to the Intra-State transmission network					
1	Both within the same State (in Intra-State Transmission Network)	SLDC	5,000	As provided in Clause 3.7	<ul style="list-style-type: none"> • Proof of payment of Application fee • PPA or Sale-purchase agreement of power • Proof of installation of SEM
2	Injection Point in the Distribution Network within State	SLDC	5,000	Same as above	Same as above.
3	Consumer opting to avail power supply from Power Exchange	NLDC	As per Central Commission's Regulations		
4	In different States	RLDC	As per Central Commission's Regulations		

Table 3: Medium-term Open Access (Nodal Agency, Fee, Time period and Documents)

S.No.	Inter-se location of injection & drawal point	Nodal Agency	Application Fee (₹)	Time for disposal of the application (Days from the receipt of application)	Documents required with the application
Applicant is connected to the distribution network					
1	Both within the same Distribution Licensee	SLDC	25,000	20	<ul style="list-style-type: none"> • Proof of payment of Application fee • Bank Guarantee • PPA or Sale-purchase

S.No.	Inter-se location of injection & drawal point	Nodal Agency	Application Fee (₹)	Time for disposal of the application (Days from the receipt of application)	Documents required with the application
					agreement of power <ul style="list-style-type: none"> In case of Generating Station or Consumer not already connected to the grid, documentary evidence for completion of the Connectivity showing that the same shall be completed before the intended date of Open Access. Proof of installation of SEM
2	Both within the same State but in areas of different Distribution Licensees	SLDC	50,000	30	Same as above. Additionally consent from all Distribution Licensees
3	Injection point in the Intra-State Transmission System within the State	SLDC	50,000	30	Same as above
4	In different States	CTU	As per Central Commission's Regulations		
Applicant is connected to the Intra-State transmission network					
1	Both within the same State (in Intra-State transmission network)	SLDC	50,000	30	<ul style="list-style-type: none"> Proof of payment of Application fee Bank Guarantee PPA or Sale-purchase agreement of power PPA or Sale-purchase agreement of power In case of Generating Station or Consumer not already connected to the grid, documentary evidence for completion of the Connectivity showing that the same shall be completed before the intended date of Open Access. Proof of installation of SEM
2	Injection Point in the Distribution Network within State	SLDC	50,000	30	Same as above.
3	In different States	CTU	As per Central Commission's Regulations		

Table 4: Long-term Open Access (Nodal Agency, Fee, Time period and Documents)

S.No.	Inter-se location of injection & drawal point	Nodal Agency	Application Fee (₹)	Time for disposal of the application (Days from the receipt of application)	Documents required with the application
Applicant is connected to the distribution network					
1	Both within the same Distribution Licensee	SLDC	100,000	30	<ul style="list-style-type: none"> • Proof of payment of Application fee • Bank Guarantee • PPA or Sale-purchase agreement of power • In case of Generating Station or Consumer not already connected to the grid, documentary evidence for completion of the Connectivity showing that the same shall be completed before the intended date of Open Access. • Proof of installation of SEM
2	Both within the same State but in areas of different Distribution Licensees	SLDC	200,000	<ul style="list-style-type: none"> • 120 Days where augmentation of Transmission / Distribution system is not required • 150 Days, otherwise 	Same as above. Additionally consent from all Distribution Licensees
3	Injection point in the Intra-State Transmission System within the State	STU	200,000	Same as above	Same as above
4	In different States	CTU	As per Central Commission's Regulations		
Applicant is connected to the Intra-State transmission network					
1	Both within the same State (in Intra-State transmission network)	STU	200,000	<ul style="list-style-type: none"> • 120 Days where augmentation of Transmission/ Distribution System is not required • 150 Days, otherwise 	<ul style="list-style-type: none"> • Proof of payment of Application fee • Bank Guarantee • PPA or Sale-purchase agreement of power • In case of Generating Station or Consumer not already connected to the grid, documentary evidence for completion of the Connectivity showing that the same shall be completed before the intended date of Open Access. • Proof of installation of SEM

S.No.	Inter-se location of injection & drawal point	Nodal Agency	Application Fee (₹)	Time for disposal of the application (Days from the receipt of application)	Documents required with the application
2	Injection Point in the Distribution Network within State	STU	200,000	Same as above	Same as above.
3	In different States	CTU	As per Central Commission's Regulations		

3.3 Procedure for Grant of Open Access Involving Inter-State Transmission System

1. The procedure for grant of Long-term Open Access or Medium-term Open Access involving Inter-State Transmission System shall be as per Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in Inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009 as amended from time to time. The procedure for grant of Short-term Open Access shall be as per the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2008 as amended from time to time.
2. The STU shall convey its consent in the case of application for grant of Long-term Open Access or Medium-term Open Access or otherwise as per the provisions of Central Electricity Regulatory Commission Regulations, 2009 as amended from time to time. In case of Short-term Open Access, STU shall convey its consent or otherwise as per the provision of Central Electricity Regulatory Commission Regulations, 2008, as amended from time to time:

Provided that in respect of a Consumer connected to a Distribution System seeking Inter-State Long-term or Medium-term or Short-term Open Access, the SLDC, before giving its consent shall obtain the consent of the Distribution Licensee concerned in accordance with Clause 3.8 of the Regulations.

3.4 Creation of Coordination Committee and Detailed Procedure for Grant of Open Access

1. The STU shall constitute a Coordination Committee within ten (10) Days from the date of notification of these Regulations. The Coordination Committee shall have a nominee each of the Distribution Licensees, Transmission Licensees and the SLDC. The nominee of the STU shall be the Chairperson of the Coordination Committee.
2. Subject to provisions of these Regulations, the Coordination Committee shall prepare the Detailed Procedure for Connectivity and grant of Open Access including requisite formats and submit to the Commission for approval within sixty (60) Days of publication of these Regulations in the Official Gazette. The Detailed Procedure shall be issued after the approval of the Commission.
3. The Detailed Procedure shall, in particular, include:-
 - a) Format for application of Connectivity;
 - b) Format for application of Long-term Open Access;
 - c) Format for application of Medium-term Open Access;
 - d) Format for application of Short-term Open Access;
 - e) Proforma for No Objection Certificate from the Distribution Licensee;
 - f) Standard formats for Connectivity Agreements;
 - g) Standard formats for Open Access Agreements;
 - h) Proforma of Undertaking;
 - i) Commercial terms and conditions as per Clause 7.3 (2);
 - j) Guidelines for curtailment of Open Access;
 - k) Application format for drawal of standby power from the Distribution Licensee;
 - l) Illustrative example for computation of charges, including imbalance charges for an Open Access Consumer; and
 - m) General instructions

3.5 Procedure for Grant of Long-term Open Access Involving Intra-State Transmission and/or Distribution System

1. The application for grant of Long-term Open Access shall be submitted to the Nodal Agency along with payment of non-refundable application fee as specified in the Clause 3.2 of the Regulations and shall contain details such as the name of the entity or entities from whom the power is proposed to be procured along with the quantum of power, point of injection into the grid and point of drawal from the grid and such other details as may be laid down in the Detailed Procedure under Clause 3.4 of the Regulations:

Provided that the Nodal Agency shall inform the Applicant of any errors or missing information within two (2) Working Days of the receipt of the application:

Provided that in cases where there is any material change in the location of the Applicant or a change by more than ten (10) percent in the quantum of power to be interchanged using the Intra-State Transmission System and/or Distribution System, a fresh application shall be made, which shall be considered in accordance with the provisions of these Regulations.

2. The application shall be accompanied by a bank guarantee of Rupees ten thousand (₹ 10,000) per MW or part thereof for the total power to be transmitted. The bank guarantee shall be in favour of the Nodal Agency in the format as per the Detailed Procedure.
3. The bank guarantee shall be kept valid till the execution of the Long-term Open Access agreement, when augmentation of Transmission System or Distribution System is required, and till the operationalization of the Long-term Open Access, when augmentation of Transmission System or Distribution System is not required.
4. On receipt of the application for Open Access, the Nodal Agency shall obtain all the permissions and clearances from the Distribution Licensees, SLDC, STU and other agencies, as may be required, for the Open Access transaction.
5. The Applicant shall submit any other information sought by the Nodal Agency including the basis for assessment of the power to be interchanged using the Intra-State Transmission System or Distribution System and the power to be transmitted to or from various entities or regions to enable the Nodal Agency to plan the Intra-State Transmission System and Distribution System in a comprehensive manner.
6. The bank guarantee shall be returned to the Applicant within fifteen (15) Days of signing of the Long-term Open Access agreement or operationalization of the Long-term Open Access, as applicable or rejection of such application.
7. The bank guarantee may be encashed by the Nodal Agency, if the application is withdrawn by the Applicant or the Long-term Open Access rights are relinquished prior to the start of such rights when augmentation of Transmission System or Distribution System is not required.
8. The Nodal Agency shall, in consultation and through coordination with other agencies involved in Intra-State Transmission System and /or Distribution System to be used, process the application and carry out the necessary system studies as expeditiously as possible so as to ensure that the decision to grant Long-term access is arrived at within the timeframe specified in Clause 3.2 of the Regulations:

Provided that no application shall be rejected by the Nodal Agency without communicating the reasons in writing:

Provided further that in absence of any communication related to grant of or rejection of Open Access within the time frame as stipulated in Clause 3.2 of the Regulations, the Open Access shall be deemed to have been granted, subject to system availability.

9. Based on the system studies, the Nodal Agency shall specify the Intra-State Transmission System or Distribution System that would be required to provide Long-term Open Access:

Provided that where the Long-term Open Access can be allowed without augmentation, this shall be allowed immediately after entering into commercial agreements.

10. In case augmentation to the existing Intra-State Transmission System and/or Distribution System is required, the same shall be intimated to the Applicant. Upon receipt of such information, the Applicant may request the Nodal Agency to carry out further system studies and preliminary investigation for the purpose of estimating the cost and the time that would be required for system strengthening:

Provided that the Nodal Agency shall intimate the cost estimates, likely completion schedule and estimated date from which Open Access shall be allowed after system strengthening within thirty (30) Days confirmation from the Applicant:

Provided that in case the Applicant does not agree to avail Open Access with system strengthening, his application shall be rejected and the bank guarantee shall be released.

11. The Applicant shall accordingly deposit the estimated amount for augmentation to the Nodal Agency.
12. While granting Long-term Open Access, the Nodal Agency shall communicate to the Applicant, the date from which Long-term Open Access shall be granted and an estimate of the transmission charges likely to be payable based on the prevailing costs, prices and methodology of sharing of transmission charges specified by the Commission.
13. Immediately after grant of Long-term Open Access, the Nodal Agency shall inform the SLDC so that the same is kept in view while considering requests for grant of Medium-term and Short-term Open Access, received by SLDC under these Regulations.
14. The Applicant shall sign an agreement for Long-term Open Access with the concerned Licensees in accordance with the provisions in the Detailed Procedure as under:
 - a) with the STU in case Long-term Open Access is granted only on the Transmission System of STU
 - b) with the STU and all those Licensees on whose Transmission / Distribution System Long-term Open Access has been granted. Such agreement may be among three (3) or more parties.
15. The Long-term Open Access agreement shall be on the agreement format provided in the Detailed Procedure and shall contain the date of commencement of Long-term Open Access, the point of injection of power into the grid, the point of drawal from the grid and the details of dedicated transmission line (s), if any. In case augmentation of Transmission System or Distribution System is required, the Long-term Open Access agreement shall contain the time line for construction of the same, the bank guarantee required to be provided by the Applicant and other Details as specified in the Detailed Procedure.
16. On receipt of a subsequent application for Long-term Open Access, where the dedicated system created at the expense of the previous Applicant can be used, the users of the said Transmission System shall pay the charges in proportion of their use of the system. However, this arrangement shall be subject to mutual consent of the parties involved.
17. On the expiry of the period of Long-term Open Access, the same may be extended by the Nodal Agency on receipt of a written request from such Consumer. The request shall be accompanied by the application fee in accordance with these Regulations:

Provided that such request is submitted at least six (6) Months prior to the date on which the existing Long-term Open Access ends. The Long-term Open Access Consumer shall clearly mention in the request the period for which extension is required:

Provided further that in case no written request is received from the Open Access Consumer within the specified time, the said Long-term Open Access shall stand terminated automatically at 2400 hours on the date up to which it was initially granted.
18. After expiry of the period of the Long-term Open Access, the Open Access Consumer shall not be entitled to any overriding preference for renewal of the term.
19. A Long-term Open Access Consumer may relinquish the Long-term Open Access rights fully or partly before the expiry of the full term of the Long-term Open Access by making payment of compensation as provided in Clause 9.1 these Regulations.

3.6 Procedure for Grant of Medium-term Open Access Involving Intra-State Transmission and Distribution System

1. The application for grant of Medium-term Open Access shall be made to the Nodal Agency along with payment of non-refundable application fee as specified in Clause 3.2 and shall contain such details as may be laid down in the Detailed Procedure, including the point of injection into the grid, the point of drawal from the grid and the quantum of power for which Medium-term Open Access has been applied for.

Provided that in cases where there is any material change in the location of the Applicant or a change by more than ten (10) percent in the quantum of power to be interchanged using the Intra-State Transmission System and/or Distribution System, a fresh application shall be made, which shall be considered in accordance with the provisions of these Regulations.
2. The Application for grant of Medium-term Open Access shall be made to the Nodal Agency between three (3) Months to twelve (12) Months prior to the intended commencement of Open Access:

For Example: Application for grant of Medium-term Open Access commencing 1st August, 2016 shall be made between 1st August, 2015 and the last Day of April, 2016:

Provided that the Nodal Agency shall inform the Applicant of any errors or missing information within two (2) Working Days of the receipt of the application.

3. The application shall be accompanied by a bank guarantee of Rupees two thousand (₹ 2000) per MW or part thereof for the total power to be transmitted. The bank guarantee shall be in favour of the Nodal Agency, in the manner laid down under the Detailed Procedure.
4. The bank guarantee shall be kept valid till operationalization of Medium-term Open Access.
5. The bank guarantee may be encashed by the Nodal Agency, if the application is withdrawn by the Applicant or the Medium-term Open Access rights are relinquished prior to the operationalisation of such rights.
6. On receipt of the application for Medium-term Open Access, the Nodal Agency shall obtain all the permissions and clearances from the Distribution Licensees, SLDC, STU and other agencies, as may be required, for the Open Access transaction.
7. The Nodal Agency shall, in consultation and coordination with other agencies involved in Intra-State Transmission and or Distribution System, process the application and carry out necessary system studies as expeditiously as possible so as to ensure that the decision to grant or refuse Medium-term Open Access is made within the specified timeframe in Clause 3.2 of the Regulations:

Provided that no application shall be rejected by the Nodal Agency without communicating the reasons in writing:

Provided further that in absence of any communication related to grant of or rejection of Open Access within the time frame as stipulated in Clause 3.2 of the Regulations, the Open Access shall be deemed to have been granted, subject to system availability.

8. On being satisfied that the specified requirements, with respect to criteria for granting Medium-term Open Access are met, the Nodal Agency shall convey its decision for grant Medium-term Open Access for the period stated in the application:

Provided that for reasons to be recorded in writing, and with the consent of the Applicant, the Nodal Agency may grant Medium-term Open Access for a period less than that sought for by the Applicant:

Provided further that in case the Open Access capacity available is less than the capacity sought and there are two (2) or more applications for the same period, then the available capacity shall be proportionally allotted to each Applicant if they so consent.

9. The Applicant shall sign an agreement for Medium-term Open Access with the concerned Licensees in accordance with the provisions in the Detailed Procedure as under:
 - a) with the STU in case Medium-term Open Access is granted only on the Transmission System of STU
 - b) with the STU and all those Licensees on whose Transmission/Distribution System Medium-term Open Access has been granted. Such agreement may be among three (3) or more parties.
10. The Medium-Term Open Access agreement shall be on the agreement format provided in the Detailed Procedure and shall contain the date of commencement and end of Medium-term Open Access, the point of injection of power into the grid and the point of drawal from the grid, the details of dedicated transmission lines, if any, bank guarantee required to be provided by the Applicant and such other details as specified in the Detailed Procedure.
11. Immediately after grant of Medium-term Open Access, the Nodal Agency shall inform the SLDC, so that the SLDC can keep the same in view while processing requests for Short-term Open Access received under these Regulations.
12. Before the expiry of the period of Medium-term Open Access, the same may be extended by the Nodal Agency on receipt of a written request from such Consumer accompanied by the non-refundable application fee for Medium-term Open Access as prescribed in the Regulations:

Provided that such request is submitted at least one (1) Month prior to the date on which the existing Medium-term Open Access ends. The Consumer shall clearly mention in the request the period for which extension is required.
13. After expiry of the period of the Medium-term Open Access, the Open Access Consumer shall not be entitled to any overriding preference for renewal of the term.
14. A Medium-term Open Access Consumer may relinquish the MTOA rights, fully or partly, by giving notice and paying the compensation amount to the Nodal Agency as provided in Clause 9.1 of these Regulations.

3.7 Procedure for Grant of Short-term Open Access involving Intra-State Transmission and Distribution System

1. Open Access in Advance:

- (i) The application for seeking Intra-State Short-term Open Access shall be submitted to the Nodal Agency in the format prescribed in the Detailed Procedure which shall contain details such as capacity required, generation planned or power purchase contracted, the point of injection, the point of drawal, the duration of availing Open Access, the peak load, the average load and such other additional information as may be required by the Nodal Agency. The application shall be accompanied by non-refundable application fee in accordance with Clause 3.2:

Provided that a separate application shall be made for each Month and for each transaction in a Month, if the injection and drawal points are different:

Provided that a captive power company may make a single application with single injection and multiple drawal points.

- (ii) The application may be submitted upto four (4) Months in advance considering the Month in which application is made to be the first Month, but not later than the fifteenth (15th) Day of the preceding Month

For example: Application for Short-term Open Access in the Month of August shall be submitted between 1st April and 15th July:

Provided that the Nodal Agency shall inform the Applicant of any errors or missing information within one (1) Day of receipt of the application.

- (iii) All applications received up to the fifteenth (15th) Day of the Month shall be treated as having been received at the same time.
- (iv) On receipt of the application for Open Access, the Nodal Agency shall obtain all the permissions and clearances from the Distribution Licensees, SLDC, STU and other agencies, as may be required, for the Open Access transaction.
- (v) Based on the nature of transactions, the Nodal Agency shall take a decision on the applications for Intra-State Short-term Open Access in the manner provided below:
- a) All applications received up to the fifteenth (15th) Day of the preceding Month shall be taken up for consideration together and processed as per allotment priority criteria specified in these Regulations.
 - b) The Nodal Agency before granting Intra-State Open Access shall take into consideration the resultant Congestion of any element, line or transformer, of the Transmission and Distribution System involved in the proposed Short-term transaction.
 - c) The Nodal Agency shall, after satisfying itself that the application is complete in all respects and the Applicant has complied with all other technical / metering requirements convey grant of Open Access or otherwise in the prescribed format along with the schedule of payments latest by the nineteenth (19th) Day of such preceding Month in which the application was received.
 - d) The Nodal Agency shall record the reasons in writing in case Open Access is denied to any eligible Applicant:
 Provided that in absence of any communication related to grant of or rejection of Open Access within the time frame as stipulated above in the Clause 3.7(1)(v)(b), the Open Access shall be deemed to have been granted, subject to system availability.
- (vi) In case the Nodal Agency anticipates Congestion, it may invite electronic bids as per the Bidding Procedure as specified in the Clause 3.7(1)(vii) of the Regulations for advance scheduling after the last date for submission of applications.
- (vii) **Bidding Procedure**
- a) The decision of the Nodal Agency in respect of an expected Congestion shall be final and binding on all the parties.
 - b) The Nodal Agency shall convey to the Applicants, the information of Congestion and decision for invitation of bids indicating the floor price, in the format prescribed in the Detailed Procedure.
 - c) The Nodal Agency shall also display the bidding information on its website.

- d) The floor price of the transmission and wheeling charges determined on the basis of the relevant the Order of the Commission shall be indicated in the format prescribed in the Detailed Procedure.
 - e) The bids shall be accepted in the format prescribed in the Detailed Procedure up to the “bid closing time” as indicated in bid invitation notice.
 - f) Once submitted, no modification to a bid, shall be entertained.
 - g) If any Applicant does not participate in the bidding process, his application shall be deemed to have been withdrawn and shall not be processed.
 - h) The Nodal Agency shall not entertain any request for extension of time / date for submission of bids.
 - i) The bidders shall quote the price, rounded-off to a whole number, in the denomination in which the floor price has been determined.
 - j) The quoted price shall be stacked in a descending order and allocation of available capacities shall be accorded in such a descending order until the available capacity is fully exhausted.
 - k) In case of a tie in the bid price of two (2) or more Applicants, the allocation from the residual available capacity as at sub-clause (j) above, shall be made in proportion to the capacity being sought by such Applicants.
 - l) All Open Access Consumers, in favour of whom full capacities have been allotted, shall pay the highest price discovered through the bidding process.
 - m) The Open Access Consumers, who are allotted less capacity than sought for, shall pay the price as quoted by them which shall in no case be less than the floor price.
 - n) The Nodal Agency shall reject bids which are incomplete, vague in any manner or not found in conformity with the bidding procedure / guidelines.
2. Open Access on ‘first come first served’ Basis:
- (i) Applications for Open Access received after the date specified in Clause 3.7(1)(ii) and the applications received during the Month in which the Open Access is sought shall be considered on first come first served basis:

Provided that such applications shall reach the Nodal Agency at least four (4) Days in advance of the date of the Open Access transaction. All these applications shall be processed and decided within three (3) Days of their receipt

For example: The application for Open Access commencing from 10th July shall be submitted by 5th July by 5 PM and the decision for grant of Open Access shall be conveyed by 8th July by 5 PM.
3. Day-ahead Open Access:
- (i) An application for grant of ‘Day ahead’ Open Access may be submitted to the Nodal Agency within three (3) Days prior to the date of scheduling but not later than 1200 hours of the Day immediately preceding the Day of scheduling for the Day-ahead transaction

For example: application for Day-ahead transaction on 25th Day of July shall be received from 22nd Day of July up to 1200 hours on 24th Day of July:

Provided that all the application received upto the cut-off time as specified above, shall be treated as having been received at the same time:

Provided further that any application received after the cut-off time of the Day immediately preceding the date of scheduling or on the Day of scheduling shall be considered in case of contingency of the Applicant, and the fee for such contingency applications shall be five (5) times the otherwise applicable application fees.
 - (ii) The Nodal Agency shall check for resultant Congestion due to the proposed ‘Day ahead’ Open Access transaction and convey approval or otherwise in the format prescribed in the Detailed Procedure by 1400 Hours of the Day preceding the Day of scheduling. All other provisions for Intra-State Short-term Open Access shall apply for Day ahead Open Access.
4. The reserved capacity by a Short-term Open Access Consumer is not transferable to others.
5. The capacity available as a result of surrender or reduction or cancellation of the reserved capacity by the SLDC, may be reserved for any other Short-term Open Access Consumer in accordance with these Regulations.

6. Upon expiry of the period of Short-term Open Access, the Consumer, Generating Station or Licensee, as the case may be, shall not be entitled to any priority for renewal of the term.

3.8 Consent by STU, SLDC or Distribution Licensee

1. Inter-State Open Access

The respective Nodal Agency for Long-term, Medium-term and Short-term Open Access shall convey its consent or otherwise as per the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission's Regulations or Orders in force:

Provided that in case the Applicant is a Consumer of a Distribution Licensee, that Distribution Licensee shall convey its consent or rejection within two (2) Working Days of receipt of the request in case of Short-term Open Access and ten (10) Working Days, in case of Medium-term and Long-term Open Access.

2. Intra-State Open Access

- (i) While processing the application from an Applicant seeking Intra-State Open Access, the respective Licensee shall verify the following, namely-
 - a) Existence of infrastructure necessary for time-block-wise energy metering and accounting in accordance with the provisions of the State Grid Code in force;
 - b) Availability of capacity in the Transmission and Distribution network; and
 - c) Availability of Remote Terminal Unit (RTU) and communication facility to transmit real-time data to the SLDC or Distribution Control Centre (DCC), if applicable;
- (ii) Where existence of necessary infrastructure and availability of capacity in the Transmission and/or Distribution Network has been established, the Transmission and/or Distribution Licensee shall convey its consent to the Nodal Agency by e-mail or fax or by any other usually recognized mode of communication, within three (3) Working Days of receipt of the application;
- (iii) In case the Transmission and/or Distribution Licensee finds that the application for Open Access is incomplete or defective in any respect, it shall communicate the deficiency or defect to the Nodal Agency by e-mail or fax or by any other usually recognized mode of communication, within two (2) Working Days of receipt of the application;
- (iv) In case the application has been found to be in order but the Transmission and/or Distribution Licensee refuses to give consent on the grounds of non-existence of necessary infrastructure or unavailability of surplus capacity in the Transmission and/or Distribution network, such refusal shall be communicated to the Nodal Agency by e-mail or fax or by any other usually recognized mode of communication, within the period of three (3) Working Days from the date of receipt of the application, along with reasons for such refusal;
- (v) Where the Transmission and/or Distribution Licensee has not communicated any deficiency or defect in the application within two (2) Working Days from the date of receipt of the application, or refusal or consent within the specified period of three (3) Working Days from the date of receipt of the application as the case may be, consent shall be deemed to have been granted.

3.9 Allotment Priority

1. Except in case of Short-term Open Access applied for in advance as per Clause 3.7(1), the Nodal Agency shall consider applications on a 'first come, first served' basis.
2. When two (2) or more applications are received on the same Day, the priority shall be defined in the order of priority from highest to lowest as listed below:

Table 5: Order of priority for grant of Open Access

Order of priority for grant of Open Access	Allotment
Priority 1	Distribution Licensee (irrespective of whether Open Access sought is for Long-term, Medium-term or Short-term)
Priority 2	Other Long-term Open Access Applicants
Priority 3	Other Medium-term Open Access Applicants
Priority 4	Other Short-term Open Access Applicants

Provided that two (2) or more applications for the same duration of Open Access received on the same Day shall be treated paripassu for allotment, and if the available capacity is insufficient to accommodate all applications, the Applicants shall be allotted share in the available capacity proportionate to the capacities applied for:

Provided further that if an Applicant is not able to limit its requirement to the available capacity, the request of the Applicant having next lower priority may be taken up for consideration.

3. An existing Open Access Consumer shall have priority higher than new Open Access Applicants under the respective category provided the existing Open Access Consumer applies for renewal within the timelines as specified in the respective procedures for Open Access prior to the expiry of the existing term of Open Access.

3.10 Applications from Defaulters

Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Nodal Agency shall be at liberty to summarily reject an application for Open Access on the ground of non compliance of the provisions of these Regulations, more specifically the provisions relating to timely payment of the charges leviable in these Regulations.

Chapter 4: Open Access Charges

4.1 Transmission Charges

1. An Open Access Consumer using the Intra-State Transmission System, shall pay transmission charges to the State Transmission Utility or the Intra-State Transmission Licensee other than the State Transmission Utility for usage of their system as determined by the Commission in the Tariff Order from time to time:

Provided that transmission charges shall be payable on the basis of contracted capacity in case of Long-term and Medium-term Open Access Consumers and on the basis of scheduled load in case of Short-term Open Access Consumers. For Open Access for a part of a Day, the transmission charges shall be payable as under:

- a. Up to six (6) hours in a Day in one (1) block: $\frac{1}{4}$ th of the charges for Long-term and Medium-term users;
- b. More than six (6) hours and up to twelve (12) hours in a Day in one (1) block: $\frac{1}{2}$ of the charges for Long-term and Medium term users; and
- c. More than twelve (12) hours and upto twenty-four (24) hours in a Day in one (1) block: equal to Long-term and Medium-term users

Provided further that where a dedicated Transmission System has been constructed for the exclusive use of or is being used exclusively by an Open Access Consumer, the transmission charges for such dedicated system shall be worked out by Intra-State Transmission Licensee and got approved by the Commission. These charges shall be borne entirely by such Open Access Consumer till such time the surplus capacity is allotted and used for by other Open Access Consumers or other purposes, after which these transmission charges for such dedicated system shall be shared in the ratio of allotted capacities.

2. When capacity has been reserved consequent to bidding, the transmission charges will be taken as determined through bidding in accordance with Clause 3.7(1) (vii).
3. 75% of charges collected from the Short-term Open Access Consumers shall be adjusted towards reduction in the charges payable by the Long-term and Medium-term Open Access Consumers. The remaining 25% of the charges collected from Short-term Open Access users shall be retained by the respective Licensee:

Provided that in case of any conflict between this provision and a similar provision in the Multi-year Tariff Regulations, the provision contained in the Multi-year Tariff Regulations shall prevail.

4.2 Wheeling Charges

1. An Open Access Consumer using a Distribution System shall pay to the Distribution Licensee such wheeling charges, on the basis of actual energy drawal at the consumption end, as may be determined by the Commission in the Tariff Order from time to time:

Provided that for Open Access for a part of a Day, the wheeling charges shall be payable as under:

- a. Up to six (6) hours in a Day in one (1) block: $\frac{1}{4}$ th of the charges for Long-term and Medium-term users;
- b. More than six (6) hours and up to twelve (12) hours in a Day in one (1) block: $\frac{1}{2}$ of the charges for Long-term and Medium term users; and
- c. More than twelve (12) hours and upto twenty-four (24) hours in a Day in one (1) block: equal to Long-term and Medium-term users

Provided further that where a dedicated Distribution System has been constructed for exclusive use of an Open Access Consumer, the wheeling charges for such a dedicated system shall be worked out by the Distribution Licensee and got approved from the Commission. These charges shall be borne entirely by the Open Access Consumer till such time the surplus capacity is allotted and used for by other persons or purposes after which these wheeling charges for such dedicated system shall be shared in the ratio of the allotted capacities.

2. Wheeling Charges shall not be applicable in case a Consumer or Generating Station or Licensee is not utilizing the distribution network for the purpose of receiving power through Open Access.
3. When capacity has been reserved consequent to bidding, the wheeling charges shall be taken as determined through bidding in accordance with Clause 3.7(1) (vii).
4. 75% of charges collected from the Short-term Open Access Consumers shall be adjusted towards reduction in the charges payable by the Long-term and Medium-term Open Access Consumers. The remaining 25% of the charges collected from Short-term Open Access users shall be retained by the respective Licensee:

Provided that in case of any conflict between this provision and a similar provision in the Multi-year Tariff Regulations, the provision contained in the Multi-year Tariff Regulations shall prevail.

4.3 Scheduling and System Operation Charges

Scheduling and system operation charges shall be payable by the Open Access Consumers at the following rates:

1. For Inter-State Open Access:
 - a. **Long-term Open Access and Medium-term Open Access**
 - i. Regional Load Despatch Centre fees and charges including charges for the Unified Load Despatch and Communication Scheme as specified by the Central Commission under Section 28(4) of the Act.
 - ii. SLDC fees and charges as specified by the Commission under sub-section (3) of Section 32 of the Act.
 - b. **Short-term Open Access**
 - i. Regional Load Despatch Centre and SLDC fees and charges as specified by the Central Commission.
2. For Intra-State Open Access
 - i. The scheduling and system operation charges payable to the SLDC by Long-term and Medium-term Open Access users shall be same as determined by Commission the Commission under sub-section (3) of Section 32 of the Act.
 - ii. The scheduling and system operation charges of Rupees two thousand (• 2000) per Day or part of the Day or as determined by the Commission from time to time shall be paid by a Short-term Open Access user to SLDC.
 - iii. The scheduling and system operation charges collected by the SLDC in accordance with Clause (ii) above shall be in addition to charges determined by the Commission under Section 32 of the Act. These will be however adjusted in the subsequent ARR of SLDC.
 - iv. The scheduling and system operation charges shall be payable even when the Open Access Consumer happens to be a generating company or Trading Licensee, availing Open Access under these Regulations.

4.4 Cross Subsidy Surcharge

1. A Consumer of a Distribution Licensee who has been granted Open Access, or a Consumer situated within the area of supply of a Distribution Licensee and/or receiving supply from a generating company using a dedicated transmission line shall pay Cross Subsidy Surcharge determined on per unit basis for the actual energy drawn at the consumption end through Open Access during a Month.
2. The amount of surcharge shall be paid to the Distribution Licensee of the area of supply in which such Consumer is located. In case of more than one (1) Licensee supplying in the same area, the Licensee from whom the Consumer was availing supply shall be paid the amount of surcharge:

Provided that no surcharge shall be levied on a person who has established a captive generation plant and carries the electricity to the destination of his own use:

Provided further that no surcharge shall be levied in respect of Open Access power purchase during the period when full power cut restrictions are imposed by the Distribution Licensee.

3. The Consumers located in the area of supply of a Distribution Licensee but availing Open Access exclusively on Inter-State Transmission System, shall also pay the surcharge as determined under these Regulations.
4. The cross subsidy surcharge on purchase of power from a renewable source shall be governed by the relevant Orders of the Commission.

4.5 Additional Surcharge

1. An Open Access Consumer, receiving supply of electricity from a person other than the Distribution Licensee of his area of supply, shall pay to the Distribution Licensee an additional surcharge in addition to wheeling charges and cross-subsidy surcharge, to meet the fixed cost of such Distribution Licensee arising out of his obligation to supply as provided under sub-section (4) of Section 42 of the Act:
2. This additional surcharge shall become applicable only if the obligation of the Licensee in terms of power purchase commitments has been and continues to be stranded or there is an unavoidable obligation and incidence to bear fixed costs by the Licensee consequent to such a contract. However, the fixed costs related to network assets would be recovered through wheeling charges.
3. With its tariff petition, the Distribution Licensee shall submit to the Commission, detailed computations of the fixed cost which it is incurring towards its obligation to supply, and the actual expenses incurred vis-à-vis those approved by the Commission.
4. The Commission shall determine the category-wise additional surcharge to be recovered by the Distribution Licensee from an Open Access Consumer, based on the following principles:
 - (i) The cost must have been incurred or is expected to be incurred, with reasonable certainty, by the Distribution Licensee on account of such Consumer; and
 - (ii) The cost has not been or cannot be recovered from such Consumer, or from other Consumers who have been given supply from the same assets or facilities, through wheeling charges, stand-by charges or other charges approved by the Commission.
5. Additional Surcharge may have following two(2) components to cover for:
 - a. stranded power under long-terms PPAs; and
 - b. stranded physical assets;
6. Additional surcharge determined on per unit basis shall be payable on Monthly basis by all Open Access Consumers who had maintained some demand with the Distribution Licensee in past or continues to do so, based on the actual energy drawn during the Month through Open Access.
7. The Additional Surcharge shall not be payable by a Generating Station, Trading Licensee or Power Exchange.

4.6 Standby Power and Standby Charges for Drawal of Power by Open Access Consumer from Distribution Licensee

1. If a Full Open Access Consumer requires power from the Distribution Licensee in case of out age of the generator or the source supplying power to such Open Access Consumer, or a generator connected to the Distribution System injecting power through Open Access, requires start up power from the Distribution Licensee, then such Open Access Consumer or generator may make an application to the Distribution Licensee seeking standby power for a maximum period of forty-two (42) Days. The application shall be made on the format and in the manner as may be prescribed in the Detailed Procedure.
2. The Distribution Licensee shall provide standby power to such Open Access Consumer subject to availability of requisite quantum of power and subject to the technical constraints in the concerned area of supply.
3. For providing standby power to the Open Access Consumer, the Distribution Licensee shall be entitled to charge applicable temporary supply tariff for that category of Consumer in the prevailing rate schedule:
 Provided that in cases where temporary rate of charge is not available for that Consumer category, the standby arrangements shall be provided by the Distribution Licensee on payment of fixed charges for forty-two (42) Days and energy charges at the rate of 125% of the energy charges for that category of Consumer in the prevailing rate schedule.
4. The Open Access Consumers would have the option to arrange standby power from any other source subject to the conditions that such power shall be drawn through the same system for which Open Access has been granted.

4.7 Reactive Energy Charges

The payment for the reactive energy charges for the Open Access user shall be calculated in accordance with the scheme applicable as below:

1. The Open Access Consumer will pay to the Distribution Licensee for VAR drawal (measured by interface meter) when voltage at the interface metering point is below 97%;
2. The Open Access Consumer will be paid by the Distribution Licensee for VAR injection (measured by interface meter) when voltage at the interface metering point is below 97%;
3. The Open Access Consumer will be paid by the Distribution Licensee for VAR drawal (measured by interface meter) when voltage at the interface metering point is above 103%; and
4. The Open Access Consumer will pay to the Distribution Licensee for VAR injection (measured by interface meter) when voltage at the interface metering point is above 103%.

4.8 Other Charges

In addition to the charges specified under Clauses 4.1 to 4.7, any other charges as may be specified by the Commission from time to time shall be payable by the Open Access Consumer.

4.9 Applicability of Open Access charges

Table 6: Applicability of charges for Short-term Open Access Consumers

S.No.	Inter-se location of injection & drawal point	Applicable charges	Applicable losses
Applicant is connected to the distribution network			
1	Both within the same Distribution Licensee	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge, if any • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system operation charges • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level
2	Both within the same State but in areas of different Distribution Licensees	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge, if any • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges, as applicable • Intra-State Transmission Charges, if applicable • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level in respect of both the Distribution Licensee • Intra-State Transmission Loss in kind, if applicable
3	Injection point in the Intra-State Transmission System within the State	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge, if any • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable • Intra-State Transmission Charges • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level • Intra-State Transmission Loss in kind
4	Consumer opting to avail power supply from Power Exchange	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge, if any • Stand-by charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level • Intra-State

S.No.	Inter-se location of injection & drawal point	Applicable charges	Applicable losses
		<ul style="list-style-type: none"> • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable (Inter-State and Intra-State) • Intra-State Transmission Charges • Inter-State Transmission Charges • Power Exchange Charges • Imbalance charges, if any 	Transmission Loss <ul style="list-style-type: none"> • Inter-State Transmission Loss in kind
5	In different States	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge, if any • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable (Inter-State and Intra-State) • Intra-State Transmission Charges • Inter-State Transmission Charges • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level • Intra-State Transmission Loss • Inter-State Transmission Loss in kind
Applicant is connected to the Intra-State transmission network			
1	Both within the same State (in Intra-State Transmission Network)	<ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Charges • Cross Subsidy surcharge • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Loss in kind
2	Injection Point in the distribution network within State	<ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Charges • Wheeling Charges • Cross Subsidy surcharge • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level • Intra-State Transmission Loss in kind
3	Consumer opting to avail power supply from Power Exchange	<ul style="list-style-type: none"> • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge, if any • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable (Inter-State and Intra-State) • Intra-State Transmission Charges • Inter-State Transmission Charges • Power Exchange Charges • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Loss in kind • Inter-State Transmission Loss in kind
4	In different States	<ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Charges • Inter-State Transmission Charges • Cross Subsidy surcharge • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable (Inter-State and Intra-State) • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Loss in kind • Inter-State Transmission Loss in kind

Table 7: Applicability of charges for Medium-term Open Access Consumers

S.No.	Inter-se location of injection & drawal point	Applicable charges	Applicable Losses
Applicant is connected to the distribution network			
1	Both within the same Distribution Licensee	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system operation charges • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level
2	Both within the same State but in areas of different Distribution Licensees	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable • Intra-State Transmission Charges, if applicable • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level in respect of both the Distribution Licensee • Intra-State Transmission Loss in kind, if applicable
3	Injection point in the Intra-State Transmission System within the State	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable • Intra-State Transmission Charges • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level • Intra-State Transmission Loss in kind
4	In different States	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable (Inter-State and Intra-State) • Intra-State Transmission Charges • Inter-State Transmission Charges • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level • Intra-State Transmission Loss in kind • Inter-State Transmission Loss in kind
Applicant is connected to the Intra-State transmission network			
1	Both within the same State (in Intra-State transmission network)	<ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Charges • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Loss in kind
2	Injection Point in the distribution network	<ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Charges 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage

S.No.	Inter-se location of injection & drawal point	Applicable charges	Applicable Losses
	within State	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charges • Additional surcharge • Cross Subsidy surcharge • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable • Imbalance charges, if any 	level <ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Loss in kind
3	In different States	<ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Charges • Inter-State Transmission Charges • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable (Inter-State and Intra-State) • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Intra-State Transmission Loss in kind • Inter-State Transmission Loss in kind

Table 8: Applicability of charges for Long-term Open Access Consumers

S.No.	Inter-se location of injection & drawal point	Applicable charges	Applicable Losses
Applicant is connected to the distribution network			
1	Both within the same Distribution Licensee	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system operation charges • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level
2	Both within the same State but in areas of different Distribution Licensees	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable • Intra-State Transmission Charges , if applicable • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level in respect of both the Distribution Licensee • Intra-State Transmission Loss in kind, if applicable
3	Injection point in the Intra-State Transmission System within the State	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge • Stand-by charges, if any • Reactive Energy Charges, as applicable • Scheduling and system Operating Charges as applicable • Intra-State Transmission Charges • Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level • Intra-State Transmission Loss in kind
4	In different States	<ul style="list-style-type: none"> • Wheeling Charge • Cross Subsidy surcharge • Additional surcharge 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution loss in kind at relevant voltage level

S.No.	Inter-se location of injection & drawal point	Applicable charges	Applicable Losses
		<ul style="list-style-type: none"> Stand-by charges, if any Reactive Energy Charges, as applicable Scheduling and system Operating Charges as applicable (Inter-State and Intra-State) Intra-State Transmission Charges Inter-State Transmission Charges Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> Intra-State Transmission Loss in kind Inter-State Transmission Loss in kind
Applicant is connected to the Intra-State transmission network			
1	Both within the same State (in Intra-State transmission network)	<ul style="list-style-type: none"> Intra-State Transmission Charges Cross Subsidy surcharge Additional surcharge Reactive Energy Charges, as applicable Scheduling and system Operating Charges as applicable Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> Intra-State Transmission Loss in kind
2	Injection Point in the distribution network within State	<ul style="list-style-type: none"> Intra-State Transmission Charges Wheeling Charges Cross Subsidy surcharge Additional surcharge Reactive Energy Charges, as applicable Scheduling and system Operating Charges as applicable Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> Distribution loss in kind at relevant voltage level Intra-State Transmission Loss in kind
3	In different States	<ul style="list-style-type: none"> Intra-State Transmission Charges Inter-State Transmission Charges Cross Subsidy surcharge Additional surcharge Reactive Energy Charges, as applicable Scheduling and system Operating Charges as applicable (Inter-State and Intra-State) Imbalance charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> Intra-State Transmission Loss in kind Inter-State Transmission Loss in kind

Chapter 5: Scheduling and Imbalance Charges

5.1 Scheduling

- Scheduling of transactions pursuant to grant of Open Access shall be undertaken on day-ahead basis in accordance with the Grid Code in the case of Inter-State transactions, and in accordance with the State Grid Code or relevant Orders of the Commission in the case of Intra-State transactions.
- Notwithstanding anything contained in these Regulations, scheduling of Inter-State Open Access transactions shall be as specified by the Central Commission.
- Scheduling of Intra-State Open Access transactions of all Generating Stations and Consumers irrespective of the capacity shall be done by SLDC in accordance with the provisions of the State Grid Code, as amended from time to time.
- A Short-term Open Access Consumer shall be required to maintain a uniform schedule for a period of at least eight (8) hours.

5.2 Imbalance Charges

1. Settlement of Energy at Drawal Point in Respect of Open Access Consumer, or Trading Licensee on Behalf of Open Access Consumer

a. Open Access Consumer, who is not a Consumer of the Distribution Licensee

Deviations between the scheduled and the actual drawal in respect of a Full Open Access Consumer shall come under the purview of the Intra-State ABT, as notified by the Commission and shall be

settled based on the composite accounts for imbalance transactions issued by SLDC on a weekly cycle based on net metering in accordance with the Deviation Charges specified by the Commission. Billing, collection and disbursement of any amounts under the above transactions shall be in accordance with the Commission's Orders on Intra-State ABT, as may be applicable from time to time:

Provided that till the time Intra-State ABT mechanism is not notified by the Commission, any underdrawal shall be settled in accordance with the provisions of the Deviation Settlement Mechanism notified by CERC from time to time:

Provided that till the time Intra-State ABT mechanism is not notified by the Commission, any overdrawal shall be settled at higher of the applicable deviation rates (as notified in the CERC Deviation Settlement Mechanism Regulations 2014 amended from time to time) or the temporary tariff applicable for the Consumer category as determined by the Commission from time to time:

Provided that if the Commission has not specified temporary tariff for a category, charges at the rate of 125% of the normal category shall be applicable.

b. Open Access Consumer, who is also a Consumer of the Distribution Licensee

In case of deviation between the schedule and the actual drawal in respect of an Open Access Consumer who is a Consumer of Distribution Licensee shall come under the purview of the Intra-State ABT, as notified by the Commission and shall be settled based on the composite accounts for imbalance transactions issued by SLDC on a weekly cycle in accordance with the Deviation Charges specified by the Commission. Billing, collection and disbursement of any amounts under the above transactions shall be in accordance with the Commission's Orders on Intra-State ABT, as may be applicable from time to time.

Till the implementation of Intra-State ABT, the charges shall be regulated as below:

The quantum of drawal of electricity by a partial Open Access Consumer from the Distribution Licensee during any Time Block of a Day should not exceed the "Admissible Drawal" of electricity by the Open Access Consumer which is the difference of Contract Demand and maximum quantum of Open Access for which approval has been granted by the Nodal Agency.

[Illustration: If an Open Access Consumer with a Contract Demand of 10 MW has been given an approval for a maximum Open Access quantum of 6MW for a period of 3 Months, the Admissible Drawal of electricity from the Distribution Licensee during any Time Block shall be 4 MW for any Day during a period of 3 Months.]

i. Overdrawal

The overdrawal by an Open Access Consumer who is a Consumer of the Distribution Licensee shall be settled as under:

- i. Fixed Charges on the Admissible Drawal of electricity by the Open Access Consumer from the Distribution Licensee, even if there is no drawal from the Distribution Licensee.
- ii. Energy charges corresponding to drawal from a Distribution Licensee by the Open Access Consumer limited to Admissible Drawal of electricity by the Open Access Consumer, at the applicable energy charge rates of the Distribution Licensee.
- iii. Additional fixed charges at the rate of 125% of normal fixed charges, for demand above the Admissible Drawal of electricity by the Open Access Consumer.
- iv. Energy charges on any drawal above the Admissible Drawal of electricity by the Open Access Consumer at the rate of charges for temporary connection for the same category.

ii. Underdrawal

In case of underdrawal with respect to scheduled energy, Open Access Consumer shall not be paid any charges by the Distribution Licensee.

2. Under drawal of Power by an Open Access Consumer due to Reasons Attributable to the Transmission/ Distribution Licensee i.e. break down of system:

In case an Intra-State Open Access Consumer is unable to receive power scheduled from a generating company/trader/power exchange due to un-notified Transmission and/or Distribution System outage and if the generating company/trader/power exchange has injected scheduled power into the grid for use by such Intra-State Open Access Consumer, then the Transmission/Distribution Licensee shall pay such Intra-State Open Access Consumer the charges payable by him to the generating company/trader/power exchange or the lowest tariff applicable to the Consumer category, to which such Intra-State Open Access Consumer belongs, whichever is lower.

3. Settlement of Energy at the Injection Point in respect of a Generating Company or a Trading Licensee on Behalf of a Generating Company

Any under-injection or over-injection with respect to the schedule approved by the SLDC by a generating company or a Licensee shall be settled in accordance with the CERC Deviation Settlement Mechanism Regulations 2014 amended from time to time.

4. Payment of imbalance charges shall have a high priority and the concerned constituents (including the Licensees or the Open Access Consumers as the case may be) shall pay the indicated amounts within ten (10) Days of the issue of the statement, into a State Imbalance Pool Account operated by the SLDC. The person who has to receive the money on account of imbalance charges would then be paid out from the State Imbalance Pool Account, within three (3) Working Days.
5. If payments against the above imbalance charges are delayed by more than two (2) Days, i.e., beyond twelve (12) Days from the date of issue of the statement, the defaulting party shall have to pay simple interest at the rate of Bank Rate (per Day) for each Day of delay. The interest so collected shall be paid to the person who had to receive the amount. Persistent payment defaults, if any, shall be reported by the SLDC to the Commission, for initiating remedial action.

Chapter 6: Metering and Losses

6.1 Metering

1. At both injection and drawal point, the Open Access Consumer shall install ABT compatible Special Energy Meter (SEM) as the main meter capable of time differentiated measurements (15 minutes) of active energy and voltage differentiated measurement of reactive energy in accordance with the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time, irrespective of Allotted Capacity:

Provided that any existing or prospective Consumers who have not sought Open Access but plans to seek it in future, shall have the option to install such SEM at their premises.

2. The main meter and check meter of same specifications shall be provided by the concerned Licensee, at the cost of the Open Access Consumer:

Provided that, upon receipt of such request, if the SEM is not available, the Licensee shall communicate the lead time for procurement so as to enable the Consumer or Generating Station to finalize its option for purchase:

Provided further that, if the Consumer or Generating Station chooses to purchase the SEM from it, the Licensee may require the payment of an advance.

3. The Open Access Consumer shall have the option to purchase the meter on its own. However, in such a case, the Distribution Licensee and STU shall inspect the meter and certify the same for conformity with the relevant Regulations as mentioned in the Clause 6.1.
4. All Full Open Access Consumers and Generating Stations connected to the Transmission System shall install, at their cost, Remote Terminal Units (RTU)-DC within six (6) Months from the notification of these Regulations, in accordance with specifications provided by the STU, and the SLDC shall verify their installation for real-time monitoring:

Provided that the installed RTU-DCs shall be available for inspection by the Distribution Licensee or the SLDC at any time:

Provided further that such Full Open Access Consumers and Generating Stations connected to Transmission System shall provide for or bear the cost of the communication arrangements, the technical specifications of which shall be stipulated by the Distribution Licensee and/or SLDC, for the purpose of real-time communication.

5. Main and check meters shall have the facility to communicate their readings to the SLDC Control Centre on real time basis or otherwise.
6. Main and check meters shall always be maintained in good condition by the Open Access user and shall be open for inspection by any person authorized by the Nodal Agency.
7. The main and check meters shall be periodically tested and calibrated by the concerned Licensee in the presence of the other party involved. The main and check Meters shall be sealed by both parties and defective meter shall be replaced immediately. The periodicity of testing, checking, calibration etc. shall be governed by the Regulations issued by the Central Electricity Authority in this regard.

8. Readings of the check meters shall be considered only when main meter is found to be defective or stopped. Both the main meter and check meter shall be tested for accuracy if the difference between the readings of main and check meters reading exceed twice the percentage errors permissible for the relevant accuracy class. Any meter found defective shall be replaced immediately.
9. If during test or calibration, both the main meter and the check meter are found to have errors beyond permissible limits, the bill shall be revised for the previous three (3) Months or for the exact period if known and agreed upon by both the parties, by applying correction as determined by the concerned Licensee to the consumption registered by the meter with the lesser error.
10. All the Open Access Consumers shall abide by the metering standards notified by the Central Electricity Authority (CEA) vide its notification dated 17th March, 2006, as amended from time to time.

6.2 Losses

1. Inter-State Open Access
 - a. Long-term access and Medium-term Open Access: The buyers of electricity shall bear apportioned energy losses in the Transmission System in accordance with the provisions specified by the Central Commission.
 - b. Short-term Open Access: The buyers and sellers of electricity shall bear apportioned energy losses in the Transmission System in accordance with the provisions specified by the Central Commission.
2. Intra-State Open Access
 - a. Transmission Losses
 - i. The energy losses in the Transmission System of the Transmission Licensee, as determined by the SLDC, shall be borne by the Transmission System users in proportion to their scheduled usage of the Intra-State Transmission System. The information regarding average energy losses for the previous fifty-two (52) weeks shall be posted on the website of the SLDC. The fortnightly average transmission loss in the system shall be monitored by the SLDC and shall also be applicable all Open Access Consumers.
 - ii. The energy losses shall be compensated by additional injection at the injection point(s).
 - iii. Open Access Consumers connected to the Intra-State Transmission System shall only bear Transmission Loss.
 - b. Distribution Losses
 - i. The percentage of Distribution System losses to be borne by the Open Access Consumers at different voltage levels shall be as determined by the Commission in Tariff Order for the applicable year.
 - ii. The buyer of electricity shall bear only the approved wheeling losses of the Distribution System and not any part of the commercial losses.
 - iii. Distribution losses shall be payable by all Open Access Consumers and captive power plants carrying electricity within the State for their own use.
 - iv. The energy losses shall be compensated by additional injection at the injection point(s).

Chapter 7: Commercial Matters

7.1 Billing, Collection and Disbursement

1. Inter-State Transactions

- a. Short-term Open Access
 - i. Collection and disbursement of transmission charges for use of the CTU and STU systems and operating charges payable to RLDCs and SLDCs towards Short-term Open Access shall be made by the nodal RLDC in accordance with the procedure specified by the Central Commission.
 - ii. The Short-term Open Access Consumer connected to the Distribution System of a Distribution Licensee shall pay to such Distribution Licensee the charges payable to the Distribution Licensee within three (3) Days from the grant of the Short-term Open Access by the Nodal Agency.
 - iii. In case of Collective Transactions, the transmission and wheeling charges for the State network and the operating charges for the SLDC shall be settled directly by the Power Exchange with the respective SLDC.
- b. Long-term and Medium-term Open Access
 - i. Billing, collection and disbursement of charges payable to RLDC including Unified Load Despatch and Communication Scheme shall be in accordance with the procedure specified by the Central Commission.

- ii. Bills towards the charges payable to SLDC, STU and the Distribution Licensee shall be raised by the Distribution Licensee to the Open Access Consumer before the third (3rd) Working Day of the succeeding Month. The Distribution Licensee shall separately indicate all the Open Access charges in the bill.
- iii. The Open Access Consumer shall pay the charges to the Distribution Licensee within seven (7) Working Days from the date of receipt of the bill.
- iv. The Distribution Licensee shall disburse the charges payable to SLDC and/or the Transmission Licensee within seven (7) Working Days of receipt of the payment from the Open Access Consumer.

2. Intra-State Transactions

a. Short-term Open Access

- i. The Short-term Open Access Consumer shall deposit with the Distribution Licensee, all the charges payable within three (3) Working Days of grant of the Short-term Open Access by the Nodal Agency, but before the commencement of the Open Access.
- ii. The charges shall be disbursed by the Distribution Licensee to the SLDC and STU and/or other Transmission Licensees on a weekly basis.

b. Long-term and Medium-term Open Access

- i. The Distribution Licensee shall in consultation with SLDC and STU, as the case may be raise the bill to the Open Access Consumer by the third (3rd) Working Day of the succeeding Month. The Distribution Licensee shall separately indicate all the Open Access charges in the bill.
- ii. The Open Access Consumer shall pay the charges to the Distribution Licensee within seven (7) Working Days from the date of receipt of the bill.
- iii. The Distribution Licensee shall disburse the charges payable to SLDC and/or Transmission Licensee within seven (7) Working Days of receipt of the payment from the Open Access Consumer.

3. If payments against the Open Access charges are not made within the due date as mentioned in the bill issued to the Open Access Consumer, the defaulting Open Access Consumer shall have to pay simple interest at the rate equal to the Bank Rate (per Day) for each Day of delay.
4. If the Distribution Licensee does not disburse the payment received from the Open Access Consumers to the STU/SLDC within the due date, the Distribution Licensee shall have to pay simple interest at the rate equal to the Bank Rate (per Day) for each Day of delay.

7.2 Default in Payment

1. Non-payment of any charge or sum of money payable by the Open Access Consumer under these Regulations shall be considered as non-compliance of these Regulations. In case the default is in the payment of charges of the Intra-State Transmission Licensee and/or the Distribution Licensee, they may discontinue Open Access after giving the defaulting Open Access Consumer an advance notice of fifteen (15) Days without prejudice to their right to recover applicable charges.
2. In case of default in payment of charges due to the SLDC, the SLDC may refuse to schedule power to the defaulting Open Access Consumer and direct the Intra-State Transmission Licensee or the Distribution Licensee to disconnect such Open Access Consumer from the grid.

7.3 Payment Security Mechanism

1. In case of Long-term access and Medium-term Open Access, the Applicant for Open Access shall open an irrevocable Letter of Credit in favour of the Distribution Licensee for the estimated amount of various charges for a period of two (2) Months:

Provided further that, in case of an existing Open Access Consumer availing Open Access for more than a financial year, the amount of the Letter of Credit shall be revised on the basis of the average Monthly Open Access charges of the previous financial year.

2. The other commercial conditions for transmission charges, wheeling charges and scheduling & system operation charges, such as, terms of payment, credit worthiness, indemnification, and force majeure conditions shall be as provided in the Detailed Procedure.

Chapter 8: Information System

1. The SLDC, State Transmission Utility and the Distribution Licensee shall provide the following information on their internet web-sites in a separate web page titled "Open Access information" in downloadable format within 3 Months of the notification of these Regulations. This information shall be updated upon any change in status or as per the frequency mentioned below:
 - a. The Detailed Procedure of Open Access in accordance with Clause 3.4 of these Regulations.
 - b. The form of the Open Access Agreement and the procedure and manner of executing such Agreement.
 - c. The form of the Connection Agreement.
 - d. Month-wise and year wise status report on Short-term, Medium-term and Long-term Open Access Consumers indicating:
 - i. Name of the Consumers;
 - ii. Period of Open Access granted (date of commencement and date of termination);
 - iii. Point of injection;
 - iv. Point of drawal;
 - v. Supply voltage at injection and drawal points;
 - vi. Transmission system/Distribution System used; and
 - vii. Open Access capacity used.
 - e. Information regarding usage of the links between various State Licensees indicating
 - i. Time of updating;
 - ii. Name of the link;
 - iii. Total capacity of the link;
 - iv. Scheduled capacity use (giving Open Access user-wise break-up); and
 - v. Current capacity of the link in use.

This information should be updated at least on hourly basis, and wherever feasible on fifteen (15) minute basis
 - f. The information regarding average loss in the Transmission and Distribution System for the past fifty-two (52) weeks.
 - g. A Monthly list of Open Access applications received, with the date of receipt of the application, date of admission of the application, action taken and status.
 - h. A Monthly report on the details of the rejected Applications for Open Access with reasons.
 - i. Order on "Open Access charges" issued by the Commission containing all the fees for Open Access and the charges to be paid by Open Access Consumers.
 - j. Peak load flows and capacity available including the reserve capacity on all EHV lines and HV lines emanating from EHV sub-stations.
 - k. All previous reports shall also be available in the web-archives.

Provided that each Transmission / Distribution Licensee shall make available the above information to the SLDC.

Chapter 9: Miscellaneous

9.1 Under-Utilization or Non-Utilization of Open Access Capacity in Intra-State Transmission System

1. Long-term Open Access

A Long-term Open Access Consumer may relinquish the Long-term Open Access rights fully or partly before the expiry of the full term of the Long-term Open Access, by making payment of compensation for the stranded capacity as follows:-

- a. Long-term Open Access Consumer who has availed access rights for a period of and exceeding twelve (12) years
 - i. Notice of one (1) year – If such a Consumer submits an application to the Nodal Agency at least one (1) year prior to the date from which such Consumer desires to relinquish the access rights, there shall be no charges;
 - ii. Notice of less than one (1) year – If such a Consumer submits an application to the Nodal Agency at any time lesser than a period of one (1) year prior to the date from which such Consumer desires to relinquish the access rights, such Consumer shall pay an amount equal to sixty-six percent (66%) of the transmission and wheeling charges for the stranded transmission and distribution capacity for the period falling short of the notice period of one (1) year.

- b. Long-term Open Access Consumer who has availed access rights for a period less than twelve (12) years. - Such a Consumer shall pay an amount equal to sixty-six percent (66%) of the estimated transmission and wheeling charges (net present value) for the stranded transmission and distribution capacity for the period falling short of twelve (12) years of access rights:

Provided that such a Consumer shall submit an application to the Nodal Agency at least one (1) year prior to the date from which such Consumer desires to relinquish the access rights:

Provided further that in case a Consumer submits an application for relinquishment of Long-term Open Access rights at any time at a notice period of less than one (1) year, then such Consumer shall pay an amount equal to sixty-six percent (66%) of the estimated transmission and wheeling charges (net present value) for the period falling short of a notice period of one (1) year, in addition to sixty-six percent (66%) of the estimated transmission and wheeling charges for the stranded transmission capacity for the period falling short of twelve (12) years of access rights.

- c. The discount rate that shall be applicable for computing the net present value as referred to in sub-clause (b) of Clause 9.1(1) above shall be the discount rate to be used for bid evaluation in the Central Commission's Notification issued from time to time in accordance with the Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees issued by the Ministry of Power.
- d. The compensation paid by the Long-term Open Access Consumer for the stranded transmission and wheeling capacity shall be used for reducing transmission and wheeling charges payable by other Long-term and Medium-term Open Access Consumers in the year in which such compensation payment is due in the ratio of transmission and wheeling charges payable for that year by such Long-term and Medium-term Open Access Consumers.
- e. In addition to the above, for Consumers who were also provided any dedicated Transmission and/or Distribution Systems, the penalty payable for such dedicated capacity shall be 100% of the charges payable by such Consumer for the balance period of allocation, unless alternative users are there for the use of such dedicated capacity.

2. **Medium-term Open Access**

A Medium-term Open Access Consumer may relinquish rights, fully or partly, by giving at least thirty (30) Days prior notice to the Nodal Agency:

Provided that the Medium-term Open Access Consumer relinquishing his rights shall pay applicable transmission and wheeling charges for the period of relinquishment or for thirty (30) Days whichever is less.

3. No refund shall be made by the Transmission/Distribution Licensee to an Open Access Consumer who has created the system at his own cost for availing Open Access irrespective of whether the Consumer avails the Open Access for the full term.

4. **Short-term Open Access**

- a. If a Short-term Open Access Consumer is unable to utilize the full or a substantial part of its allocated capacity for more than four (4) hours, it shall inform the Nodal Agency, and may surrender the use of such capacity but shall pay transmission and wheeling Charges applicable to the original reserved capacity and period. If the Nodal Agency is able to re-allocate this capacity, the entity which has surrendered the capacity shall be refunded the transmission and wheeling charges based on the amount and period of the reallocated capacity by the Nodal Agency.
- b. The Nodal Agency may cancel or reduce the capacity allocated, to the extent that it is under-utilised and after giving notice to the affected parties
- i. when such capacity is under-utilised for more than three (3) Days; or
 - ii. when the Consumer, generating company or Licensee, as the case may be, fails to inform the Distribution Licensee of its inability to utilise the allocated capacity.
- c. The surplus capacity becoming available as a result of such surrender or reduction or cancellation of capacity may be allocated to any other Short-term Open Access Applicant in the serial order of pending applications.

9.2 **Communication facility**

The Open Access users shall meet the communication requirements as the Nodal Agency may direct from time to time.

9.3 Quantum of Renewable Purchase Obligation (RPO)

Each Open Access Consumer shall fulfill its Renewable Purchase Obligation as per the Joint Electricity Regulatory Commission for State of Goa & Union Territories (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010, as amended from time to time. The RPO shall be met by the Open Access Consumers either by purchase of electricity (in kWh) from renewable sources or by purchase of Renewable Energy Certificate(s) (RECs) from the power exchange. The Open Access Consumers shall provide the RPO compliance report to the Nodal Agency in the format and the manner provided in the Detailed Procedure.

9.4 Curtailment Priority

1. When it becomes expedient because of operational constraints or otherwise, to curtail the Open Access provided to the Consumers, subject to the requirements of Grid Code, the Short-term Open Access transactions shall be curtailed first followed by Medium-term Open Access transactions followed by the Long-term Open Access transactions:

Provided that among Short-term Open Access transactions, Bilateral Transactions shall be cancelled or curtailed first, followed by Collective Transactions:

Provided further that the Open Access to a Distribution Licensee shall be the last to be curtailed:

Provided that within a category, all users shall have same curtailment priority and shall be curtailed pro rata to the Allotted Capacity in the case of Long-term and Medium-term Open Access users, and the reserved capacity in the case of Short-term Open Access users.

2. In case of curtailment of the approved schedule by the SLDC, transmission and wheeling charges shall be payable pro-rata in accordance with the curtailed schedule.
3. The Coordination Committee shall prepare guidelines for curtailment of Open Access as a part of the Detailed Procedure, which shall be consistent with the provisions of the State Grid Code and other relevant Regulations.

9.5 Dispute Resolution

All disputes and complaints arising under these Regulations shall be decided by the Nodal Agency within a period of thirty (30) Days from the date of receipt of application from the concerned party. Appeal against the decision of the Nodal Agency shall lie with the Commission. The decision of the Commission shall be final and binding.

9.6 Powers to Remove Difficulties

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by general or special Order, direct the STU, SLDC, Distribution Licensees, Intra-State Licensees and the Open Access Consumer, to take such action, as may appear to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.

9.7 Power to Amend

The Commission, for reasons to be recorded in writing, may at any time vary, alter or modify any of the provisions of these Regulations by a specific Order.

9.8 Power of Relaxation

The Commission may in public interest and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these Regulations.

9.9 Interpretation

If a question arises relating to the interpretation of any provision of these Regulations, the decision of the Commission shall be final.

9.10 Force Majeure

1. Force majeure shall constitute any event which is beyond the control of the parties to the Open Access agreement and which could not be foreseen with a reasonable amount of diligence or which could not be prevented, and which substantially affects the performance by either party. Not limited to the below mentioned events, the following events shall be classified as force majeure for the purpose of these Regulations: –
 - a. natural disasters (earthquakes, hurricane, floods);
 - b. wars, riots or Civil Commotions and other upheavals; and
 - c. grid / Distribution System's failure not attributable to parties hereto.

2. Both the parties to the Open Access agreement shall ensure compliance of the terms and conditions of the agreement. However, no party shall be liable for any claim for any loss or damage whatsoever arising out of failure to carry out the terms of the Open Access agreement to the extent that such failure is due to force majeure. But any party claiming the benefit of the force majeure shall satisfy the other party of the existence of such event(s).

9.11 Saving of Inherent Powers of the Commission

Nothing contained in these Regulations shall limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission from adopting a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matter or in public interest or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure specified in these Regulations.

9.12 Repeal

1. The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Open Access in Transmission and Distribution) Regulations, 2009, shall stand repealed from the date of coming into force of these Regulations and any reference to these Regulations in any of the Regulations, standards, codes or procedures of the Joint Electricity Regulatory Commission shall be deemed to be replaced by the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017:

Provided that the application for grant of Open Access under these Regulations may be made as per the procedure issued under the old Regulations till the new procedure is issued under the provisions of these Regulations.

2. Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed Regulations so far as it is not inconsistent with these Regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these Regulations.
3. These Regulations are in addition to and not in derogation of the other Regulations/Codes issued by the Commission.

KEERTI TEWARI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./475/17]